IAS GS World PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(अगस्त, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर : एक प्रश्न	पेपर-III (आंतरिक सुरक्षा)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	1 अगस्त
2. ऑक्सीटोसिन के प्रतिबंध पर पुनर्विचार की आवश्यकता	पेपर-III (जैव प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू	2 अगस्त
3. डिस्काउंटिंग लॉजिक : ऑन ई-कॉमर्स पॉलिसी	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	3 अगस्त
4. कठिन दौर का अंत : के. एम. जोसेफ की नियुक्ति पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	4 अगस्त
5. मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर समस्या	पेपर-III (आधारभूत संरचना, परिवहन)	द हिन्दू	6 अगस्त
6. असम के लिए अनुचित एनआरसी मसौदे के प्रकाशन पर	पेपर-III (आंतरिक सुरक्षा)	द हिन्दू	7 अगस्त
7. साउथ पैसिफिक सिल्क रोड	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	8 अगस्त
8. 35A में निहित अति सूक्ष्म अंतर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	9 अगस्त
9. एफआरडीआई विधेयक पर व्याप्त समस्या	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	10 अगस्त
10. मानव तस्करी विधेयक आवश्यक है	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	लाइव मिंट	11 अगस्त
11. अन्याय की विरासत को खत्म करना	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	13 अगस्त
12. केरल बाढ़ की : त्रासदी के नेट न्यूट्रैलिटी नियमों पर	पेपर-III (आपदा प्रबंधन)	द हिन्दू	14 अगस्त
13. एनएचपीएम को बेहतर बनाना : आयुष्मान भारत	पेपर-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य)	द हिन्दू	16 अगस्त
14. ब्रेकिंग द रेडक्लिफ बैरियर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	17 अगस्त
15. नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	18 अगस्त
16. संप्रभुता और संवेदनशीलता : भारत-भूटान संबंधों पर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उनके पड़ोसी देश)	द हिन्दू	20 अगस्त
17. स्टे विथ आरसीईपी	पेपर-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	21 अगस्त
18. नए मार्ग का निर्माण : हाथी गलियारे की सुरक्षा पर	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण)	द हिन्दू	22 अगस्त
19. संघीय श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	23 अगस्त
20. क्या अनुच्छेद 35A को खत्म कर देना चाहिए?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	24 अगस्त
21. पहाड़ियों में परेशानी : पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	25 अगस्त
22. परिषद् पहेली : राज्यों में विधान परिषद पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	27 अगस्त
23. बाँध कैसे बाढ़ को नियंत्रित कर सकता है?	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द वायर	28 अगस्त
24. एशियाई सपने के टुकड़े : विरोधी कानून में हुए बदलावों पर	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	29 अगस्त
25. बिम्सटेक में चुनौतियां	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	30 अगस्त
26. शेल गैस चुनौती	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	31 अगस्त

* * *

CS World Committed To Excellence

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर : एक प्रश्न

01 अगस्त, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

*''हाल ही में असम में जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे से कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 40 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर किए जाने से उनके भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है और साथ ही एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक विवाद भी पैदा हो गया है।'' जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(स्तब्ध संख्याएँ : ड्राफ्ट एनआरसी पर)

''राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में बाहर किये गए लोगों के दावों से आरंभ करते हुए हमे ध्यान और मानवता के साथ इस मसले को हल करना चाहिए।''

सोमवार को प्रकाशित किये गये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे मसौदे से बाहर किए गए चार मिलियन से ऊपर लोगों की संख्या ने इन व्यक्तियों की कानूनी दर्जे के बारे में एक बड़े विवाद को जन्म दिया है।

31 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित पहली सूची के साथ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य और निगरानी अभ्यास से पहले अंतिम मसौदे का प्रकाशन दावों के अगले चरण में जाता प्रतीत हो रहा है, साथ ही यह कई चिंताओं का कारण भी बनता दिख रहा है।

देखा जाये तो, 31 दिसंबर 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था।

इसके अंतर्गत कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में तकरीबन 3.29 करोड़ आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया था।

सोमवार को जारी की गयी सूची में फिर से पूर्व विधायकों सहित कई उल्लेखनीय चूक देखी जा सकती है। इस तरह के एक बड़े अभ्यास को देखते हुए, इस कार्य का समय पर पूरा होने का श्रेय एनआरसी के नौकरशाहों और उसके 55,000 कर्मचारियों को जाना चाहिए।

लेकिन डिजिटलीकृत मैपिंग की एक कुशलतापूर्वक तैयार प्रणाली भी मानव इंटरफेस, व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह और 1951 के एनआरसी में अंतर्निहित त्रुटियों और 1961 और 1971 के चुनावी रोल के अधीन है जो इस 'डेटा' का मूल हैं।

राज्य को अब उन लोगों के संदर्भ में विचार करना होगा जिन्हें बाहर कर दिया गया है, अर्थात 40,07,707 व्यक्तियों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकता का उनका दावा इसकी प्रक्रियात्मक संपूर्णता में समाप्त हो गया है।

लेकिन यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है - यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग यहां लंबे समय से रह रहे हैं, या जिनका भारत के अलावा अन्य किसी और देश में घर नहीं है, किसी भी स्थिति में उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता हैं।

इस संदर्भ में, केंद्र और राज्य सरकारों को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस संबंध में आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दावों और आपत्तियों के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया की पद्धतियां अगस्त के मध्य तक सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएँगी, लेकिन यह भी संभव है कि इसे सितंबर तक बढ़ा दी जाये।

इंडियन एक्सप्रेस
(नॉट सो लाउड)

''एनआरसी धर्म, संस्कृति, जातीयता से संबंधित चिंताओं को बढ़ावा देता है। राजनीतिक नेताओं को सावधानी से पहल करते हुए इस मामले को ध्यान से संभालना होगा।''

सोमवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के जारी होने के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूची में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाहर किये गये लोगो को कानून के प्रावधानों के अनुसार अपने दावों और आपत्तियों को दर्ज करने का पूरा मौका दिया जाएगा।

दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही अंतिम एनआरसी प्रकाशित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति का नाम एनआरसी में दर्ज नहीं है उसे विदेशी के रूप में नहीं माना जाएगा।

सरकार द्वारा इस तरह से बरती गयी सावधानी, एनआरसी प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को शांत करने के लिए जरूरी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं ने 'गृहयुद्ध' की बात की है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने गृह मंत्री के नेतृत्व का समर्थन नहीं किया है।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन लोगों को एक और मौका देने के बारे में बात की जिन्हें इस सूची में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन अगर गृह मंत्री ने एनआरसी की उचित प्रक्रियाओं पर कार्य करने की बात कही है, तो शाह द्वारा पंजीकरण के बहिष्करण को आक्रामक रूप से लागू करने की आवश्यकता के बारे में बात किया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा, 'केवल वे लोग जो अपनी नागरिकता का सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, उन्हें मसौदे से बाहर रखा गया है।' एक प्रश्न यह है कि हम घुसपैठियों को प्रोत्साहित करके सीमाओं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

अन्य का विचार असम में नागरिकता पर अधिकांश भाषणों में बनाया गया है। 1970 और 1980 के दशक में छात्र आंदोलन जातीय चिंताओं के आस-पास निर्मित था - यह एक असमिया बनाम गैर-असमिया विभाजन था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी नियमों को बेहतर बनाने का थोड़ा प्रयास जरूर किया है जिसमें आवेदकों को विदेशी ट्रिब्यूनल के पास स्थानांतरित किया जायेगा, जहां पहले राज्य को ही इसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त था।

देखा जाये तो अभी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है, खासकर अंतिम एनआरसी सूची के बाद; इसलिए अब सरकार को यह सोचना होगा कि आगे क्या किया जाये। अंतत: भारत सूची से बाहर होने वाले लोगों के भाग्य का फैसला कैसे करेगा, यह देखना बाकी है।

ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सीमा पारकर के आने वाले लोगो को तुरंत गिरफ्तार करना और उन्हें निर्वासित करना एक अलग बात है।

लेकिन जब लोगों को इतने लंबे समय तक भारत में रहने की इजाजत दी जा चुकी है, जब उन्होंने अपनी जिंदगी यही गुजारी है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों का हिस्सा बन गए हैं, तो उन्हें सूची के आधार पर राज्यविहीन नहीं किया जाना चाहिए।

* * *

भाजपा का राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का मंत्र अधिक अविश्वास और सीमा राज्य में अनिश्चितता के माहौल को बढ़ा सकता है।

एनआरसी का उद्देश्य जातीयता, संस्कृति और धर्म के आसपास छह दशकों से अधिक समय के लिए उठाए गए प्रश्नों के समाधान पर पहुंचा था।

ये एनआरसी प्रक्रिया के रूप में दिखाए गए हैं, मुद्दे बेहद गंभीर हैं, इसलिए इसे संवेदनशीलता और देखभाल के साथ संभालने की आवश्यकता है। अभी भी वक्त है। राजनीतिक वर्गों द्वारा इस समस्या को हद से अधिक बढ़ जाने से पहले एक बेहतर पहल के साथ निपटाया जाना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे के जारी होने के साथ ही 40 लाख लोगों की नागरिकता सवालों के घेरे में आ गई है।
- हालांकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह फाइनल लिस्ट नहीं सिर्फ ड्राफ्ट है।
- नागरिकता के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को नागरिकता के योग्य पाया गया है।
- 31 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया था।

क्या है?

- असम में 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की शुरुआत हुई जिसमें नाम नहीं होने पर शख्स को अवैध नागरिक माना जाता है।
- यह व्यवस्था अपनाने वाला असम एकमात्र राज्य है।
- असम समझौता 1985 के मुताबिक 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ही भारतीय नागरिक है।
- 1951 में एनआरसी के निर्माण के बाद 1960 में एनआरसी डाटा पुलिस को सौंप दिया गया था।

क्या है मामला?

- एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- 1979 से 1985 के बीच ए.ए.एस.यू. द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था।
- यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।
- 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला।
- नागरिकों के सत्यापन का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2015 में शुरू हुआ था। इसमें 12 तरह के सर्टिफिकेटों व कागजात को नागरिकता का प्रमाण माना गया।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।
- असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे के प्रकाशन के आधार पर किसी के भी खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अभी सिर्फ एक मसौदा ही है।
- केन्द्र को निर्देश दिया कि इस मसौदे के संदर्भ में दावों और आपत्तियों के निरस्तारण के लिये मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाये।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया 16 तक उसके समक्ष मंजूरी के लिये पेश की जाये।
- यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उन सभी को समुचित अवसर मिलना चाहिए जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है।

अब आगे क्या?

- सूची में जगह नहीं बना पाने वाले लोगों के पास दावा करने का पर्याप्त मौका है।
- दावे और आपत्तियां 30 अगस्त से 28 सितंबर के दौरान दायर की जा सकती हैं।
- विदेशी ट्रिब्यूनल का रुख भी किया जा सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर विवाद है?
   (a) नागालैण्ड
   (b) असम
   (c) अरुणाचल प्रदेश
   (d) मिजोरम

2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की पहली सूची कब जारी की गई थी?
   (a) 18 जून, 2018
   (b) 31 दिसम्बर, 2017
   (c) 19 जुलाई, 2015
   (d) 30 अगस्त, 2005

3. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भारत का कौन-सा मंत्रालय संबद्ध है?
   (a) मानव संसाधन मंत्रालय
   (b) श्रम मंत्रालय
   (c) गृह मंत्रालय
   (d) ऊर्जा मंत्रालय

1. **There is a dispute on the Bangladeshi tresspassers in which of the state of India under National Register of Citizens?**
   (a) Nagaland
   (b) Assam
   (c) Arunachal Pradesh
   (d) Mizoram

2. **When was the first list of National Register of Citizens released?**
   (a) 18 June, 2018
   (b) 31 December, 2017
   (c) 19 July, 2015
   (d) 30 August, 2005

3. **Which Ministry of India is related to National Register of Citizens?**
   (a) Ministry of Human Resource Development
   (b) Ministry of Labour
   (c) Home Ministry
   (d) Ministry of Energy

नोट :

31 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(b), 3(b) होगा।

GS World
mitted To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत में अवैध घुसपैठ के संदर्भ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस प्रकार मजबूत ढाँचा का निर्माण करेगा? एनआरसी की प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें?

(250 शब्द)

Q. How will National Register of Citizens build a strong structure regarding illegal tresspassing in India? Also Discuss the main challenges of NRC.

(250 Words)

ऑक्सीटोसिन के प्रतिबंध पर पुनर्विचार की आवश्यकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (जैव प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

02 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर कठोर नीति गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम का कारण बन सकता है।''

ऑक्सीटोसिन की खुदरा बिक्री और निजी निर्माण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिबंध, 1 सितंबर से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है, जो एक बेहद खराब विचार है। यह दवा मानव हार्मोन का कृत्रिम संस्करण है जो महिलाओं के लिए एक जीवन-रक्षक के समान है।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय होने वाली पीड़ा को कम करने और प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं।

मातृ स्वास्थ्य में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे बेहतर दवा के रूप में सिफारिश की है।

लेकिन, सरकार के प्रतिबंध ने इसके महत्व को नजरअंदाज कर दिया है और विदित हो कि यह प्रतिबंध डेयरी उद्योग में हार्मोन के दुरुपयोग से प्रेरित है।

चूंकि ऑक्सीटोसिन आमतौर पर डेयरी उद्योग में दुधारू पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए पशुओं को इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वे किसी भी समय दूध दे सकने में सक्षम हो जाये।

इसने कई अनसुलझे समस्याओं को जन्म दिया है जो पशु चिकित्सा उपयोग के लिए दवा का निर्माण करते हैं।

यह एक समस्या है जिसे हल करने की जरूरत है। लेकिन सही दृष्टिकोण विनियमन को मजबूत करने और अवैध उत्पादन पर पहले रोक लगाना होगा।

पशुओं पर ऑक्सीटोसिन के दुष्प्रभावों के बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, इसलिए इसका उपयोग बेहिसाब किया जाता है जिसके फलस्वरूप पशुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऑक्सीटोसिन के अधिक उपयोग से डेयरी जानवरों में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कुछ अध्ययनों में इसे सही भी साबित किया गया है।

इसके कारण ये मैस्टाइटिस यानि स्तन में सूजन की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। देखा जाये तो, इनमें से कुछ दावों के पीछे विज्ञान अस्पष्ट है।

2015 में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह कहा था कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ऑक्सीटोसिन से पशुओं में बांझपन की समस्या होती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के शोधकर्ताओं द्वारा 2014 में किये गये एक अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया था कि भैंस के दूध में इंजेक्शन के बाद ऑक्सीटोसिन का अंश परिवर्तित नहीं होता है।

अगर यह मान भी लिया जाये कि ऑक्सीटॉसिन का दुष्प्रभाव वास्तविक और व्यापक हैं, तो भी प्रतिबंध एक हल नहीं हो सकता। ऑक्सीटॉसिन भारतीय महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसा इसलिए भी क्योंकि, हर साल 45,000 महिलाएं प्रसव से संबंधित कारणों से मर जाती हैं। यह मनुष्यों और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के समान स्थिति के समानांतर है। इतने भारी रूप से इन दवाओं का उपयोग किया जाता है जसके कारण वे प्रतिरोधी बनने के लिए घातक बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं।

फिर भी, एंटीबायोटिक्स की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बावजूद, भारत इस पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहा है।

अधिकांश ग्रामीण भारत में, लोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध की तुलना में एंटीबायोटिक दवाओं की कमी के कारण अधिक जान गवां देते हैं।

इसने सीधे प्रतिबंधों के खिलाफ लागत-लाभ अनुपात को पलट दिया है। ऑक्सीटोसिन के मामले में, यदि केवल एक ही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में दवा बनती है (सरकार की योजना के अनुसार) तो इससे दवा की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना कई गुणा बढ़ जाती है।

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऑक्सीटोसिन के निर्माण के साथ काम करने वाले दवा निर्माता को पांच अंतरराष्ट्रीय इकाई (आईयू) समाधान के 1 मिलीलीटर के लिए ₹ 16.56 पर कीमत को कैप करने के लिए कहा गया है। हालांकि, कुछ निजी निर्माता इसे अब तक ₹ 4 पर बेच रहे थे। यह एकाधिकार उत्पादन बाजार से कम कीमत वाले विकल्प को हटा देंगे। ऐसी स्थिति पशुओं को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन साथ ही साथ इससे कई महिलाओं का जीवन भी खतरे में आ जायेगा।

* * *

ऑक्सीटोसिन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीटोसिन के आयात पर बैन लगा दिया गया है।
- ऑक्सीटोसिन के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- ऑक्सीटोसिन फॉर्मूलेशन को नियमन और रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में केवल पंजीकृत अस्पतालों और क्लीनिकों को ही आपूर्ति की जा सकती है।
- कर्नाटक एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), इस दवा का निर्माण करता रहेगा। अन्य सभी कंपनियों के लिए इसका निर्माण बैन है।

पृष्ठभूमि-

- भारत सरकार ने 2014 में इसकी खुदरा बिक्री रोक दी थी।
- मार्च 2016 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑक्सीटोसिन के निर्माण को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित करने का आदेश दिया था।
- जिन कंपनियों ने पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, उन्हें इस दवा का निर्माण न करने के निर्देश भी दिये गये थे।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

- कुछ डेयरी मालिकों और किसानों द्वारा दूध उत्पादन और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए इसका अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने के मामले प्रकाश में आए थे।
- दुधारू जानवरों से ज्यादा और जल्दी दूध निकालने के लिये किया जाने वाला इसका प्रयोग अवैध उपयोग के दायरे में आता है।
- इसकी रोकथाम के लिये ही क्रूरता एक्ट के तहत पशुपालन विभाग की शिकायत पर कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी (एफएसडीए) स्तर पर होती है।
- हालांकि, इसकी अवैध बिक्री को रोकने के प्रयास में सीमित सफलता ही मिली है और इसकी आयात की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

क्या है?

- यह एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण आक्सीटोसिन को प्यारा हार्मोन व आनंद हार्मोन आदि नामों से भी जाना जाता है।
- यह हार्मोन और मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में कार्य करता है।
- पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने से दो कार्यों को नियंत्रित करती है: चाइल्डबर्थ और ब्रेस्ट-फीडिंग।

लाभ-

- यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं एवं पशुओं दोनों को प्रसव के समय पर दिया जाता है, ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए।
- साथ ही प्रसव के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिये भी उपयोग किया जाता है।
- धारा 26A के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय दिये जाने के कारण ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

हानि-

- ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के कारण दुधारू पशुओं में बाँझपन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- इसके ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर और हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है।
- ऑक्सीटोसिन देकर निकाले गए दूध या इससे बड़ी की गई सब्जियों के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इससे साँस लेने में दिक्कत आ सकती है।
- लगातार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग कर निकाले गए दूध को पीने से छोटे बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन और लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी शुरू हो सकती है।

नोट

हांलाकि, इस पर प्रतिबंध लगने से आने वाले दिनों में अस्पतालों में ऑक्सिटोसिन की काफी कमी देखने को मिल सकती है और इसकी काला बाजारी भी बढ़ सकती है।

सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बगैर किसी तैयारी और विकल्प के कैसे सरकार ने इसके इस्तेमाल, इंपोर्ट और मैन्यूफ्रेक्चरिंग पर रोक लगा दी और क्या एक कंपनी बाजार की मांग पूरी कर पाएगी।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. हाल ही में ऑक्सीटोसिन के खुदरा व्यापार एवं निजी निर्माण को प्रतिबंधित किए जाने की उम्मीद है।
   2. ऑक्सीटोसिन, मानव हार्मोन का कृत्रिम रूप है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

2. ऑक्सीटोसिन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इसका उपयोग सामान्यत: डेयरी उद्योग में दुधारू पशुओं के लिए होता है।
   2. यह गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पीड़ा एवं रक्त-स्रावण को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-
   1. The retail trade and private production of oxytocin is expected to be prohibited recently.
   2. Oxygocin is an artificial form of human hormone.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding the use of oxytoxin-
   1. It is generally used in dairy for miltch cattles.
   2. It is also used for reducing the labour and bleeding of pregnant women.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट :
01 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(b), 3(c) होगा।

World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र वर्तमान में ऑक्सीटोसिन का दुरूपयोग बहुत बढ़ गया है जिससे सरकार चिंतित है। क्या इस दुरूपयोग को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? न्यायसंगत उत्तर दीजिए।

(250 शब्द)

Q. The misuse of oxytocin has increased at present due to which government is concerned. Is it appropriate to ban oxytoxin to prevent its misuse. Justify your answer.

(250 Words)

डिस्काउंटिंग लॉजिक : ऑन ई-कॉमर्स पॉलिसी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

03 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''मसौदा ई-कॉमर्स पॉलिसी में लाइसेंस-राज युग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।''

देश में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए एक नियामक ढांचे को एक साथ रखने की प्रक्रिया अंततः तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टास्क फोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर राष्ट्रीय नीति तैयार की है, जिसका अब केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय थिंक टैंक द्वारा अध्ययन किया जाएगा।

भारत का ई-कॉमर्स व्यवसाय लगभग 25 अरब डॉलर के बराबर होने का अनुमान है, यह अभी भी देश के कुल खुदरा क्षेत्र का मात्र एक अंश है, लेकिन यह विलंब से हुए कुछ उन्मत्त गतिविधि का भी साक्षी रहा है, जिसमें देश में हुए कुछ विलय अर्थात फ्लिपकार्ट (जो सिंगापुर आधारित कंपनी है) और वैश्विक विशाल वॉलमार्ट भी शामिल है।

आने वाले दशक में, ई-कॉमर्स 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिसे सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते डेटा एक्सेस और बढ़ते व्यय का सहयोग मिलेगा।

मसौदा नीति पूरे उद्योग की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय नियामक के निर्माण का प्रस्ताव करती है, हालांकि इसकी विभिन्न सुविधाओं को परिचालित करने के लिए कई मंत्रालयों और नियामकों से कार्रवाई की आवश्यकता होगी। साथ ही इसके लिए मौजूदा कानून और नियम पुस्तिकाओं में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।

संभावित धोखाधड़ी से ऑनलाइन दुकानदारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण मानदंड भी अतिदेय हैं। 2017-18 के पहले आठ महीनों में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मामले मंत्रालय की हेल्पलाइन में 50,000 ई-कॉमर्स शिकायतें की गई थीं।

पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं ने भी बड़े ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के बारे में चिंता जताई है, जिनके पास बाजार से बाहर बड़ी संपत्ति हैं और ये एक स्तर के खेल के मैदान की तलाश कर रहे हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डेटा बेहद अहम है और इसे साझा करने की छूट से उनके कारोबार पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि मसौदे में इस मामले को श्रीकृष्ण समिति के सुझावों पर छोड़ दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डेटा के स्थानीयकरण एवं साझेदारी संभवतः ई-कॉमर्स की मसौदा नीति का अहम पहलू हो सकती है, बाकी चीजों से इस क्षेत्र पर खास असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, मसौदे से एक समेकित ढांचे को बनाने के लिए बहुत अधिक काम किया जाना बाकी है। मसौदे नीति में छूट का प्रस्ताव समस्याओं को जन्म देने वाला प्रतीत होता है जिसे ई-कॉमर्स फर्मों और मार्केटप्लेस ऑपरेटरों (ई-कॉमर्स कंपनियां) द्वारा समर्थित विक्रेताओं पर प्रतिबंधों द्वारा पेश किया जा सकता है।

इसका लक्ष्य बड़े खिलाड़ियों को अनुचित प्रथाओं के माध्यम से प्रतियोगिता से बाहर निकलने से रोकने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण इस क्षेत्र को निराश कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं को सूचित विकल्पों का चुनाव करने के बजाय सरकार द्वारा यह तय करना कि कौन किस उत्पाद पर कितने दिनों तक छूट दे सकता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रतिकूल पहल साबित होगा।

बाहर से आने वाले व्यवसायी जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, उन पर से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिबंध हटाया जाना, लेकिन साथ ही भारतीय भागीदार के शेयर को अधिक रखना होगा और सभी उत्पादों को भारत में बनाना होगा, तभी ये सफल हो सकेगा।

यह भारत की खुदरा एफडीआई नीति के समान लगता है जो अधिप्राप्ति फरमान के जैसा है जिसकी निगरानी करना आसान नहीं है।

स्थानीय स्तर पर डेटा भंडारण और प्रसंस्करण पर प्रस्तावित मानदंडों के कारण ई- खुदरा लागत भी बढ़ने की संभावना है, जबकि उपभोक्ता और फर्म दोनों रुपए कार्ड के माध्यम से भुगतान निर्धारित करने की योजना पर सवाल उठा सकते हैं।

प्रस्तावित ई-कॉमर्स पॉलिसी ऑनलाइन खुदरा बिक्री की योजना बनाने वालों को दूर कर सकती है और इससे रोजगार का सृजन और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का अवसर खत्म हो जाएगा।

* * *

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा पेश किया गया है। जिसमें ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक रेग्युलेटर बनाने का प्रस्ताव है जो इससे जुड़ी कंपनियों के कारोबार पर नजर रखेगा।
- मसौदे में भारतीय ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
- ब्रांडेड मोबाइल फोन, वाइट गुड्स और फैशन आइटम्स की थोक खरीदारी पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु-

- ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बड़ी खरीद के बल पर इन सामानों की कीमत कम रखे जाने का नुकसान खुदरा डीलर्स को उठाना पड़ता है।
- भारतीय और भारतीयों के नियंत्रण वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस को इन्वेंट्री रखने की इजाजत देने की बात कही गई है, बशर्ते वे सामान भारत में ही खरीदे गए हों।

नोट- इस मसौदे के मुताबिक विदेशी नियंत्रण वाली कंपनियों को यह छूट नहीं मिलेगी।

- किसी सामान के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना या झूठे ग्राहकों के जरिए समीक्षा लिखवाना अनुचित वाणिज्यिक गतिविधि के दायरे में आएगा।
- अभी तक कंपनियां यह कहकर निकल लेती थीं कि वे सिर्फ प्लैटफॉर्म मुहैया कराती हैं, सामान की गुणवत्ता को लेकर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आगे वे इतने सस्ते में नहीं छूट पाएंगी।
- फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा ऑनलाइन बिक्री कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के आंकड़े भारत में ही रखने पड़ेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन आंकड़ों तक सरकार की पहुंच होगी।
- भारत में ई-कॉमर्स का कारोबार सालाना 51 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

नीति की आवश्यकता क्यों?

- ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 2017-18 के पहले आठ महीनों में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मामले मंत्रालय की हेल्पलाइन में 50,000 ई-कॉमर्स शिकायतें की गई थीं।
- पिछले साल की समान अवधि में 54,872 शिकायतें मिली थीं। ऐसे में उन्हें कंपनियों की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (Electronic Commerce)

- यह इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है।
- इसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे- इंटरनेट के द्वारा होता है।
- इसे व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है।
- यह उपभोक्ताओं को समय या दूरी के बिना कई बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
- इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई-कॉमर्स के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है।

ई-कॉमर्स के उदाहरण-

- ऑनलाइन खरीदारी
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान
- ऑनलाइन नीलामी
- इंटरनेट बैंकिंग
- ऑनलाइन टिकट

लाभ-

- ई-कॉमर्स का उपयोग करते हुए, संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है।
- यह कंपनी की ब्रांड छवि को बेहतर बनाता है।
- यह संगठन को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है।
- यह व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है।
- यह कागज का काम बहुत कम कर देता है।
- इसने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि की।
- यह उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है इसलिए कम से कम समृद्ध लोग भी उत्पादों को खरीद सकते हैं।

हानियाँ-

- प्रतियोगिता स्थिति को विचारने में असमर्थ होते है।
- वातावरण की प्रक्रिया का पूर्वानुमान करने में अक्षमता होती है।
- उपभोक्ताओं को यह समझने में असफलता होती है कि वे ई-कॉमर्स के माध्यम से खरीददारी कैसे करे?
- बहुत सारे व्यक्ति किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इन्टरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं।
- इच्छित प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी कॉल्स तथा e-mail की आवश्यकता हो सकती है जो काफी खर्चो को बढ़ा देती है।
- ई-कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाजा खोल देता है। अत: ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।
- इसका प्रयोग मुख्य रूप से इन्टरनेट के माध्यम से किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से तीसरे पक्ष पर निर्भर करता है। अर्थात हम बिना इन्टरनेट के ग्लोबल मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इन्टरनेट तीसरे पक्ष की भूमिका को निभाता है।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य (ई-कॉमर्स) पर नियामक ढ़ाँचे की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करें-

1. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
2. भारत के वित्त मंत्रालय ने ई-कॉमर्स पर टास्कफोर्स के गठन का प्रस्ताव भेजा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. ई-कॉमर्स व्यापार के संदर्भ में क्या सत्य है/हैं?

1. वालमार्ट खुदरा व्यापार क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी है।
2. स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन भारत में सक्रिय व्यापार करते हैं।
3. भारत का ई-कॉमर्स व्यवसाय लगभग 25 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

3. ई-कॉमर्स संबंधित शिकायतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. संभावित धोखाधड़ी से ऑनलाइन दुकानदारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण मानदण्ड आवश्यक है।
2. ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतें उपभोक्ता मामले मंत्रालय से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements about the regulatory framework process on e-commerce-

1. A task force has been constituted under the Union Minister Suresh Prabhu.
2. Finance Minister of India has given a proposal to establish a taskforce on e-commerce.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. What is correct about e-commerce?

1. Walmart is the biggest company of retail business.
2. Snapdeal, Flipkart, Amazon perform active business in India.
3. There is an estimate that Indian e-commerce is about 25 billion dollar.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) 2 and 3
(c) 1 and 2
(d) 1, 2 and 3

3. Consider the following statements about e-commerce related camplaints-

1. Consumer protection norms are necessary for the protection of online vendors from possible online fraud.
2. E-commerce related complaints are associated with Ministry of Consumer Affairs.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

02 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र भारत में तेजी से बढ़ रहें ई-कॉमर्स व्यापार के संदर्भ में एक नियामक ढ़ाँचे की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत करें।

(250 शब्द)

A regulatory framework is needed in the context of fastly increasing e-commerce business in India. Give opinion in this context.

(250 Words)

GS World Committed to Excellence

कठिन दौर का अंत : के. एम. जोसेफ की नियुक्ति पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

04 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''अब, न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया का एक नया ज्ञापन पर सहमति होनी चाहिए।''

बेहतर समझ आखिरी समय में ही आता है। हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की नियुक्ति पर अपनी मंजूरी दे दी है। गौरतलब हो कि केंद्र ने पांच सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा इनकी नियुक्ति की सिफारिश के सात महीने बाद अपनी मंजूरी दी है।

कानून मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति का नाम वापस करने के बाद कॉलेजियम ने फिर से अपनी मूल सिफारिश को सही ठहराया था जिसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ की नियुक्ति करने के अलावा केंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

देखा जाये तो कॉलेजियम ने दो अन्य नामों के साथ अपने नाम की पुनरावृत्ति को जोड़ दिया था ताकि तीन चीफ जस्टिस की नियुक्ति एक बार में हो सके। हम सभी जानते है कि केंद्र को न्यायमूर्ति जोसेफ की नियुक्ति को लेकर आपत्तियां शुरुआत से ही थीं।

इसने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच वरिष्ठता की सापेक्ष कमी का एक मुद्दा बना दिया था, साथ ही केंद्र ने कहा था कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

केंद्र ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में असंतुलन के बारे में भी बात कही थी। हांलाकि, यह स्पष्ट था कि उनकी नियुक्ति कि सिफारिश को ठुकराने का केंद्र का यह तर्क बेबुनियाद और अपर्याप्त था।

अगर हम इसके इतिहास में झांके तो पाएंगे कि केंद्र का न्यायमूर्ति जोसेफ के प्रति ये रवैया केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने वर्ष 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। अब जब उनकी नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, तो अब ये सब मुद्दे प्रासंगिक नहीं होंगे।

हालांकि, सरकार का आचरण एक पैटर्न पर हो इसकी भविष्यवाणी नही कि जा सकती है। सरकार द्वारा अनुशंसित सूचियों को विभाजित किया जा रहा है और कुछ नामों को वापस लौटने या वापस लौटने के दौरान, कॉलेजियम द्वारा किये गये प्रस्तावों को चुनिंदा रूप से अनुमोदित किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति जोसेफ के मामले में, उनका नाम जनवरी में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के साथ केंद्र के पास भेजा गया था। हालांकि, तीन महीने बाद, सरकार ने न्यायमूर्ति जोसेफ की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार की मांग करते हुए, दोनों नामों में से केवल एक को मंजूरी दी।

लेकिन सरकार यह भूल गयी कि ऐसे फैसलों से न्यायाधीशों के बीच अंतर गहरा जाता है, यह एक ऐसा कारक है जो निर्धारित करता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा और कौन कॉलेजियम में शामिल होगा।

हांलाकि, न्यायिक क्षेत्र में ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए जब न्यायाधीशों के आचरण को लेकर भी सवाल उठे। हम यह भी मानते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा मनमाने तरीके या बगैर चयन प्रक्रिया पालन के हुई नियुक्तियों की आलोचक रही है लेकिन जजों की नियुक्ति के मामले में कोई नियम न बनाकर वह खुद को सुरक्षित बनाए हुए है। न्यायपालिका को आत्ममंथन की जरूरत है।

देखा जाये तो, केंद्र के पास सिफारिश पर पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार है, इसके लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर, इस पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि एक या दो नाम कई नामों के समूहों से रखे जाते हैं। पुनर्विचार की मांग के कारणों को हर तरह के उदाहरण के साथ स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

यहां तक कि मानक के अनुपालन में भी सिफारिश की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है और केंद्र लगातार इसमें विफल रहा है। हाल ही में, उसने दूसरी बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो नियुक्तियों के संबंध में एक सिफारिश वापस कर दी थी।

दूसरा मुद्दा निर्णय लेने में देरी है अर्थात निर्णय नहीं लेने के उद्देश्य से फाइलों पर कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में दिए गये बैकलॉग में।

वर्तमान विवाद भले ही समाप्त हो जाये, लेकिन अन्य मुद्दों का उभर कर आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यदि न्यायपालिका और सरकार लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को दूर करना चाहते हैं, तो नियुक्तियों की प्रक्रिया पर एक नए ज्ञापन पर सहमत होना होगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर पिछले काफी समय से चले आ रहे विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है।
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की उन सिफारिशों को मान लिया है, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को सबसे बड़ी अदालत में जिम्मेदारी दी जाने की बात कही थी।
- उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ के अलावा, 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गयी है जिसके बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।

केंद्र द्वारा सिफारिश अस्वीकार करने का कारण

- वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस के. एम. जोसेफ का नंबर 42वां है और हाईकोर्ट के करीब 11 जज उनसे सीनियर हैं।
- कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और कई हाईकोर्ट के अलावा सिक्किम, मणिपुर, मेघालय के प्रतिनिधि अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है।
- जस्टिस के. एम. जोसेफ केरल से आते हैं, अभी केरल के दो हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट में हैं।
- पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का ही एक सिस्टम है।
- अगर केरल के ही एक और हाईकोर्ट जज की नियुक्ति की जाती है तो यह सही नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज

- हाल ही में जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज बनी।
- इससे पहले फातिमा बीवी, सुजाता वी मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, आर भानुमती और इंदू मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं।
- जस्टिस इंदिरा बनर्जी के आने से और आर भानुमती व इंदू मल्होत्रा की मौजूदगी से सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्ट्रेंथ में महिला जजों की संख्या 3 हो गई है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर भारत के राष्ट्रपति ने इंदिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया।
- जस्टिस इंदिरा बनर्जी को 5 अप्रैल, 2017 को मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। उन्होंने जस्टिस किशन कौल की जगह ली थी, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय भेजा गया था।

केशवानंद भारती मामला

- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में यह विषय फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। जिस न्यायपीठ ने इसे सुना उसमें 13 न्यायाधीश थे।
- बहुमत अर्थात् 7 न्यायाधीशों ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य ठहराते हुए "गोलकनाथ मामले" में दिए फैसले को उलट दिया, किन्तु साथ ही एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का।
- परन्तु संविधान का संशोधन करके संसद् संविधान की आधारभूत संरचना (जिसे आधारभूत लक्षण भी कहा गया है) को न तो संक्षिप्त कर सकती है, न समाप्त कर सकती है और न नष्ट कर सकती है।
- गोलकनाथ मामले के बाद किसी भी मूल अधिकार को न तो छीना जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था।
- केशवानंद मामले के बाद न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि कोई मूल अधिकार आधारभूत लक्षण है या नहीं। यदि वह आधारभूत लक्षण है तो उसे कदापि हटाया नहीं जा सकता।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. न्यायमूर्ति के. एम.जोसेफ के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।
2. जोसेफ को हाल में केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति पर अपनी मंजूरी दे दी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का माध्यम क्या है?

(a) कानून आयोग की 6 सदस्यीय समिति द्वारा
(b) कालेजियम व्यवस्था द्वारा
(c) उच्च न्यायालय एकीकृत न्याय प्रणाली द्वारा
(d) उच्चतम न्यायालय, सरकार, विपक्ष की संयुक्त टीम द्वारा

3. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के विषय में निम्न क्या सत्य है?

1. उनका चयन सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश पद पर हुआ हैं
2. इसके पूर्व वो दिल्ली हाइकोर्ट की मुख्य न्यायधीश रह चुकी हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements about Justice K.M. Joseph-

1. Joseph has been the Chief Justice of Uttarakhand High Court.
2. Recently, centre has given approval for the appointment of Joseph as Supreme Court Judge.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. What is the medium for the appointment of Supreme Court Judges in India.

(a) 6 member committee of Law Commission
(b) Collegium System
(c) High Court Integrated Judicial System
(d) Joint team of Supreme Court, Government, Opposition

3. What is correct about Justice Indu Malhotra?

1. She has been appointed for the post of Supreme Court Judge.
2. She was earlier the Chief Justice of Delhi High Court.

Code:

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

03 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र न्यायपालिका और सरकार के मध्य व्याप्त तनावों से न्यायिक कार्य प्रणालियाँ प्रभावित होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? इस कथन के संदर्भ में तर्क सहित मत प्रस्तुत करें?

(250 शब्द)

Judicial working system is affected by the tension between judiciary and government. Do you agree? In this context, present logical view.

(250 Words)

CS World Committed To Excellence

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर समस्या

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-3 (आधारभूत संरचना, परिवहन) से संबंधित है।

06 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर अपने विरोध पर पुनर्विचार करना चाहिए।''

मोटर वाहन और परिवहन को नियंत्रित करने वाला भारत का कानून पुरातन है, जो तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रावधानों की कमी को दर्शाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में खामियों को सड़क सुरक्षा में सुधार, वाहनों के व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

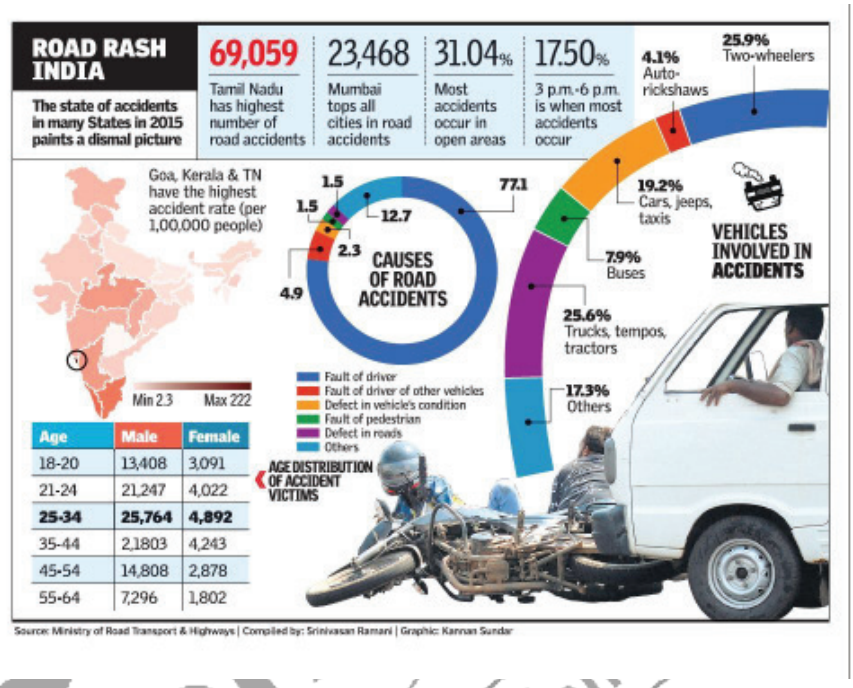

पिछले साल लोकसभा द्वारा पारित किये गये मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, इस समस्या का एक बेहतर प्रयास है, लेकिन अब राज्यसभा में राज्यों से केंद्र तक सत्ता की कथित बदलाव की वजह से यह राज्यसभा में विपक्ष पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है।

हांलाकि, यह मुद्दा विधायी क्षमता से संबंधित नहीं है। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए संसद राज्यों को कानून को परिभाषित करने वाली शक्तियां प्रदान कर सकती है।

कुछ राज्य सरकारें नए प्रावधान, धारा 66ए और 88ए के बारे में चिंतित हैं, जो परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से केंद्र को राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिए सशक्त बनाएगी, सहमति प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, अर्थात इसके लिए केंद्र राज्यों से सहमति नहीं लेनी पड़ेगी।

परिवर्तन ग्रामीण गतिशीलता और यहां तक कि अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय, बहु- मॉडल और वस्तु और यात्रियों के अंतर-राज्य संचरण के लिए केंद्रीय रूप से तैयार की जाने वाली योजनाएं भी जारी किए जाएंगे। चूंकि यह सब एक नए प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है जो इस क्षेत्र में परिवर्तन लायेगा, कई राज्यों ने प्रावधानों का विरोध संघीय विरोधी के रूप में किया है।

हालांकि, इस समस्या पर कुछ नहीं करना कोई विकल्प नहीं है। यात्री परिवहन क्षेत्र शहरों के भीतर परिचालन और अंतर-शहर सेवाएं प्रदान करता है जो निहित हितों के साथ पारदर्शिता और नियामक बाधाओं की कमी जैसे समस्याओं से घिर चुका है।

जैसे-जैसे समस्याएं सामने आती गयी हैं, राज्य संचालित सेवाओं ने समय के साथ तालमेल नहीं रखा। शहरी मेट्रो रेल प्रणालियों में किए गए प्रमुख निवेश पिछले कनेक्टिविटी सेवाओं की अनुपस्थिति में खराब परिणाम दे रहे हैं।

सेवाओं के व्यवस्थित विकास के लिए एक न्यायसंगत विनियामक ढांचा बनाना महत्वपूर्ण है। इसे मोटर वाहन अधिनियम में परिवर्तनों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो राज्यों के लिए मानक निर्धारित करता है। उपयुक्त परमिट शुल्कों के साथ राज्यों में अच्छी तरह से चलने वाली बस सेवाओं को सक्षम बनाने से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

बस सेवाओं के लिए पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में पेश किए गए नियामक परिवर्तनों ने यूरोपीय संघ के सदस्य-राज्यों में प्रतिस्पर्धा, कम किराए और बढ़ी हुई सेवाओं को बढ़ावा दिया है। प्रस्तावित संशोधन के अन्य पहलुओं में सड़क सुरक्षा की बात की गयी हैं। हालांकि, जब तक राज्यों द्वारा मजबूत प्रवर्तन नहीं किया जाता है इसे हासिल नहीं किया जा सकता है।

डीलरों के लिए सीधे नए वाहनों को पंजीकृत करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में संस्थागत भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन सक्षम करना स्वागतयोग्य पहल है।

यहाँ नियमों के उल्लंघन के लिए तेजी से जुर्माने को बढ़ाने जैसा उपाय बेहतर साबित हो सकता हैं। यह प्रवर्तन, शून्य सहिष्णुता और बढ़ती जुर्माना की निश्चितता है जो वास्तव में काम करेगा।

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सीसीटीवी निगरानी सहित दोहन प्रावधानों के लिए कुछ नए प्रावधान हैं, लेकिन जब तक इन्हें बेहतर क्रियान्वयन के साथ लागू नहीं किया जाता तब तक ये परिणाम नहीं दे सकते हैं।

GS World टीम...

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

चर्चा में क्यों?

- सड़क सुरक्षा संगठनों के गठबंधन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 संसद के आने वाले सत्र में पारित करवाए।
- सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस विधेयक के पारित होने को देश में सड़क सुरक्षा के निराशाजनक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम बताया है।
- यह विधेयक 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में अहम संशोधनों के लिए लाया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है जिसकी अनुशंसा 'एस.सुंदर समिति' द्वारा की गई थी।
- इसमें सड़कों की डिजाइन, निर्माण एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा एवं सड़क दुर्घटनाओं के लिये उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- यह विधेयक इसके पूर्ववर्ती 2016 के संशोधन विधेयक में उपलब्ध 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' के लिये देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त करता है।
- यह विधेयक ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- यह ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आधार संख्या को भी अनिवार्य करता है।
- शराब पीकर वाहन चलाना, खराब वाहन चालन एवं सुरक्षा मानदंडों के गैर-अनुपालन पर कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक में वाहन चलाते हुए पकड़े गए अव्यस्कों के माता-पिता के लिये तीन वर्ष का कारावास तथा पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

लाभ

- सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- प्रत्येक स्तर पर सरकारों के साथ-साथ नगरिकों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि को भी जिम्मेदार बनाने का दायित्व तय किया गया है।
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड आरोपित कर यह सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।
- लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने एवं इसे आधार संख्या से लिंक करने के कारण यह फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा।
- यह लाइसेंस प्राप्त करने में राजनीतिक प्रभाव को कम करेगा।
- इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पंजीकरण के हस्तांतरण की सुगमता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

* * *

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में क्या सत्य हैं?

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पारित हुआ।
2. तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के प्रबंधन के दृष्टिकोण से इस अधिनियम में अनेक कमियां हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. सड़क दुर्घटना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी किए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में पिछले साल महल 3 फीसदी कमी आई है।
2. भारत सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा पत्र के अनुसार तय किए गए 2032 तक 50 फीसदी के लक्ष्य से बहुत दूर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. परिचालन सेवाओं के लिए एक विनियामक ढांचा कर निर्माण के संबद्ध में विचार करें-

1. मोटरवाहन अधिनियम में परिवर्तन करके ऐसे ढ़ाचे का निर्माण संभव है।
2. सेवाओं के व्यवस्थित विकास में यह ढांचा महत्वपूर्ण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Which is correct regarding motor vehicle Act?

1. Motor Vehicle Act was passed in 1988.
2. There are many faults in this act in view to the management of number in fast increasing vehicle.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding road accidents-

1. There has been only 3 % decrease in last year in deaths in road accident even after monitoring by Supreme Court.
2. India is far from the objective of 50% by 2030 according to the Brasilia declaration of on road safety.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements related to the formation of a regulation structure for transport services-

1. The formation of this structure is possible by changing the motor vehcile act.
2. This structure is necessary in systematic development of services.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

04 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र 'परिचालन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन, संचालन के संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन की आवश्यकता है।' इस संदर्भ में मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करें।

(250 शब्द)

The amendment in the Motor Vehicles Act 1988 is necessary for the better management operation of transport services. In this context, discuss major challenges.

(250 Words)

असम के लिए अनुचित एनआरसी मसौदे के प्रकाशन पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

07 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''राजनीतिक दलों को असम की जनसांख्यिकी की जटिलताओं पर खुशी जाहिर करना बंद कर देना चाहिए।''

यह बात आश्चर्यचकित करती है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी, राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर बेपरवाह है। एनआरसी की तैयारी से जुड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समन्वयक, प्रतीक हाजेला समेत यह दु:ख के साथ इंगित करते हैं कि इस मसौदे का कोई अंत नहीं है।

मसौदे से 40 लाख से ज्यादा लोग जिनके नाम गायब हैं, उनके लिए एनआरसी सेवा केंद्रों में एक श्रेणीबद्ध अपील प्रक्रिया की सुविधा की गयी है।

इस स्थिति में सूची में पुनर्वास की विफलता पर, वे जिला मजिस्ट्रेट, विदेशी ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है और एक परिपक्व राजनीति ही यह सुनिश्चित कर सकेगी कि कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा कागजी कार्य से निपटने के लिए कानूनी और अन्य सहायता के विलंब के कारण फंसे हुए ना रह जाए।

हम जानते हैं कि असम देश में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। एनआरसी वो प्रक्रिया है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से देश में गैर-कानूनी तौर पर रह रहे विदेशी लोगों को खोजने की कोशिश की जाती है।

अगर कोई असम का नागरिक है और देश के किसी दूसरे हिस्से में रह रहा है या काम कर रहा है, तो उसे एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराने की जरूरत है। दरअसल यह पूरा मामला असम आंदोलन से जुड़ा हुआ है।

1985 का समझौता बांग्लादेश से अवैध आव्रजन (इमिग्रेशन) के खिलाफ 6 साल तक हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नतीजा था। इसे असम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत का 4156 किलोमीटर की सीमा का हिस्सा लगता है।

प्रक्रियाओं की जटिलता को कम करने वाले पक्षों के साथ, एक बेहतर राजनीतिक प्रदर्शन के बिना इसे सुलझाया नहीं जा सकता।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों, विशेष रूप से कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियों का जाल बिछा दिया है, ताकि वे बांग्लादेशी प्रवासियों पर अपना रुख स्पष्ट कर सकें और यह स्पष्ट कर सकें कि वे चाहते क्या हैं, अर्थात उन्हें यहाँ रहने दिया जायेगा या उन्हें यहाँ से बेदखल कर दिया जायेगा।

देखा जाए तो कुछ बीजेपी नेताओं ने हर राज्य में एनआरसी के पक्ष में बात की है, जिसने इस मुद्दे को एक खतरनाक सांप्रदायिक मोड़ दिया है।

साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि असम में एनआरसी की कवायद लोगों को विभाजित करने की 'राजनीतिक मंशा' के तहत की गई है। इससे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है और खूनखराबा भी हो सकता है।

नेताओं को यह समझना चाहिए कि उन लाखों व्यक्तियों में से प्रत्येक जो खुद को सूची में नहीं पाते हैं, वह भी एक इंसान है। सूची में से लोग भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों के रूप में हटते जा रहे हैं।

दरअसल, असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल जो बीजेपी से है, उन्होंने भी इस संदर्भ में काफी परामर्श दिया है, लेकिन उनकी एक ना सुनी गयी। समान रूप से, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति आवश्यक प्रश्नों का सामना करने से बच रही है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में ऐसे कठिन प्रश्न दर्ज हैं, जिनके उत्तर बेहद जटिल हैं. देश, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीयों को ये उत्तर खोजने में बेहद संवेदनशीलता बरतनी होगी। यह राजनीतिक नफा-नुकसान का नहीं, लाखों नागरिकों की जिंदगी का सवाल है।

* * *

GS World टीम...

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे के जारी होने के साथ ही 40 लाख लोगों की नागरिकता सवालों के घेरे में आ गई है।
- हालांकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह फाइनल लिस्ट नहीं सिर्फ ड्राफ्ट है।
- नागरिकता के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को नागरिकता के योग्य पाया गया है।
- 31 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया था।

क्या है?

- असम में 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की शुरुआत हुई जिसमें नाम नहीं होने पर शख्स को अवैध नागरिक माना जाता है।
- यह व्यवस्था अपनाने वाला असम एकमात्र राज्य है।
- असम समझौता 1985 के मुताबिक 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ही भारतीय नागरिक है।
- 1951 में एनआरसी के निर्माण के बाद 1960 में एनआरसी डाटा पुलिस को सौंप दिया गया था।

क्या है मामला?

- एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- 1979 से 1985 के बीच ए.ए.एस.यू. द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था।
- यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।
- 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला।
- नागरिकों के सत्यापन का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2015 में शुरू हुआ था। इसमें 12 तरह के सर्टिफिकेटों व कागजात को नागरिकता का प्रमाण माना गया।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।
- असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे के प्रकाशन के आधार पर किसी के भी खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अभी सिर्फ एक मसौदा ही है।
- केन्द्र को निर्देश दिया कि इस मसौदे के संदर्भ में दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिये मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया 16 तक उसके समक्ष मंजूरी के लिये पेश की जाए।
- यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उन सभी को समुचित अवसर मिलना चाहिए जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है।

अब आगे क्या?

- सूची में जगह नहीं बना पाने वाले लोगों के पास दावा करने का पर्याप्त मौका है।
- दावे और आपत्तियां 30 अगस्त से 28 सितंबर के दौरान दायर की जा सकती हैं।
- विदेशी ट्रिब्यूनल का रुख भी किया जा सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. असम आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. यह आंदोलन अवैध आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़ा है।
2. यह बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के खिलाफ 6 साल तक हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. असम देश में दूसरा राज्य है जिसका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है।
2. नागालैंड में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1987 में निर्मित हुआ था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

3. भारत-बांग्लादेश सीमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. भारत के अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा जुड़ी है।
2. बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4156 किमी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding Assam Movement.

1. This movement is related to illegal immigration.
2. It is related to the six year long violent rebellion against the illegal trespassing from Balgladesh.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding the National Register of Citizens-

1. Assam is the second state which has National Register of Citizens.
2. National Register of Citizens was formed in 1987 in Nagaland.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements regarding India-Bangladesh Border-

1. India shares the longest boundary with Bangladesh in comparison to other neighbour countries..
2. India has 4156 km long boundary with Bangladesh.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :
06 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संदर्भ में असम राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें?

(250 शब्द)

Discuss the challenges infront of Assam state regarding National Register of Citizens.
(250 Words)

साउथ पैसिफिक सिल्क रोड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

08 अगस्त, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - सी राजा मोहन (निदेशक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान)

चीन इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। और यहाँ भारत रणनीतिक सहयोग से अपना प्रभुत्व बढ़ा सकता है।

भारत चीन की सिल्क रोड महत्वाकांक्षाओं का सामना करने के लिए संघर्ष करने वाला अकेला देश नहीं है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी यह समझ में आ रहा है कि चीन ने दक्षिण प्रशांत पर इन दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को कमजोर कर दिया है।

अगर भारत ने उपमहाद्वीप में अपनी प्राथमिकता को मंजूरी दे दी है, तो ऐसा ही दक्षिण प्रशांत में कैनबरा और वेलिंगटन ने भी किया है। अब, तीनों अपने-अपने हिसाब से चीन के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

देखा जाये तो इन तीनो देशों की मनोदशा काफी हद तक एक समान हैं। उदाहरण के लिए, एक तरफ ग्वादर (पाकिस्तान) और हम्बनटोटा (श्रीलंका) में चीन के बंदरगाह निर्माण के रणनीतिक प्रभावों के बारे में दिल्ली चिंतित है।

तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इसलिए चिंतित है कि चीन वानुअतु में एक सैन्य सुविधा के लिए दबाव डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित, वानुअतु की आबादी केवल 2,50,000 लोगों की हैं, लेकिन इसके 80 द्वीप एक विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

बढ़ती समुद्री शक्ति के रूप में, दक्षिण प्रशांत द्वीपसमूह में चीन की बढ़ती दिलचस्पी मेडागास्कर, मॉरीशस, सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका समेत हिंद महासागर द्वीपों में अपनी बढ़ती सामरिक रुचि से बहुत अलग नहीं है।

सभी बड़ी समुद्री शक्तियां अपने लिए एक बेहतर आधार की तलाश करती हैं। अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती में चीन का सैन्य आधार बीजिंग के लिए पहला है, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा।

ऐसा भी नहीं है कि चीन ने अपने इरादों को छुपा रखा था। सहस्राब्दी के अंत में, चीन ने पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में अपनी परिधि विकसित करने पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का अनावरण किया था।

चीन बड़े कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने और फिर पड़ोसी देशों में सीमा पार करने पर जोर देता है। इसके तुरंत बाद, बीजिंग ने एक बोल्ड नौसैनिक रणनीति का अनावरण किया जो चीन की उभरती दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा था।

चूंकि चीन इस तथ्य के साथ सामने आया कि इसके आर्थिक और राजनीतिक हित अब इसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसलिए यह भारत के तत्काल पड़ोसियों सहित दुनिया भर में समुद्री बुनियादी ढांचे को विकसित करना शुरू कर दिया। इसने अपने वैश्विक रूप से फैले हुए हितों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य और अन्य क्षमताओं को भी बनाना शुरू कर दिया।

2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया, जिसके बाद कई प्रमुख परियोजनाएं उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने लगीं। इनमें तिब्बत रेलवे, कराकोरम राजमार्ग का आधुनिकीकरण और ग्वादर और हंबंटोटा जैसे रणनीतिक बंदरगाहों का निर्माण शामिल था।

चीन के सीमावर्ती उपमहाद्वीप से काफी दूर, बीजिंग ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में द्वीप राष्ट्रों में अपनी आर्थिक भागीदारी और सुरक्षा कूटनीति का विस्तार किया। हांलाकि, चीन द्वारा उठाया जा रहा कदम उसके हित के लिए बिल्कुल सही था और साथ ही वह विश्व स्तर पर उभरने के साथ उभरने वाली अनिवार्यताओं को कुशलता से संबोधित कर रहा था।

असल समस्या दिल्ली, कैनबरा और वेलिंगटन के साथ थी जो चीन की पूरी तरह से वैध आकांक्षाओं की सराहना करने और अपने संबंधित क्षेत्रों के रणनीतिक परिणामों का आकलन करने में बार-बार अक्षम साबित हो रहे थे।

वे यह भी देखने में नाकाम रहे कि बीजिंग के पास 'प्रभाव के विशेष क्षेत्रों' के लिए दिल्ली, कैनबरा और वेलिंगटन के दावों का सम्मान करने का कोई कारण नहीं था।

2017 में जहाँ एक तरफ चीन से पहले बेल्ट और रोड फोरम में भाग लेने के लिए बहुत दबाव दिया जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोस में बीजिंग की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक आलोचना कर रहा था। और यह केवल पिछले कुछ महीनों में ही हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने दक्षिण प्रशांत में चीन की सामरिक प्रेरणा से सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

पिछले महीने वेलिंगटन में जारी एक रक्षा नीति समीक्षा ने रेखांकित किया कि दक्षिण प्रशांत में चीन की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रोफाइल क्षेत्रीय व्यवस्था को उजागर कर सकती है और न्यूजीलैंड की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है।

दक्षिण प्रशांत में चीन की उधार नीतियों के परिणामों की ओर इशारा करते हुए, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री जूली बिशप ने जून में जोर देकर कहा कि कैनबरा यह सुनिश्चित करेगा कि दक्षिण प्रशांत द्वीप अपनी संप्रभुता बरकरार कैसे रख सकता है, क्योंकि उनके पास स्थायी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वह किसी भी अस्थिर ऋण परिणाम में फंस नहीं सकते।

इस क्षेत्र में बीजिंग के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ही ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी के बीच समुद्र के अन्दर इंटरनेट केबल बिछाने के चीन के हुवेई की कोशिशों पर लगाम लगा दिया। चीन की डिजिटल सिल्क रोड में बंधे क्षेत्र के संभावित खतरों को पहचानते हुए, कैनबरा ने कहा कि वो इस परियोजना की पूरी लागत अर्थात 100 मिलियन डॉलर का खर्च कर के इसे पूरा करेगा।

इसके अलावा, कैनबरा और वेलिंगटन अब द्वीप राष्ट्रों को अपनी आर्थिक सहायता बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सितंबर में नौरू में द्वीपों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में दक्षिण प्रशांत राष्ट्रों के साथ व्यापक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। कैनबरा और वेलिंगटन दक्षिण प्रशांत में अपनी राष्ट्रीय निगरानी क्षमताओं को भी अपग्रेड कर रहे हैं।

लेकिन, हम सभी जानते हैं कि चीन आसानी से हार मानने वाला है नहीं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में एशिया – प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के समय पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के नेताओं के साथ एक दूसरा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।

चार साल पहले, नवंबर 2014 में, शी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी में थे, जब दोनों ने द्वीपवासियों के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। तब से, दक्षिण प्रशांत में चीन की सहनशीलता बहुत तेज हो गई है। लेकिन दक्षिण प्रशांत में भारतीय सामरिक वादे को महसूस किया जाना अभी बाकी है।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संसाधन हमेशा सीमित रहेंगे, तो यह ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे अपने साथी देशों के सहयोग से इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है – जिनमें से सभी दक्षिण प्रशांत में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

* * *

GS World टीम...

क्वाड या चतुष्कोणीय गठबंधन

चर्चा में क्यों?

- चीन के आगामी महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर (वन बेल्ट वन रोड) के बढ़ते प्रभाव का अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश में है।
- इन देशों ने मिलकर संयुक्त क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा योजना पर वार्ता की है।

क्या है?

- फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान सम्मेलन से इतर अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ चतुष्पक्षीय (Quad) वार्ता शुरू की थी।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिलाकर एक चतुष्कोणीय समूह बनाया जाए, यह प्रस्ताव जापान द्वारा रखा गया था।
- इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और समावेशी बनाने के उपायों के अलावा आतंकवाद और उसके प्रसार जैसी साझा चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ आपसी संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार व्यक्त किये गए थे।

क्यों पड़ी आवश्यकता?

- चीन के बढ़ते प्रभुत्व एवं महत्त्वाकांक्षा पर लगाम कसने के उद्देश्य से अन्य वैश्विक शक्तियाँ चतुष्कोणीय गठबंधन बनाने पर जोर दे रही हैं।
- चीन का वन बेल्ट वन रोड पहल भी इसके पीछे प्रमुख कारण है।
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगले 20 वर्षों के अंदर चीन को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की योजना बनाई है।
- चीन को रोकने में सक्षम किसी वैकल्पिक शक्ति का अभाव भी इस तरह के गठबंधन के बनने का एक बड़ा कारण है।

क्वाड (QUAD) के संभावित लाभ

- चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को सफल बनाया जा सकेगा।
- यह साझेदारी वैश्विक शक्ति समीकरण पर गहरा असर डाल सकती है।
- यह एक-दूसरे के हितों की रक्षा के साथ-साथ परस्पर समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
- चीन की विस्तारवादी नीति इन चारों को यह प्रभावित कर सकती है।
- मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडारों और पूर्वी यूरोप के बाजारों तक हमारी आसान पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।
- यह गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया-प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद-प्रशांत संकल्पना की बात करता है और इसी को मजबूती देने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई है।

वन बेल्ट, वन रोड

- इसे वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी।
- इसे 'सिल्क रोड इकॉनमिक बेल्ट' और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड (वन बेल्ट, वन रोड) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक विकास रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
- इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन और समुद्र होते हुये एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है।
- इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा चीन अपना वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व बनाना चाहता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वानुअतु जो कि आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. वानुअतु की आबादी 2,50,000 है।
2. वानुअतु में चीन अपना सैन्य हवाई अड्डा खोलने का प्रयास कर रहा है।
3. वानुअतु 80 द्वीपों का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

2. चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. वन बेल्ट वन रोड राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वर्ष 2013 का महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
2. पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण इसका हिस्सा है।
3. म्यांमार का हम्बनटोटा को इस परियोजना का प्रमुख बंदरगाह माना जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 3

3. एपेक देशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. एपेक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच है।
2. नवम्बर 2018 में इसका सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding the Vanuatu which is situated in the north-east of Australia?

1. The population of vanuatu is 2,50,000.
2. China is trying to open its military air base in Vanuatu.
3. Vanuatu is a special economic zone of 80 islands.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 1, 2 and 3 (d) Only 3

2. Consider the following statements regarding the one belt one road initiative of China-

1. One belt one road is an ambitious project of President Xi-Jinping.
2. Construction of Gwadar Port is a part of this project.
3. Hambantota port of Myanmar is being considered a major port of this project.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 1, 2 and 3 (d) Only 3

3. Consider the following statements regarding APEC-

1. APEC is a forum of Asia- Pecific Economic cooperation.
2. Its conference was organised in papua new guinea in november, 2018.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट :

07 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन सरकार की आर्थिक गतिविधियां, इन देशों को सामरिक रणनीतिक रूप से चुनौती दे रहे हैं। इस संदर्भ में चर्चा करें। (250 शब्द)

Economic activities of China government in Asia-Pacific region is challenging the countries strategically. Discuss.

(250 Words)

GS World Committed To Excellence

35 A में निहित अति सूक्ष्म अंतर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

09 अगस्त, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - प्रताप भानु मेहता (अशोका विश्वविद्यालय, उप कुलाधिपति)

अनुच्छेद 35 *A* को रद्द नहीं करने के लिए कई मजबूत तर्क दिए जा चुके हैं। लेकिन हमें इसके बारे में इसके परे जाकर भी सोचना चाहिए।

कश्मीर में भारतीय राज्य की राजनीतिक वैधता बहुत ही पतले धागे पर लटक रही है। यह धागा 1949 में शेख अब्दुल्ला के साथ वार्ता का परिणाम है, जिसके कारण अनुच्छेद 370 को अपनाना पड़ा। हम संवैधानिक व्यवस्था पर जनसंख्या के आसान संवेदना का संग्रह कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एकमात्र तंत्र है जो भारतीय संघ को कानूनी रूप से कश्मीर में सत्ता का उपयोग करने की अनुमति देता है।

तथ्य यह भी है कि भारतीय राज्य के पास वादे, लोकतांत्रिक मूल्यों और विश्वासघात का लंबा रिकॉर्ड है। यहाँ स्थिति दमनकारी है। कानून के मामले में, अतीत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद की स्थिति पर विचार किया गया है।

कम से कम दो महत्वपूर्ण मामलों में अर्थात पुराणलाल लखनपाल बनाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अन्य (1962) और संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1969) मामले में, अदालत ने विवाद के मुद्दों में से एक को सुलझा लिया था।

एक अन्य दिलचस्प मामला, भले वह सीधे तौर पर 35ए से सम्बंधित नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रपति पद के संवैधानिक स्थिति से सम्बंधित जरूर है, और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम संतोष गुप्ता मामले में रोहिंटन फली नरीमन और कुरियन जोसेफ का एक निर्णय है।

माधव राव सिंधिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने इस विचार को कायम रखा कि भारतीय राज्य को परिग्रहण के विभिन्न उपकरणों में निर्धारित नियमों और शर्तों का सम्मान करने की आवश्यकता है। कुछ मायनों में, अदालत असम मामलों में राजनीतिक प्रक्रिया को शॉर्टकट करने के परिणामों का सामना कर रही है।

एक याचिका कश्मीरी पंडित महिलाओं ने भी डाल रखी है जिसमें लिंग आधारित भेदभाव का आरोप लगाते हुए अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने की मांग की गई है। महिलाओं का कहना है कि जम्मू एवं कश्मीर में पैदा होने के बावजूद अगर वे बाहर के राज्य के पुरुष से शादी कर लेती हैं तो उनका राज्य में संपत्ति खरीदने, मालिकाना हक रखने या अपनी पुश्तैनी संपत्ति को अपने बच्चों को देने का अधिकार खत्म हो जाता है।

बाहरी युवक से शादी करने के कारण उनकी राज्य की स्थाई नागरिकता खत्म हो जाती है जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। राज्य के पुरुष अगर दूसरे राज्य की महिला से शादी करते हैं तो उस महिला को भी राज्य के स्थाई निवासी का दर्जा मिल जाता है। इस तरह अनुच्छेद 35ए जम्मू एवं कश्मीर की बेटियों के साथ लिंग आधारित भेदभाव करता है।

यह एक मार्ग है जो न्यायालय अपना सकता है। इसके अलावा, राजनीति को अपने द्वारा किये गये नुकसान की मरम्मत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हो सकता है। यहां कुछ वास्तविक मानक मुद्दे हैं।

पूरी तरह से व्यक्तिगत अधिकार या आर्थिक एकीकरण परिप्रेक्ष्य से, 35 ए मामला स्पष्ट नहीं है। व्यापक स्तर पर, याचिका का विवाद यह है कि निवासियों और गैर-निवासियों के बीच अंतर करने वाले कोई भी प्रतिबंध स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण हैं।

यह विवाद बहुत व्यापक है: यह न केवल कश्मीर के संबंध में 35 ए को अवैध बनाएगा, बल्कि यह मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों से भी सम्बंधित है।

कुछ परिस्थितियों में, स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुति की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह सिद्धांत विषम संघवाद और अन्य सुरक्षा की एक श्रृंखला के पीछे है। चुनौती यह है कि इस सिद्धांत का प्रयोग राजनीतिक रूप से अधिक होता है।

यहाँ सवाल यह है कि अगर हम कश्मीर जनसांख्यिकी को बदलने के इच्छुक हैं, तो असम की जनसांख्यिकी को बदलने के बारे में हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? यह सोचना मूर्खतापूर्ण होगा कि इस सवाल को राजनीतिक वार्ता के बाहर सुलझाया जा सकता है।

तो यहां दो विकल्प हैं। पहला यह कहना है कि इन अन्यायों का अन्य माध्यमों से उपचार किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, जैसा कि भारतीय न्यायपालिका अक्सर करता है, आंशिक रूप से इन कमियों का उपचार करता है।

दूसरा विकल्प यह कहना है कि भेदभाव के मुद्दों की बात आती है जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर विधानसभा की दया पर पूरी तरह से ब्लैक बॉक्स जारी किए बिना 35 ए को बनाए रख सकता है। संक्षेप में, अधिक प्रचलित विकल्प हैं जो प्रतियोगी सिद्धांतों को संतुलित करते हैं।

लेकिन कोई कश्मीर पर संवैधानिक प्रवचन के अतियथार्थवाद पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। विडंबना यह है कि 35 ए, जो कश्मीर की जनसांख्यिकीय पहचान की रक्षा के लिए था, जातीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में से एक के खिलाफ एक बाधा साबित हुआ अर्थात कश्मीरी पंडितों का निष्कासन।

अनुच्छेद 370, जो जम्मू-कश्मीर की विशेष कानूनी स्थिति को रेखांकित करता है, ने वास्तव में किसी अन्य राज्य की तुलना में केंद्र को अनियमित शक्ति प्रदान की है। यहां 'विशेष स्थिति' शांति के लिए नुस्खा की तरह नहीं लगती हैं। राजनीति का पहला कार्य मामले को ठंडा करना है, न कि ध्रुवीकरण की आग को भड़काना है।

GS World टीम...

अनुच्छेद 35A

चर्चा में क्यों?

- जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 35ए की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गयी है।
- राज्य सरकार ने स्थानीय और पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए सोमवार को होने वाली सुनवाई टालने का आग्रह किया है।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं में अनुच्छेद 35ए के कारण वहां विभिन्न वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है।
- 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है।
- इसे संविधान के मूल भाग में नहीं, बल्कि परिशिष्ट (Appendix) में शामिल किया गया है।

परिभाषा

- अनुच्छेद 35A से जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है।
- इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे।

क्या है?

- संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सके।
- संविधान के अनुच्छेद 35A को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी।
- संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।
- सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए किया था।
- यह धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

हटाने की मांग क्यों?

- इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है।
- दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।
- नोट - अनुच्छेद 35A (कैपिटल ए) संविधान की किसी किताब में नहीं मिलता। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 35 (स्मॉल ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं।

विपक्ष में तर्क

- यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है, साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभाषी चरित्रों वाला है।
- इसे लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।
- विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।
- विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन (अनुच्छेद 14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 35 (A) भारत में ही दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।

पक्ष में तर्क

- यह राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।
- यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- इसके तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।
- घाटी में हालात अत्यंत ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमजोर करने का काम करेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. अनु॰ 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है।
2. यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. अनुच्छेद 35(A) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. यह जम्मू कश्मीर विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है।
2. यह अनुच्छेद कश्मीर की जनसांख्यिकी पहचान की रक्षा के लिए है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. माधवराव सिंधिया बनाम यूनियम आफ इंडिया वाद का संबंध किस विषय से है?

(a) केन्द्र स्तर की न्यायपालिका

(b) भारतीय राज्यों का परिग्रहण

(c) आपातकाल

(d) उच्च न्यायालय में जजो की नियुक्ति

1. Consider the following statements regarding article-370—

1. Article 370 is related to the state of Jammu and Kashmir.
2. Its provides Jammu & Kashmir a special status.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding article -35(A)—

1. It provides powers to Jammu & Kashmir Legislative Assembly.
2. This article protects the demographical identity of Kashmir.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

3. Madhav Rao Schindhiya Vs Union of India case is related to which subject?

(a) Judiciary at central level

(b) Accession of Indian states

(c) Emergency

(d) Appointment of Judges in High Court

नोट :

08 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अनुच्छेद 35 (A) के औचित्य पर विचार करें। क्या इसे रद्द कर देना चाहिए? अपने मत के पक्ष में उत्तर प्रस्तुत करें-

(250 शब्द)

Consider the relevance of articel-35(A). Should it be annuled? Present your opinion.

(250 Words)

CS World Committed To Excellence

एफआरडीआई विधेयक पर व्याप्त समस्या

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

10 अगस्त, 2018

द हिन्दू

केंद्र ने बड़ी बुद्धिमानी से एफडीडीआई विधेयक को वापस तो ले लिया है; लेकिन अभी भी जिन मुद्दों को हल करने की मांग की गई थी, वे अपनी जगह पर कायम है।

संसद में इसे पेश किये जाने के 12 महीने से भी कम समय में, केंद्र ने वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 को चुपचाप वापस ले लिया है।

इस हफ्ते कानून वापस लेने के लिए लोकसभा की मंजूरी लेने का निर्णय सरकार द्वारा स्पष्ट स्वीकृति है कि इसने प्रस्तावित कानून के सार्वजनिक विरोध की सीमा और तीव्रता को कम करके आंका है।

विधेयक में शामिल किये गये एक प्रावधान अर्थात 'बेल-इन' ने विशेष रूप से सबसे बड़ी बहस को जन्म दिया और कई आलोचनाओं का भी सामना किया है।

वह बैंक, जिनकी प्रकृति ही व्यापार करना है, अनिवार्य रूप से जमाकर्ताओं द्वारा उधार देने वाले संसाधनों के पूल के रूप में कार्य करने के लिए उनके द्वारा दिए गए धन पर निर्भर हैं, जिससे वे उधारकर्ताओं को क्रेडिट प्रदान करते हैं और उन्हें कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए जब एक जमाकर्ता को मालूम पड़ता है कि बैंक में उसके द्वारा मेहनत से कमाये गये पैसे को एक कानून से जोखिम है, तो वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित जरूर होगा।

इस विधेयक के बेल-इन प्रावधान के अनुसार, यह बिल सरकारी संस्था को अधिकार देता है कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे बैंक को बचाने के लिए जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल कर सके।

भले ही आपने अपनी सारी कमाई जमा की हो, पर सरकारी संस्था यह घोषणा कर सकती है कि बैंक की ओर से आपको कोई पैसा नहीं दिया जाना है। हांलाकि, यह जमाकर्ताओं के उस पैसे के साथ होगा, जो हमने अपने बच्चों और भविष्य के लिए बचाकर रखा है।

देखा जाये तो इस कानून के लिए सरकार ने जनता को आश्वस्त करने के लिए कड़े प्रयास किए हैं, बिल के लिए तर्क के साथ-साथ बेल-इन प्रावधान से संबंधित अंतर्निहित 'सुरक्षा उपायों' को समझाया। हालांकि, इसके प्रयासों ने फिलहाल थोड़ा ही रास्ता तय किया है।

केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने अंततः संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया है कि इस विधेयक की समीक्षा करते समय इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक परीक्षा और पुनर्विचार की आवश्यकता होगी और इसलिए सरकार ने इसे उपयुक्त समझते हुए बिल वापस ले लिया।

हालांकि, स्थिति खराब हो जाने के कगार पर बड़े वित्तीय निगमों से निपटने के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है, विशेष रूप से संक्रमित जोखिम को देखते हुए कि बैंक विफलता समग्र वित्तीय स्थिरता को तबाह कर सकती है।

इसलिए वित्तीय संस्थाओं के बीच दिवालियापन परिदृश्यों को हल करने के लिए मौजूदा ढांचे को फिर से तैयार करने के लिए एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने के लिए नीति निर्माताओं को इसे एक अवसर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

हालांकि ऐसी समीक्षा में बैंकिंग क्षेत्र में ऋण संकल्प के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, लेकिन इसे जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को मजबूत करने के तरीकों को भी देखना चाहिए।

1960 के दशक के आरंभ में दो बैंकों के पतन के बाद, डीआईसीजीसी, जो बैंक के परिसमापन के मामले में 1 लाख तक बैंक जमा की चुकौती की गारंटी देता है, ने 1993 से गारंटी के तहत राशि की समीक्षा नहीं की है।

इस विसंगति को अवश्य ही संबोधित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे समय में जब कई राज्य संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखाधड़ी और खराब ऋण के उच्च स्तर से रोका गया हो। कोई भी उपाय जो बैंकिंग प्रणाली में लोगों के विश्वास के क्षरण को रोकने में मदद करता है, निस्संदेह स्वागतयोग्य पहल है।

वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने लोकसभा में वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक-2017 (FRDI) को वापस ले लिया।
- सदन में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने उक्त विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव किया।
- इसमें विफल बैंकों के संबंध में समाधान के मार्ग के तहत राहत तथा बैंक जमा पर बीमा कवर के प्रस्ताव को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं।
- इस विधेयक को 10 अगस्त, 2017 को सदन में पेश किया गया था और इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था।

क्या है?

- एफआरडीआई बिल का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं (एनबीएफसी) कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों की दिवालिया होने के मामले में देखरेख के लिए एक ढांचा तैयार करना है।
- इसे 11 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- एफ.आर.डी.आई. विधेयक के 'संकट से उबारने' वाले प्रावधानों के संबंध में कुछ विशेष आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी।
- उम्मीद थी कि एफ.आर.डी.आई. विधेयक एक व्यापक समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करके बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत करेगा।
- इस विधेयक के अंतर्गत बैंकों और बीमा जैसे व्यवसायों में दिवालियापन को शामिल किया गया है।
- इस विधेयक में वित्तीय रिजॉल्यूशन के अंतर्गत पूंजी और परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर व्यवहार्यता आधारित 'भौतिक' अथवा 'आसन्न' जोखिम जैसी स्थितियों का सामना कर रहे बैंकों के किये समाधान को भी शामिल किया गया है।

विवाद का कारण

- इस विधेयक में 'बेल-इन' के प्रावधान का भी परिचय दिया गया था, जिसका उद्देश्य बैंक के नुकसान को अवशोषित करने और इसके अस्तित्व यानि बैंक की पूंजी को सुनिश्चित करने के लिये पूंजी प्रदान करना था।
- 'बेल-इन' का प्रावधान प्रस्तावित संकल्प निगम (Resolution Corporation) को बैंक द्वारा देय दायित्व को रद्द करने या किसी अन्य सुरक्षा के मौजूदा दायित्व के रूप को परिवर्तित करने का भी अधिकार प्रदान करता है।
- यह बिल सरकारी संस्था को अधिकार देता है कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे बैंक को बचाने के लिए जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल कर सके।
- भले ही आपने अपनी सारी कमाई जमा की हो, पर सरकारी संस्था यह घोषणा कर सकती है कि बैंक की ओर से आपको कोई पैसा नहीं दिया जाना है।

बेल इन क्या है?

- अगर किसी बैंक पर बंद होने का खतरा आता है तो बैंक अपने जमाकर्ताओं के पैसों का इस्तेमाल करके फिर से बाजार में रहने की कोशिश करेगी।
- जब बैंक फिर से अच्छी हालत में आ जाएगी तो वो पैसे वापस कर देगी।
- पहली बार बैल इन का जिक्र फ्रांस में G-20 के शिखर सम्मलेन के दौरान 2011 में किया गया था।

बेल आउट क्या है?

- इसमें किसी भी बैंक या वितीय संस्था के दिवालिया को रोकने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जायेंगे।
- जिसकी भरपाई सरकार अपने वितीय कोष के द्वारा करेगी अर्थात जो टैक्स सरकार को मिलता है उसी की मदद से वह बैंको को बंद होने से रोक सकेगी।

Comm

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **FRDI (एफआरडीआई) विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-**
   1. यह विधेयक 27 अगस्त, 2018 को राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पास कर दिया गया।
   2. वित्तीय समाधान जमा विधेयक FRDI 3 मार्च, 2017 को लोकसभा में पास किया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

2. **FRDI के प्रावधानों के विषय में क्या सत्य है/हैं?**
   1. यह बिल सरकारी संस्था को अधिकार देता है कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुँचे बैंकों को बचाने के लिए जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल कर सके।
   2. 'बेल-इन' प्रावधान इस विधेयक का सर्वाधिक विवादस्पद पहलू है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

3. **FRDI विधेयक के विषय निम्न कथनों पर विचार करें-**
   1. यह वित्तीय संस्थाओं के दीवालिया होने पर एक समाधान ढांचे का निर्माण करता है।
   2. व्यापक परीक्षा और पुनर्विचार के कारण सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

1. **Consider the following statements regarding the FRDI bill—**
   1. This bill was passed on 27 August, 2018 by Rajya Sabha with full majority.
   2. Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) bill was passed by Lok Sabha on 3 March, 2017.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

2. **Which is/are correct regarding the provisions of FRDI bill—**
   1. This bill provides the right to the government insitution to utilize the money of depositors for saving the banks which are on the brink of become bankrupt.
   2. 'Bill In' provision of this bill is the most controversial aspect.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

3. **Consider the following statements regarding the FRDI bill—**
   1. It is to create a framework on the bankruptcy of the financial institution.
   2. Government has withdrawn this bill after a comprehensive examination and reconsideration.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट :
09 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. वित्तीय समाधान और जमा विधेयक, 2017 के विवादास्पद पहलुओं पर चर्चा करें। **(250शब्द)**

Discuss the controversial aspects of Financial Resolution and Deposit Insurance bill, 2017. (250 Words)

मानव तस्करी विधेयक आवश्यक है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

11 अगस्त, 2018

लाइव मिंट

लेखक - तनिमा किशोर (अधिवक्ता, मानव तस्करी संस्थान, युगांडा)

हांलाकि, यह एक आदर्श कानून नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके खिलाफ कई आलोचनाएं कुछ गलतफहमी पर आधारित हैं।

हाल ही में जारी किये गये वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार, भारत में आधुनिक दासता के सात मिलियन से अधिक पीड़ित हैं और यह संख्या भारत जैसे बड़े देश के लिए भी एक खतरनाक संकेत है। पीड़ितों की संख्या हर साल बढ़ रही है, जबकि अपराधियों की सजा दर बेहद कम है। और देखा जाए तो यहाँ दोषसिद्धि ही एकमात्र मुद्दा नहीं हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रवेश करने वाली तस्करी के मामले केवल हिमशैल की नोक के समान हैं।

इन सभी का प्राकृतिक परिणाम यह है कि तस्करी सबसे कम जोखिम वाले अपराधों में से एक है, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में। ट्रैफिकर्स क्रूरता और हिंसा के लिए दंडित होने से नहीं डरते, वे अपने पीड़ितों को अपने अधीन करते हैं।

इस वास्तविकता के प्रकाश में, लोकसभा ने हाल ही में मानव तस्करी का सामना करने के लिए एक नया विधेयक पारित किया है। कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को इस नए प्रस्तावित कानून पर उनकी राय के लिए भी आग्रह किया गया था। जिसके इस संदर्भ में कई शिकायतें देखने को मिली हैं।

एंटी-ट्रैफिकिंग कानून पहले से ही अस्तित्व में था

भारतीय दंड संहिता की धारा 370 तस्करी को परिभाषित करती है और अपराधियों को दंडित करती है। इसके अलावा, अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए), 1956, जो यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित है और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मजबूर श्रमिकों के अपराधों से संबंधित है। तो ये कहना कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ने इस मुद्दे को पहले से ही स्वीकार कर लिया था और उस पर विचार करते हुए कार्य कर रही थी, गलत नही होगा। लेकिन आईटीपीए के कुछ प्रावधानों को छोड़कर कोई भी, पीड़ितों को कोई राहत या पुनर्वास प्रदान नही कर पाया है।

यह वह है जो आपराधिक न्याय प्रणाली के दृढ़ विश्वासों को सुरक्षित करने के प्रयासों को बाधित करता है। कोई गवाह/पीड़ित सुरक्षा तंत्र और कोई पुनर्वास योजना नहीं होने के कारण और अभियोजन पक्ष को साक्ष्य की कमी होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए मानव तस्करी के खिलाफ कानून अपराधी केंद्रित होने के बजाय पीड़ित केंद्रित होना चाहिए।

इस नए विधेयक को पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। यहाँ फोकस पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास पर है, जो आवश्यक भी है और वर्तमान में मौजूद कानूनों से गायब भी है। हमें अपने पीड़ितों के दिमाग में तस्करी करने वाले प्रभाव के गुरुत्वाकर्षण को याद रखने की जरूरत है। सालों से, स्थिति अब इतनी खराब हो गयी है कि पीड़ितों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया है कि वे शोषकों के चंगुल से बच नहीं सकते हैं।

यदि वे अपने शोषक लोगों के प्रति स्टॉकहोम सिंड्रोम अर्थात अपने शोषकों के प्रति विश्वास की भावनाओं को नहीं अपनाते हैं, तो भी वे उनके बारे में सच्चाई बताने से डरते हैं या उनके द्वारा दिए जा रहे प्रताड़ना के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हैं। साथ ही पीड़ितों का मुकाबला करने वाले तंत्र इस अपराध से निपटने के मामले में इसे अद्वितीय बनाती हैं। विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर विशेष इकाइयों के निर्माण की भी मांग करता है। जब मानव तस्करी जैसे अपराधों का मुकाबला करने के प्रयासों की दक्षता में वृद्धि की बात आती है तो यह दुनिया भर में एक सिद्ध विधि है।

सेक्स वर्कर्स का बचाव

आईटीपीए एक ऐसा कानून था जिसने सेक्स-तस्करी पीड़ितों और स्वैच्छिक यौन श्रमिकों के बीच उचित अंतर स्थापित नहीं किया। नया कानून पूरी तरह से तस्करी करने वालों पर केंद्रित है। अगर वयस्क महिलाओं/पुरुषों द्वारा इस कार्य को स्वेच्छा से किया जा रहा है तो यह वेश्यावृत्ति के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। देखा जाये तो कानून-प्रवर्तन अधिकारियों को अपनी वास्तविक भावना में कानून को लागू करने के लिए इसे संवेदनशील बनाना है।

कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां तक चिंता व्यक्त की है कि पीड़ितों के लिए, बचाव और पुनर्वास मॉडल प्रभावी नहीं है और वयस्कों के अधिकार का हनन करती है। यह आलोचना पुनर्वास और तस्करी बचे हुए लोगों के पुनर्निर्माण की वास्तविक जीवन सफल कहानियों की एक बड़ी संख्या को अनदेखा करती है। ये आलोचनाएं यौन उत्पीड़न से पीड़ित उदाहरणों पर उनके तर्क का आधार बनाती हैं, इसलिए मॉडल की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। हालांकि, यह तर्क पूरी तरह से असफल पुनर्वास के उदाहरणों पर आधारित प्रतीत होता है, जो कि बिल्कुल नया विधेयक संबोधित करना चाहता है।

यह पीड़ितों के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसके बजाय, यह कमजोर बचे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधानों के साथ पुनः एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। नए विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण किया गया है ताकि तस्करी बचे हुए लोगों के अधिकारों का हनन ना किया जा सके; उनकी गरिमा को प्रमुख महत्व दिया गया है।

ट्रैफिकिंग एक आपराधिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक समस्या है

अधिकांश अपराधों की जड़ें सामाजिक आर्थिक समस्याओं में निहित होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आपराधिक नहीं माना जाये। निश्चित तौर पर बिना किसी संदेह के रोकथाम के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीबी और बेरोजगारी लोगों को तस्करी करने के लिए कमजोर बनाती है और इसे संबोधित करने की जरूरत है। तस्करी करने वाले लोग ही तस्करी करते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले ही इस आलेख में बताया जा चुका है, तस्करी आज प्रतिबद्ध करने के लिए सबसे कम जोखिम अपराधों में से एक है और इसे बदलने की जरूरत है।

यह एक आदर्श कानून नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले से बेहतर कानून है। विधेयक के खिलाफ कई आलोचनाएं कुछ गलतफहमी पर आधारित लगती हैं। यह विधेयक यौन संबंधित कार्यों को अपराध नहीं मानता, यह संस्थागतकरण को प्रोत्साहित नहीं करता है, यह अवैध कार्यों के लिए सहमति प्रदान नहीं करता और न ही यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है।

इसकी दक्षता कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लागू करने और प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी। मानव तस्करी एक बेहद गंभीर अपराध है और इसका मुकाबला करने के लिए एक कठोर तंत्र की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि ये सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास लंबे समय से चले आ रहे युद्ध में कम से कम कुछ लड़ाई जीतने में उपयोगी सबित होगी।

* * *

GS World डेस्क...

वैश्विक दासता सूचकांक 2018 की रिपोर्ट

- हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक, 2018 की रिपोर्ट जारी की गई।
- यह ऑस्ट्रेलिया स्थित मानवाधिकार समूह वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसे 48 देशों में आयोजित 54 सर्वेक्षणों के डेटा पर तैयार किया गया है।
- 167 देशों में से, भारत 53वां स्थान पर रहा।
- यहां प्रति 1000 व्यक्ति पर दासता का जीवन जी रहे लोगों की संख्या 6.1 है।
- इस मामले में उत्तर कोरिया शीर्ष पर आता है। यहाँ प्रति हजार व्यक्ति पर 104.6 लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं।
- चीन, जो कि एक गैर लोकतांत्रिक देश है, सूचकांक में प्रति हजार पर 2.8 व्यक्ति की दर के साथ सूचकांक में 111वें पायदान पर है।
- जापान 0.3 प्रति 1,000 की निम्नतम प्रसार दर दर्ज कर रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में भारत में करीब 8 मिलियन लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे।
- यह आंकड़ा विश्व के किसी भी देश से अधिक है।
- वैश्विक स्तर पर, आधुनिक दासता के पीड़ितों के लगभग तीन-चौथाई (71%) महिलाएं और लड़कियां हैं।
- आधुनिक दासता के सभी रूपों में पुरुष पीड़ितों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं।
- आधुनिक दासता में लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले 10 देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, नाइजीरिया, ईरान, इंडोनेशिया, कांगो, रूस और फिलीपींस शामिल हैं।
- इन 10 देशों में आधुनिक दासता का 60% लोग रहते हैं।

मानव तस्करी (बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करों की कैद से आजाद हुए लोगों ने सांसदों और सामाजिक संगठनों से मिलकर मानव तस्करी (बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को संसद के इस मानसून सत्र में जल्द पारित कराने का अनुरोध किया।
- उन्होंने सरकार से अपील की है कि बिल में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वयस्क श्रमिकों को कार्य के लिए प्रेरित करने वालो को इस नए कानून के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

मानव तस्करी क्या है?

- इसमें किसी से भी जबरदस्ती मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिये किसी व्यक्ति को रासायनिक पदार्थ या हार्मोन देना, विवाह के लिये या विवाह के बहाने से या विवाह के बाद महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना शामिल है।
- मानव तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता के लिये जाली प्रमाण-पत्र बनाने, छापने और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिये जालसाजी करने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह तस्करी के बढ़ते रूपों को ध्यान में रखता है।
- पीड़ितों के पुनर्वास और त्वरित सुरक्षा के लिये प्रावधान
- इसमें पीड़ितों, गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
- पीड़ितों की गोपनीयता को उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करके बनाए रखा जाएगा।
- इससे सीमा पार और अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
- इस विधेयक में पहली बार पुनर्वास कोष स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिये किया जाएगा।
- इसमें पीड़ितों की शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास आदि शामिल हैं।
- समयबद्ध अदालती सुनवाई और संज्ञान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पीड़ितों को वापस अपने मूल स्थान पर भेजा जाएगा।
- पीड़ित को शारीरिक, मानसिक आघात से निपटने के लिये 30 दिनों के अन्दर अंतरिम राहत का और चार्जशीट दाखिल होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर उचित सहायता पाने का अधिकार होगा।
- पीड़ित का पुनर्वास अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने या मुकदमे के फैसले पर निर्भर नहीं करेगा।
- इसमें 10 वर्ष के सश्रम कारावास की न्यूनतम सजा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तथा कम-से-कम एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इसमें मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिये प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का गठन किया गया है।

नोडल एजेंसी एवं संस्थागत ढाँचा

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो की तरह कार्य करेगी। इसके लिये NIA अधिनियम को अलग से संशोधित किया जाएगा।
- NIA को महिलाओं की सुरक्षा के लिये मानव तस्करी की जाँच करने हेतु एक सेल स्थापित करने के लिये निर्भया फंड के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- विधेयक जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर समर्पित संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है।
- यह तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा जाँच और पुनर्वास कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कानून तस्करी रोकथाम से संबंधित है/हैं?

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370
2. अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए), 1956
3. बधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

कूट:

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

2. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह कानून सेक्स तस्करी पीड़ितों और स्वैच्छिक यौन कर्मियों के मध्य उचित अंतर स्थापित नहीं करता है।
2. यह अधिनियम मुख्यत: बाल श्रम निषेध से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक ट्रैफिकिंग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं?

(a) गरीबी एवं बेरोजगारी
(b) यह सबसे कम जोखिम अपराधों में से एक है
(c) भारत में इसके रोकथाम के लिये कोई कानून नहीं है
(d) (a) और (b) दोनों

1. Which of the following laws is/are related to the prevention of the trafficking?

1. Section-370 of Indian Penal Code.
2. The Immoral Traffic Prevention Act (ITPA), 1956
3. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

Code:

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) Only 2
(d) 1, 2 and 3

2. Consider the statements related to the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956—

1. This law doesn't draw a fair distinction between sex-trafficking victims and voluntary sex workers.
2. This act is mainly related to the prevention of child labour.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Which of the following factors is/are responsible for trafficking?

(a) Poverty and unemployment
(b) It is one of the lowest risk crimes
(c) There are no laws for the prevention of it
(d) Both (a) and (b)

नोट :

10 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव तस्करी (रोकथाम सुरक्षा और पुर्नवास) विधेयक, 2018 लोकसभा में पारित किया गया है, जबकि पूर्व में तस्करी रोधी कानून मौजूद था। क्या आप सहमत है कि तस्करी की रोकथाम के लिये नया कानून आवश्यक है? न्याय संगत उत्तर दीजिए। **(250 शब्द)**

Recently Indian Government has passed the Trafficking of persons (Prevention, Protection and Rahabilitation) Bill, 2018 in Lok Sabha whereas traffic prention laws were present in past. Do you agree that a new law was needed for the prevention of trafficking? Give logical justification. (250 Words)

अन्याय की विरासत को खत्म करना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

13 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक- गौतम भाटिया (वकील, दिल्ली)

''दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश कि भिक्षा अधिनियम असंवैधानिक है संविधान की परिवर्तनीय प्रकृति को दर्शाता है।''

1871 में, औपनिवेशिक शासन ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, जो एक तानाशाही कानून से कम नहीं था। यह कानून नस्लीय ब्रिटिश विश्वास पर आधारित था। जिसका यह मानना था कि भारत में ये जनजातियाँ पारंपरिक, जन्म, प्रकृति और व्यावसायिक रूप से आपराधिक प्रकृति के हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोग देश में जहाँ कहीं भी रह रहे थे, उन्हें अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा और पुलिस को उनका शोषण करने की अपार शक्तियाँ दे दी गई।

साथ ही, देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियाँ भी बनाई गई जिनमें इन जनजातियों के परिवारों को बिल्कुल जेल की तरह से कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर पुलिस का पहरा रहने लगा और बस्ती के हर सदस्य को बाहर जाने और वापस लौटने पर पुलिस को सूचित करना पड़ता था।

वस्तुतः इस अधिनियम के जरिये पुलिस को इन जनजातियों को गिरफ्तार करने, इनका शोषण करने और इनकी हत्या तक करने की असीमित शक्तियाँ दे दी गई थीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए क्योंकि सरकार का कोई बेहूदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है। स्वतंत्र भारत द्वारा इस अधिनियम को निरस्त करने के छह दशक बाद तक इन जनजातियों को कलंक और व्यवस्थित नुकसान से पीड़ित होना पड़ा था।

अमानवीयता का उदाहरण

यह अधिनियम औपनिवेशिक कानूनों के श्रृंखलाओं से प्रेरित था जो समुदायों और जीवन के तरीकों को तहस नहस करने के लिए बनाया गया था। औपनिवेशिक प्रशासक विशेष रूप से इनके रहन सहन से ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनके घूमते रहने और जीवनशैली के कारण उन्हें ट्रैक, निगरानी, नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसे कानूनी हथियारों के माध्यम से, शासन ने समुदायों को बस्तियों में सहयोग करने और मजबूर श्रमिकों के अधीन रखने के लिए आपराधिक कानूनों का उपयोग करके जीवन के इन पैटर्न को नष्ट करने का प्रयास किया है।

स्वतंत्रता कई बदलाव के साथ आई, लेकिन इससे निरंतरता भी आई। एक संविधान के जन्म के बावजूद, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गरिमा का वादा करता था, स्वतंत्र भारत के शासकों ने नए गणराज्य के लिए कानून बनाने में औपनिवेशिक तर्क को दोहराना जारी रखा। उन्होंने अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के बजाए व्यक्तियों को नियंत्रित और प्रशासित करने वाले विषयों पर ध्यान देना जारी रखा। इसका सबसे बेहतर उदाहरण बॉम्बे भिक्षा रोकथाम अधिनियम, 1959 है। भिक्षा अधिनियम, 1959 बॉम्बे द्व ारा पारित किया गया था और 20 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है। लेकिन पिछले हफ्ते, उल्लेखनीय, ऐतिहासिक और लंबे समय से लंबित मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे संविधान के साथ असंगत के रूप में माना।

तुच्छ विचार

अब सवाल यह है कि आखिर भिक्षा अधिनियम का कार्य क्या है? यह भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में रखता है। यह पुलिस को वारंट के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। यह मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष कारावास की सजा और दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर 10 साल तक की सजा दे सके। यह अधिनियम भिक्षा पर आश्रित लोगों को भी हिरासत में रखने और पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अलग करने का अधिकार देता है।

अपने पहले शब्द से आखिरी तक, भिक्षा अधिनियम दोषपूर्ण मालूम पड़ता है। जिसमें सबसे पहले, 'भिक्षा' की परिभाषा है। इस अधिनियम में सार्वजनिक रूप से भीख मांगना, चाहे वह गायन, नृत्य, भविष्य बताने, प्रदर्शन करने जैसे किसी भी बहाने से संबंधित हो, वह अपराध की श्रेणीं में आता है।

गायन, नृत्य, भविष्य बताने या प्रदर्शन को अपराध मानना यह स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य केवल भिक्षा के कार्य को ही अपराधी नहीं बनाना था (जैसा आमतौर पर समझा जाता है), बल्कि उन समूहों और समुदायों को भी लक्षित करना था जो अपना जीवनयापन घूम-घूम कर करते हैं और वे नागरिकों के मुख्यधारा के रूढ़िवादी तरीकों के भीतर फिट नहीं होते हैं।

एक बार व्यक्ति अपने पट्टियों के भीतर गिरने के बाद, भिक्षा अधिनियम प्रभावी रूप से उन्हें अवांछित, सारांश न्यायिक प्रक्रिया के बाद 'प्रमाणित संस्थानों' तक सीमित करके उन्हें अदृश्य प्रदान करता है। 19वीं शताब्दी यूरोप के गरीबों की तरह, यह पहली बार गरीबी को अपराधी बनाने के दर्शन पर आधारित है, और फिर सार्वजनिक स्थानों से शारीरिक रूप से ष्अपराधीष् को हटाकर इसे अदृश्य बना देता है। प्रभावी रूप से, यह गरीबों के आस-पास एक सीमा खींच दी गयी है, जो उन्हें 'आदरणीय' नागरिकों के समीप आरक्षित स्थानों तक पहुंचने से रोकता है। इन लोगों के लिए, बहुलवाद और समावेश की संवैधानिक गारंटी मौजूद नहीं है।

देखा जाये तो, अधिकारियों ने भी एक हथियार के रूप में भिक्षा अधिनियम का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से ठीक पहले, दिल्ली सरकार ने सड़कों से भिखारियों को हटाने के लिए कार्यवाही को अंजाम देने लगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी विदेशियों की नजर में राष्ट्र को शर्मिंदा करेगी। इस तरह के संचालन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारी का भी एक नियमित हिस्सा हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण-

पिछले हफ्ते (हर्ष मंदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और कर्णिका सावनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में फैसला देते हुए कहा कि भिक्षा अधिनियम ने अनुच्छेद 14 (कानून से पहले समानता) और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के तहत भीख मांगने की परिभाषा ने ऐसा कोई भेद नहीं किया है और इसलिए पूरी तरह से यह गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, यह अपने सभी नागरिकों के लिए जीवित रहने, भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी थी। इन दायित्वों को दूर करने के लिए गरीबी राज्य की अक्षमता या अनिच्छा का परिणाम था। इसलिए, राज्य अपने स्वयं की असफलताओं के सबसे दृश्यमान और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को बदल नहीं सकता।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले उपनिवेशवाद की सबसे दुर्भावनापूर्ण और स्थायी विरासतों में से एक को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नौ साल पहले एक ही अदालत द्वारा दिए गए फैसले के रूप में महत्वपूर्ण है, जब उसने समलैंगिकता (नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली) मामले में फैसला दिया था। नाज फाउंडेशन और हर्ष मंदर दोनों ही मानते हैं कि हमारा संविधान एक परिवर्तनीय संविधान है, जो अन्याय की विरासत को बदलने और सभी व्यक्तियों और समुदायों को समान नागरिकता प्रदान करना चाहता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गरीबी को अपराधी बनाने वाले एक तानाशाही कानून को खत्म करके अपना काम कर दिया है। लेकिन यह विधायी विधानसभा और सरकार का कार्य है कि वो एक बेहतर कानून के साथ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए वाले सदस्यों के पुनर्वास और एकीकरण को सुनिश्चित करे।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉम्बे भिक्षा रोकथाम अधिनियम, 1959 के 25 सेक्शन को असंवैधनिक करार दिया।
- इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।
- भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गयी थी।
- याचिका में कहा गया था कि बेसहारा व्यक्ति केवल अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगता है, इस प्रकार के व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने क्या कहा?

- वे लोग सड़कों व गलियों में भीख मांगने के लिए विवश है और भीख माँगना जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा है।
- इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है।
- वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है।
- भीख मांगने को अपराध घोषित करना समाज के कुछ असुरक्षित वर्गों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
- यह लोग भोजन, आवास, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हैं।
- जबरन भीख मंगवाने जैसे रैकेट को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे।

पृष्ठभूमि

- बॉम्बे भिक्षा रोकथाम अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को भीख मांगने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है।
- हालांकि वर्तमान में केंद्र में ऐसा कोई कानून नहीं है, परन्तु कई राज्यों ने बॉम्बे भिक्षा रोकथाम अधिनियम को अपनाया है।
- देश के 20 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों भीख मांगने की प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाये हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है।
2. 1871 में पारित आपराधिक जनजाति अधिनियम नस्लीय ब्रिटिश विश्वास पर आधारित था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. 'भिक्षा अधिनियम के कार्यों' में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

(a) यह भीख माँगने को अपराध की श्रेणी में रखता है।
(b) इसके अंतर्गत पुलिस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है।
(c) इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट पहली बार दोषी पाये गए व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास की सजा दे सकता है।
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित में से कौन-सा वाद 'भिक्षा अधिनियम' को असंवैधानिक घोषित करने से संबंधित है?

(a) हर्ष मंदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(b) कर्णिका सावनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(c) (a) और (b) दोनों
(d) न तो (a) न ही (b)

1. Consider the following statements-

1. Recently Delhi High Court has declared Begging Act as unconstitutional.
2. Criminal Tribes Act passed in 1871 was based on British racism.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. What is included in the functions of Begging Act?

(a) It keep begging in the category of crime.
(b) Under it police can arrest a person without warrant.
(c) Under this, magistrate can sentenced first time offender for 3 years jail.
(d) All of the above

3. Which of the following case is related to the Begging Act?

(a) Harsh Mandar v/s Union of India.
(b) karnika Savani v/s Union of India.
(c) Both (a) and (b)
(d) Neither (a) nor (b)

नोट :

11 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(a), 3(d) होगा।

World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहल करते हुए दशकों से चले आ रहे भिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में भिक्षा अधिनियम को बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently Delhi High Court has taken initiative by declaring decades old Begging Act as unconstitutional. In this context, explain Begging Act and discuss judicial perspective of Delhi High Court.

केरल : बाढ़ की त्रासदी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (आपदा प्रबंधन) से संबंधित है।

14 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''केरल में आई बाढ़, सरकारों को एक बेहतर योजना के निर्माण और उसके बेहतर कार्यान्वयन की ओर इशारा करती है।''

केरल के कई जिलों में मानसून एक विनाशकारी प्रभाव के साथ आया है जो यह भी दर्शाता है कि अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में बरती जाने वाली सतर्कता को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए।

मौसमी बारिश में विशेष रूप से पिछले हफ्ते में तीन दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अनुमानित, 8316 करोड़ रुपये की आर्थिक संपत्तियों का नुकसान हुआ हैं। इडुक्की प्रणाली में जलाशयों के द्वार, एक विशाल जलविद्युत परियोजना और कई अन्य बांध खोल दिए गए हैं, नदियों के निकट रहने वाले निवासियों को डाउनस्ट्रीम की तरफ भेज दिया गया है।

इस आपदा के बाद, लगभग 60,000 बेघर हुए लोगो को राहत शिविर में रखा गया है। उत्तरी जिलों में, लगातार बारिश के चलते भूस्खलन के कारण घरों, सड़कों और अन्य संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ है।

वास्तविक चिंता है कि बारिश में अस्थायी राहत के बाद मौसम प्रणालियों में और तीव्र गिरावट आ सकती है; क्योंकि भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने 17 अगस्त तक बारिश की भविष्यवाणी की है।

हांलाकि, केरल को यह श्रेय दिया जाना चहिये कि उसने जलप्रलय के बाद योजना, राहत और पुनर्वास को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि इसने आगे बढ़ने और पुनर्निर्माण की योजना बनाने के लिए एक संपूर्ण प्रयास किया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस आपदा पर तुरंत प्रतिक्रिया अच्छे संकेत हैं, हालांकि राहत के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक घोषणा नुकसान के पैमाने के साथ असंगत मालूम पड़ती है। सशस्त्र बलों से भी महत्वपूर्ण समर्थन दिया जा रहा है जो स्थिति को सामान्य बनाने में काफी मददगार साबित होंगे।

केरल का असामान्य रूप से भारी मानसून इस साल वर्षा की लंबी अवधि की प्रवृत्ति के विपरीत है। 1954 और 2003 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जलवायु शोधकर्ताओं द्वारा मानसून के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, देश का यह हिस्सा गर्मी में सूखे से प्रभावित रहेंगे, लेकिन विनाशकारी फ्लैश बाढ़ का आना दुर्लभ घटनाओं में से एक है। यह प्रवृत्ति मजबूत बनने की उम्मीद की जा रही है।

यह सरकार को अपने योजनाओं और नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। देखा जाये तो, सरकार को बांधों को खोलने के दो सप्ताह पहले ही लोगों को खासकर नदियों के पास रहने वाले लोगों को कथित क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए था।

हालांकि, वनों से घिरे राज्य में इतनी जनसँख्या के लिए उपयुक्त भूमि ढूँढना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन भविष्य के लिए इसे तैयार कर लेना चाहिए।

यह अपेक्षा करना उचित है कि इसके कुशल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क के साथ, केरल बाढ़ के कारण होने वाले महामारी से बचने के लिए आवश्यक सभी उपाय कर सकेगा।

अब बात बीमा कवर की करते हैं। पिछले साल मुंबई में, जिनके पास आपदाओं के खिलाफ अपने घरों के लिए निजी घरेलू बीमा कवर थी, लेकिन निजी कंपनियों ने कई घर मालिकों को भुगतान करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार घर संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं थे।

सभी प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सर्वोत्तम नीतियों के विकास के लिए, सामाजिक विकास के अपने रिकॉर्ड के साथ, केरल को स्वाभाविक रूप से देखते हैं।

भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि परियोजनाओं को ऐसा स्वरूप दिया जाए कि कभी प्रकृति रुष्ट भी हो तो वह ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। हमें परियोजनाओं को प्रकृति के अनुरूप बनाना होगा। सोचना होगा कि प्रबंधन के दावे हर साल में विफल क्यों हो जाते हैं।

* * *

ऑपरेशन मदद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन मदद लांच किया है।

नोट -

नौसेना के अलावा भारतीय थल सेना ने 'ऑपरेशन सहयोग' शुरू किया है।

- इसके अलावा इडुक्की में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 80 जवान नियुक्त किये गये हैं।
- पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से लगभग 54,000 लोग बेघर हो गये हैं और राज्य भर से अब तक 29 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है।
- कई हिस्सों में बाढ़ लगातार बारिश और इडुक्की और अन्य बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से है।
- इसके अलावा, नौसेना अस्पताल, आईएनएचएस संजीवनी को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है।
- चल रहे राहत कार्यों को बढ़ाने के लिए बाढ़ वाले इलाकों में डाइवर्स, पावर टूल्स, कुल्हारी और राहत सामग्री को सुनिश्चित किया गया है, साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं।
- यह राहत व बचाव ऑपरेशन केरल के कन्नूर, कोजिकोड़े, वायनाड और इडुक्की में शुरू किये गए हैं।

अधिक बारिश की वजह

- केरल में बारिश के दो मौसम होते हैं। पहले साउथवेस्ट मानसून बरसता है जो जून से सितंबर के बीच होता है। फिर आता है- नॉर्थईस्ट मानसून।
- ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है।
- साउथवेस्ट मानसून में हवा समंदर से जमीन की ओर बहती है। इसीलिए इस मानसून में नमी ज्यादा होती है।
- फिर केरल में बड़े ऊँचे पहाड़ हैं- पश्चिमी घाट वाले।
- ये मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं इसीलिए केरल में खूब बारिश होती है।
- इस साल केरल में साउथवेस्ट मानसून बहुत मजबूत रहा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

- यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है।
- इसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये जिम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उद्देश्य

- इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी ड्रिवेन टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।
- यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12बटालियन हैं , जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB और ITBP से दो-दो बटालियन हैं।

आपदा प्रबंधन में एन.डी.आर.एफ की भूमिका

- मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना।
- राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- आपदाओं में बचाव या राहत कार्य के दौरान अन्य संलग्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर यह बल बचाव या राहत कार्य को संपूर्णता प्रदान करता है।
- इसकी सभी बटालियन तकनीकी दक्षता से युक्त हैं और विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ योग्यताओं से सुसज्जित हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ यह बल अपनी चार टुकड़ियों के माध्यम से रेडियोलॉजिकल, जैविक, नाभिकीय और रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. केरल में आई बाढ़ के संदर्भ में, निम्न कथनों पर विचार करें-

1. गृह मंत्रालय ने 100 करोड़ का प्रारम्भिक पैकेज की घोषणा की है।
2. नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को विस्थापित कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. केरल के बाढ़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. राज्य सरकार के अनुमान से 8316 करोड़ रूपए का आर्थिक नुकसान हुआ है।
2. पी. शिवकुमार कमेटी का गठन बाढ़ के संदर्भ में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

3. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जलवायु शोधकर्ताओं के मानसूनी आँकड़ों पर विचार करे-

1. इसके अनुसार भारत का एक हिस्सा गर्मी में सूखे से प्रभावित रहेंगे।
2. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कमेटी ने भारत में अजीत वाडेकर को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements regarding the flood in Kerala-

1. Home Ministry has declard the primary package of Rs 100 crore.
2. The people living along rivers have been rehabilitated.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. In the context of Kerala flood, consider the following statements-

1. As per the estimate of State Governments the loss of Rs 8316 crore have been incurred.
2. P. Shivkumar Committee has been constituted in the context of flood.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements on the monsoon data of Cambridge University Climatologists-

1. As per them, one-third part of India will be drought-affected.
2. Committee of Cambridge University has appointed Ajeet Vadekar as its ambassdor.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

13 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. केरल में आई बाढ़ से सरकारों को बाढ़ के संदर्भ में एक बेहतर योजना या एक नियामक ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता पर बल देता है। इस कथन की विवेचना करें। (250 शब्द)

The flood in Kerala gave emphasis on the need to have a better policy or a regulatory body by the government. Analyze this statement. (250 Words)

एनएचपीएम को बेहतर बनाना : आयुष्मान भारत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

16 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''सबसे जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य कवर का विस्तार करना काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण की आवश्यकता है।''

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, कि आयुष्मान भारत, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन औपचारिक रूप से 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, यह दर्शाता है कि सरकार अंतत: स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को पहचान रही है।

राजनीतिक दलों ने अभी तक स्वास्थ्य के मुद्दे को चुनाव अभियान का मुद्दा नहीं बनाया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस तरह के अधिकार की सिफारिश नहीं करती है, क्योंकि इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जागरूकता बढ़ रही है कि 1.3 अरब लोगों के देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए घरेलू बचत पर भरोसा करना असंभव है।

एनएचपीएम एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, मुख्य रूप से ग्रामीण गरीब और पहचान शहरी श्रमिकों के माध्यम से चुने गए 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख परिवारों को कवरेज प्रदान करेगा।

राज्य सरकारें, जो इसे अपनी एजेंसी के माध्यम से प्रशासित करती हैं, को प्री-निर्धारित दरों पर निजी क्षेत्र सहित विभिन्न खिलाड़ियों से देखभाल करना होगा। एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उपचार लागत पर सर्वसम्मति तक पहुंचना महत्वपूर्ण होगी।

नकदी रहित उपचार के लिए एक बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की स्थापना और सत्यापन किया जाना चाहिए।

चूंकि अधिकांश परिवार ग्रामीण होंगे और माध्यमिक और तृतीयक सार्वजनिक अस्पताल बुनियादी ढांचे गंभीर दक्षता और जवाबदेही समस्याओं से ग्रस्त हैं, इसलिए राज्य सरकारों को प्रशासनिक प्रणालियों को अपग्रेड करना चाहिए।

स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय योजनाएं एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं, लेकिन उन्हें निष्पादित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर पड़ती है। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि भारत में 'देश के साथ राष्ट्र' हैं, जनसंख्या के आकार, बीमारी के बोझ और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तर दिए गए हैं।

जाहिर है, एनएचपीएम अस्पतालों के वितरण, मानव संसाधनों की क्षमता और लागत-साझाकरण के लिए उपलब्ध वित्त की समस्या से ग्रसित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में योजनाबद्ध वृद्धि के माध्यम से जीडीपी के 2.5% और राज्य के बजट के 8% को हासिल करना तत्काल चुनौती है।

स्थिर आर्थिक विकास के साथ, उच्च निवेश के माध्यम से नीति प्रतिबद्धता को पूरा करना राजनीतिक इच्छाशक्ति के लिए परीक्षा साबित होगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की लागत को कम करना जरूरी है और इसे उपेक्षित सार्वजनिक क्षेत्र में समानांतर निवेश की आवश्यकता है।

देखा जाये तो खर्च केंद्र और राज्य सरकार के एक निर्दिष्ट अनुपात में किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में स्कीम के लिए फंडिंग 60:40 के अनुपात में होगी।

वहीं, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तरफ से 100 फीसदी फंडिंग होगी। इसके साथ ही राज्यों को ये छूट दी जाएगी कि वह अपना भी स्वास्थ्य प्रोग्राम चला सके।

निजी बीमा केवल एक अल्पकालिक विकल्प हो सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से कई बाधाएं भी मौजूद हैं। कम नैतिक संस्थानों को बीमा मुआवजे का दावा करने के लिए अनावश्यक उपचार का आदेश मिला है।

एनएचपीएम उपयोगकर्ताओं से शिकायतों से निपटना लोकपाल की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र द्वारा सभी बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना का विस्तार करना चाहिए और अधिक खर्च को कम करने के लिए बेहतर परामर्श और आवश्यक दवाओं पर ध्यान देना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एबी-एनएचपीएस) का शुभारंभ करने की घोषणा की।
- यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से शुरू हो जाएगी।

उद्देश्य-

- इस योजना का मकसद हर गरीब परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराना है।
- केंद्र ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है।
- ऐसा मानना है कि यह दुनिया में, सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- इस योजना से 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार, मतलब तकरीबन 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
- पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली का अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है जबकि ओडिशा ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।

फायदा किसे?

- इस स्कीम का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर शामिल 10 करोड़ परिवार को मदद पहुंचाना है।
- इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गरीब-वंचित ग्रुप का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा से दूर न रह पाए। इसके लिए परिवार के साइज का निर्धारण नहीं हुआ है।
- इससे परिवार में जितने भी सदस्य रहेंगे उन्हें ये सुविधा मिलेगी।
- इस स्कीम के तहत प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एंश्योरेंस कवर होगा।

अन्य लाभ-

- आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र की इन पहलों से श्रम-उत्पादकता और जनकल्याण में वृद्धि होगी तथा कार्यदिवसों की हानि और निर्धनता से बचा जा सकेगा।
- इन योजनाओं से विशेषकर महिलाओं के लिये रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

- प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र की समस्याएँ को नजरअंदाज किया जाना
- बजट आवंटन की समस्या

2025 तक के लिये निर्धारित प्रमुख स्वास्थ्य लक्ष्य

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 70 वर्ष करना।
- 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 1 तक लाना।
- 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 प्रति हजार करना।
- मातृ मृत्यु दर के वर्तमान स्तर को 2020 तक घटाकर 100 प्रति हजार करना।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 प्रति हजार करना।
- मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 'इकाई अंक' में लाना।
- क्षयरोग के नए पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की व्याप्तता में कमी लाना, ताकि 2025 तक इसके उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके।
- 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 25 प्रति हजार करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना।
- हृदवाहिका, कैंसर, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों से होने वाली असमय मृत्यु को 2025 तक घटाकर 25% करना।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एन एच पी एल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें शामिल होने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष रूपया 5 लाख प्रति परिवार स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।
2. स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय योजनाएं एक व्यापक ढ़ाचा प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एन एच पी एल) में केनद्र एवं राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के खर्च का अनुपात निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया गया है?

(a) यह अनुपात क्रमशः 60 : 40 का है।
(b) यह अनुपात क्रमशः 75 : 25 का है।
(c) यह अनुपात क्रमशः 90 : 10 का है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखण्ड में सौ प्रतिशत फंडिंग करेगी।
2. पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त अपना भी स्वास्थ्य प्रोग्राम चलाने के लिये छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements about the National Health Protection Mission (NHPM)-

1. The families included under it would be provided Rs 5 lakh per family health coverage.
2. Provides a comprehensive framework of national schemes on health.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. What is the ratio of expenditure determined between centre and states over National Health Protection Mission (NHPM)?

(a) Ratio of 60: 40
(b) Ratio of 75: 25
(c) Ratio of 90: 10
(d) None of the above

3. Consider the following statements-

1. Centre will contribute 100% in North-East States, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand for Natioanl Health Protection Mission (NHPM).
2. The States of North-East, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand will get exemptions for their own health programmes other than National Health Protection Mission.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor

नोट :

14 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को शीघ्र ही लागू करने की बात की गयी है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद की जा रही है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently, the announcement has been made to launch National Health Protection Mission, which is expected to play important role in health sector. Discuss. (250 Words)

CS World
Committed To Excellence

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

17 अगस्त, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
सी. राजा मोहन (निर्देशक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान)

''भारत के साथ पारगमन व्यापार पाकिस्तान की नई अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्थिर पड़े व्यापार संबंधों को सुचारू रूप से शुरू करने में पंजाब अहम् भूमिका निभा सकता है।''

ऐसा अक्सर नहीं होता कि भारत में चीन के दूत के पास पंजाब जाने का समय हो। लेकिन पिछले हफ्ते लुओ झोहुई ने यही किया। पगड़ी पहनने, लस्सी पीने, किसानों के साथ चैट करने और स्वर्ण मंदिर में पूजा करने के अलावा, राजदूत लुओ अटारी-वाघा में भारत-पाक सीमा पर भी गए। लुओ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'शांति, दोस्ती और सहयोग' का संबंध अवश्य बन कर रहेगा।

हांलाकि, भारत-पाकिस्तान संबंधों में चीन की भूमिका पर भारत पिछले कई दशकों से एहतियात बरतते आया है। संशयवादी कह सकते हैं कि लुओ की आशा दूत की राजनयिक शैली की तुलना में चीन की नीति को व्यक्त करने के बारे में कम मालूम पड़ती है। हालांकि, उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में कई कारक त्रिकोणीय संबंधों पर अधिक सकारात्मक दिशा में इस सार को समझने के लिए काम कर सकते हैं।

इसमें पहला यह है कि बीजिंग की रुचि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) बनाने में है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशाल बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना में शामिल है, जिसे भारत तक विस्तारित करके और अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है।

चीनी प्रवक्ता ने लंबे समय से यह पुष्टि की है कि सीपीईसी इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच एक विशेष द्विपक्षीय परियोजना नहीं है और इसे एक व्यापक क्षेत्रीय पहल में बदला जा सकता है।

पाकिस्तान के अन्य पड़ोसी देश अर्थात अफगानिस्तान और ईरान इस तरह के विस्तार के लिए उत्सुक हैं। उत्तर के आगे, मध्य एशियाई गणराज्य का अधिक हिस्सा बीआरआई में शामिल हैं।

सीपीईसी और बीआरआई के संबंध में दिल्ली द्वारा लंबे समय से की जा रही आलोचना भारत को इन परियोजनाओं के साथ संलग्न होने के लिए असंभव बनाती है। लेकिन ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिनमें राजनीतिक मतभेद - खासकर कश्मीर के माध्यम से सीपीईसी का पारगमन - महत्वपूर्ण और रिश्तों में सुधार ला सकता है।

अगर चीन भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर वास्तविक तटस्थता पर लौट आये, तो यह पहल भारत के सीपीईसी पर संप्रभुता के तर्क को अलग करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।

बीआरआई के संबंध में आर्थिक और अन्य मुद्दों पर व्याप्त अंतर आसानी से विशिष्ट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके दूर किया जा सकता है, जिनकी शर्तों को भारत की संतुष्टि के लिए बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि भले ही चीन सीपीईसी पर मतभेदों को हल करने के लिए सक्षम है, लेकिन ऐसा कौन सा कारक होगा जो पाकिस्तान को भारत के साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रोत्साहन कर सकता है?

देखा जाये तो, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग प्रधानमंत्री बने इमरान खान को आईएमएफ से भीख मांगने के खिलाफ चेतावनी देते तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई और नए कदम उठाए।

इन चरणों में से एक यह है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपना सामान निर्यात करना है। इससे ट्रांजिट फीस के माध्यम से हार्ड मनी कमाई हो सकती है और इसके फलस्वरूप पाकिस्तानी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

पूर्व वित्त मंत्री शाहिद जावेद बुर्की जैसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ इस तरह के पारगमन व्यापार - सीपीईसी बुनियादी ढांचे के सहयोग से - पाकिस्तान को पश्चिमी और मध्य एशिया के बीच एक वाणिज्यिक केंद्र बनाने में मदद कर सकता है, जिसमें चीन के पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल हैं।

इमरान खान के लिए, जो एक 'नया पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं, यह तर्क वास्तव में आकर्षक होना चाहिए। वे इस तथ्य को इंगित करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान से इस तरह की रणनीति को अपनाने और भारत के लिए अपने भूमि मार्ग खोलने का आग्रह किया था।

जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के प्रशासन ने थोड़ी सी सफलता हासिल की थी, हालांकि, पाकिस्तान अपनी सेना को भारत के साथ सीमा पार पारगमन व्यापार में व्याप्त अवरोध को समाप्त करने के लिए अभी तक राजी नहीं कर पाया है।

आज सबसे अलग कारक पाकिस्तान पर चीन के बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को माना जा रहा है। चूंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का संबंध तेजी से डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत दक्षिण की ओर अधिक हैं, इसलिए पाकिस्तान चीन के समर्थन पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो गया है। साथ ही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्थिरीकरण में चीन ने अपने मुस्लिम बहुसंख्यक झिंजियांग प्रांत को छोड़ दिया है।

देखा जाये तो, भारत के साथ पाकिस्तान के सुलह को प्रोत्साहित करने के लिए बीजिंग अफगान में शांति बनाने और रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

अंत में, इस तरह के उप-क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को आवश्यक रूप से रैडक्लिफ लाइन में जाना चाहिए जो पंजाब को विभाजित करता है। 1947 में पंजाब के राजनीतिक विभाजन की त्रासदी को आर्थिक विभाजन से मजबूती मिली जिसने रैडक्लिफ लाइन को क्षेत्रीय वाणिज्य में सबसे बड़ी बाधा बना दिया। पंजाब, जो ऐतिहासिक रूप से ट्रांस-क्षेत्रीय व्यापार मार्गों के केंद्र में था, अब कमजोर पड़ गया है।

पिछले दो दशकों में, पंजाब की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए बार-बार प्रयास किए गए थे। पूर्वी और पश्चिम पंजाब के मुख्यमंत्रियों - भारतीय पक्ष में कप्तान अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल और चौधरी पारवीज इलाही और शाहबाज शरीफ ने अवसरों को भुनाने की कोशिश की थी।

दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारें और इस्लामाबाद में जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में असिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने सीमा पार धार्मिक तीर्थयात्राओं और वस्तुओं और ऊर्जा में व्यापार को उदार बनाने के लिए समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की थी। लेकिन रैडक्लिफ लाइन इन रिश्तों में हमेशा कठिन बना रहा।

इमरान खान का वादा 'नया पाकिस्तान' बनाने का है और द्विपक्षीय संबंधों में 'नई शुरुआत' पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट इच्छा से पता चलता है कि रेडक्लिफ लाइन को वाणिज्यिक पुल में बदलना एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर राजदूत लुओ की यात्रा सिर्फ एक यादृच्छिक राजनयिक घटना हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक रूप से, बीजिंग खुले रहस्य पर ठोकर खा सकता है कि यह पंजाब है जिसमें भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने की कुंजी निहित है।

* * *

GS World टीम...

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीइसी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत में चीन के दूत लुओ झा हुई पंजाब गए थे। जहाँ वें अटारी-वाघा में भारत-पाक सीमा पर भी गए।
- लुओ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'शांति, दोस्ती और सहयोग' का संबंध अवश्य बन कर रहेगा।

पृष्ठभूमि-

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा।
- कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है।
- इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।

क्या है?

- सीपीइसी चीन की एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3218 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जा रहा है।
- इस गलियारे को 15 वर्षों के अंदर पूरी तरह से तैयार कर लिए जाने की उम्मीद जताई गयी है।
- इस गलियारे पर चीन 46 बिलियन डॉलर का निवेश वर्ष 2020 तक क्रियाशील करने के लिये करेगा।
- यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंझियांग प्रांत के काशगर शहर से राजमार्गों, रेलमार्ग और पाइपलाईनों से जोड़ेगा।
- यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बाल्तिस्तान और बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा।

चीन को क्या लाभ?

- हिंद महासागर में एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्राप्त होगी।
- ऊर्जा आयात में कम समय लगेगा और कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
- यूरोप तक पहुँच आसान होगी।
- चीन भविष्य में ग्वादर पोर्ट को नौ-सैनिक अड्डे में भी तब्दील कर सकता है।

पाकिस्तान को क्या लाभ?

- इस गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के सभी प्रांत नयी सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों आदि के अवसंरचना निर्माण से विकास करेंगे।
- अपनी वैश्विक छवि सुधारने का अवसर मिलेगा।
- आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगारों का सृजन होगा।
- रोजगार की उपलब्धता व आर्थिक विकास से अतिवादियों की ओर युवाओं का झुकाव कम हो जाएगा।

भारत की चिंताएँ

- यह पाक-अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा मजबूत करेगा।
- विभिन्न सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थितियों पर चीन की उपस्थिति भारत को यूरेशियाई देशों तक पहुँच को सीमित कर सकती है।
- ग्वादर बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति, चीन द्वारा भारत को घेरने की 'मोतियों की माला' नीति का ही विस्तार प्रतीत होता है।
- यह हिंद महासागर में चीन को रणनीतिक मजबूती भी देगी।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में चीन के राजदूत ने अटारी-वाघा सीमा की यात्रा सम्पन्न किया।
2. चीन की प्रमुख योजना के अंतर्गत सीपीईसी बनाने में पाकिस्तान शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत-पाकिस्तान के सुलह को प्रोत्साहित करने के लिए बीजिंग अफगान में शान्ति बनाने एवं रूस के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
2. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्थिरीकरण में चीन ने अपने मुस्लिम बहुसंख्यक झिझियांग प्रांत को छोड़ दिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

3. रेडक्लिफ सीमा रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य सीमा निर्धारित करती है?

(a) भारत-नेपाल
(b) भारत-पाकिस्तान
(c) भारत-चीन
(d) भारत-भूटान

1. Consider the following statements-

1. Recently Ambassador of China has concluded travel of Atari-Bagha border.
2. Pakistan is included under the China's major project of the formation of CPEC .

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding China-

1. Beijing is playing an active role in establishing peace in Afghan and moving forward in cooperation with Russia to encourage resolution between India and Pakistan.
2. China has left its muslim majority Xinjiang province in the stabilization of Pakistan and Afghanistan.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

3. Red Cliff border line determines the boundary between which of the following countries?

(a) India-Nepal
(b) India-Pakistan
(c) India-China
(d) India-Bhutan

नोट :

16 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत के साथ पारगमन व्यापार पाकिस्तान की नई अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, किन्तु इसमें कई बाधायें मौजूद हैं।'' चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

"Transit trade with India can proved to be important for Pakistan's new economy. But, many challenges are also present in it. Discuss. (250 Words)

नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

18 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक-
विनीता बाली (अध्यक्ष, बेहतर पोषण के लिए वैश्विक गठबंधन)

''सभी भारतीय बेहतर पोषण प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें एक बेहतर वितरण मॉडल की आवश्यकता है जो हर क्षेत्र में सहयोगी हो।''

भारत में खराब पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं के बीच और इस तथ्य को हर सर्वेक्षण में भी पुन: पुष्टि दी गई है, चाहे वह 2015-16 में नवीनतम एनएफएचएस -4 (नवीनतम उपलब्ध जानकारी) हो या वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 हो।

इसके साथ-साथ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2017 ने भारत को 119 देशों में से 100वां स्थान दिया है, जिसमें इसका कुल स्कोर 31.4 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, 2017 इंडेक्स में ऊंचाई के मुकाबले कम वजन 21% थी, जो 1992 में 20% था।

1992 में 61.9% से स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई) में कमी आई है। जीएचआई 2017 में बताया गया है कि 2017 में 38.4% की वृद्धि हुई थी। जीएचआई और एनएफएचएस दोनों के मुताबिक, इसी अवधि के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 11% से घटकर 5% हो गई है। हालांकि, भारत में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं।

इसके अलावा, भारत में 190.7 मिलियन लोग हर रात भूखे सोते हैं और आधे से अधिक किशोर लड़कियां और महिलाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं और कई निष्कर्ष यह स्पष्ट करते है कि पिछले दशक में 7% कुल वार्षिक वृद्धि दर और विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद पोषण में सुधार, पोषण के स्तर अस्वीकार्य रूप से उच्च हैं।

बर्बाद करने का वक्त नहीं-

इस गंभीर वास्तविकता ने खराब पोषण के विभिन्न रूपों - उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, रक्तहीनता (खासकर 15-49 आयु समूह में) और अंडरवेट बच्चों - को संबोधित करने के लिए सही रूप से जोर दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) या पोशन अभियान के माध्यम से ₹ 9,046 करोड़ के अपने विशिष्ट बजट और $ 200 मिलियन का प्रस्तावित विश्व बैंक ऋण इसे सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाएगा।

एक गलत दृष्टिकोण यह है कि हमने पहले भी इस तरह की घोषणाएं देखी हैं- अर्थात, 2008 में भी पोषण पर विशेष प्रकाश डाला गया था जब भारत की पोषण चुनौतियों पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद गठित की गई थी।

एक विस्तृत रिपोर्ट, 'भारत की पोषण चुनौतियों को संबोधित करना', योजना आयोग द्वारा 2010 में एक व्यापक और बहु-क्षेत्रीय परामर्श के अभिसरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण रूप से बदला नहीं।

आशावादी दृष्टिकोण का कहना है कि संरचनात्मक और व्यवस्थित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने के लिए नए मॉडलों की खोज करना, काम करने या नहीं करने से सीखना और कार्यान्वयन पर एकल फोकस बेहतर पोषण संबंधी परिणाम देने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके लिए भारत ने अन्य जागरूक देशों के जैसे हस्ताक्षर भी किये है।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत अभियान, जिसे कार्यान्वित किया गया है, पोषण परिणामों के लिए सकारात्मक योगदान देगा और अच्छी तरह से संरचित सार्वजनिक-निजी साझेदारी उत्प्रेरक साबित हो सकती है।

इस संदर्भ में देखा गया है कि संकट की स्थिति में सबसे अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए तीन मौजूदा कार्यक्रमों में क्षमता, अर्थात् एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), जो 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के साथ है, वह गर्भवती और नर्सिंग माताओं और बच्चों को 6 साल तक शामिल करने वाले लगभग 100 मिलियन लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बना चुकी है; इसके अलावा, मध्य-भोजन भोजन (एमडीएम), स्कूलों में लगभग 120 मिलियन बच्चों तक अपना पहुँच बना चुका है; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 800 मिलियन से अधिक लोगों तक अपना पहुंच बना चुका है।

राष्ट्रीय पोषण रणनीति (एनएनएस) ने 2022 के लिए बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और पोशन अभियान ने हर साल 2% तक स्टंटिंग, अंडर पोषण और कम जन्म भार को कम करने के लिए तीन साल और एनीमिया के लिए 3% साल के लक्ष्य भी निर्दिष्ट किए हैं।

उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के लिए, पोषण में सुधार के लिए सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति होना जरूरी है, जिसमें स्पष्ट और मापनीय और वास्तविक समय ट्रैकिंग तंत्र मौजूद हो, जैसे हम आर्थिक डेटा ट्रैक करते हैं। वैसे हमारे लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि 1972 में स्थापित राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एनएनएमबी), 2015 में भंग कर दिया गया था।

एक, अधिक प्रभावशीलता के लिए आईसीडीएस, एमडीएम और पीडीएस को पर्याप्त रूप से फिर से बेहतर बनाने कि आवश्यकता है। यह सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिए एक आदर्श पहल साबित होगा।

कई अभियानों को स्तनपान, आहार विविधता, हाथ धोने, डी-वर्मिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता जैसे पोषण-विशिष्ट और पोषण-संवेदनशील व्यवहारों को सूचित करने, संवाद करने और शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोषण को 'विपणन' किया जाना चाहिए और दिलचस्प, आकर्षक, सरल और व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक होना चाहिए - यह एक विशेषज्ञता है जहां निजी क्षेत्र का अर्थपूर्ण योगदान हो सकता है।

जागरूकता और वितरण-

पोषण जटिल है लेकिन, इसलिए इसे सरल अधिक जागरूकता और कार्यों के माध्यम से बनाया जा सकता है। इसके अलावा, डिलीवरी मॉडल डोमेन पर सहयोगी होना चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए और प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम और लोगों की दक्षताओं को मजबूत बनाने के लिए निवेश का निर्माण करना चाहिए।

जब तक आर्थिक विकास सामाजिक और मानव विकास में सुधार नहीं करता है, तब तक इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। समान रूप से, हमे यह भी जानना चाहिए कि कमजोर और कुपोषित आबादी में उत्पादकता के निम्न स्तरों से ही आर्थिक विकास को बाधित किया जाता है।

* * *

GS World टीम...

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट : पोषण सुरक्षा पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर, मूल्यांकन करने वाले पांच एजेंसियों ने पाया कि सदी के अंत तक खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण जोखिम में जा सकते हैं।
- वर्तमान में दुनिया में लगभग 38 मिलियन से अधिक लोग कुपोषित हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है।
- विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना 'ब्लैक डेथ' नामक उस महामारी से की है जिसने 18 वीं सदी में यूरोप की जसंख्या के एक बड़े हिस्से को निगल लिया था।

वैश्विक स्तर पर

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में 775 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जिनकी संख्या वर्ष 2016 में बढ़कर 815 मिलियन हो गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व के 18 देशों में खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारक 'संघर्ष' और जलवायु परिवर्तन है।
- हिंसक संघर्षों के चलते वर्ष 2017 में 68.5 मिलियन लोगों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा।
- रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के शिकार अधिकांश लोग विकासशील देशों में रहते हैं और इनमें से भी सर्वाधिक एशिया और अफ्रीका में रहते हैं।

रिपोर्ट में अन्य तथ्य

- दक्षिण एशिया (जिसमें भारत भी शामिल है) में बाल विवाह की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वर्ष 2000 की तुलना में 2017 में इस दर में 40% की कमी आई है।
- वहीं दूसरी तरफ, इस क्षेत्र के कई देशों में भूजल के स्तर में भी भारी कमी देखने को मिली है जो कि आने वाले समय में भारी जल संकट की स्थिति का संकेत है।
- दुनिया भर के शहरी इलाकों में रहने वाले 10 में से नौ लोग प्रदूषित हवा में साँस ले रहे हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में यह स्थिति और भी अधिक खराब है।
- इसी प्रकार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हालाँकि इस अंतर को कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर असर

- इसके अनुसार केवल वर्ष 2017 में मौसमी आपदाओं के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को 300 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ।
- हाल के वर्षों में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है, निरंतर आ रहे चक्रवातों के चलते सबसे अधिक क्षति संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य दूसरे कैरीबियन देशों को हुई है।

भारत की स्थिति

- 2014-16 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार भारत में 14.5% आबादी कुपोषण के शिकार है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 53% महिलाओं में खून की कमी पायी गयी है।
- भारत अन्न बर्बाद करने के मामले में यह दुनिया के संपन्न देशों से भी आगे है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल उतना अन्न बर्बाद (कुल पैदा किए जाने वाले भोज्य पदार्थ का 40 प्रतिशत) होता है जितना ब्रिटेन उपभोग करता है।

सतत विकास सूचकांक

- यह सूचकांक देशों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही मुश्किलों और खामियों को रेखांकित करता है।
- जिससे उन पर ध्यान देकर वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और लक्ष्यों को 2030 तक पूरा कर सकें।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह केवल वैश्विक भूखमरी को मापने का पैमाना है।
2. यह राष्ट्रीय और क्षेत्रिय भूखमरी को ही मापता है।
3. यह वैश्विक, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भूखमरी को मापता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2
(d) केवल 1

2. निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए-

1. अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन
3. विश्व व्यापार संगठन

उपरोक्त में से कौन-सा/से संगठन द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय पोषण मिशन केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय पोषण मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding Global Hunger Index-

1. It is only an index to measure global hunger.
2- It measures natinal and rural hunger.
3- It measures global, national and rural hunger.

Which of the above statements is/are correct regarding Global Hunger Index?

(a) 1 and 2
(b) Only 3
(c) Only 2
(d) Only 1

2. Consider the following organizations-

1. International Food Policy Research Institute
2. World Health Organization
3. World Trade Organization

By which of the above organizations Global Hunger Index is released?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Only 3
(d) 1 and 3

3. Consider the following statements-

1. The National Nutrition Mission is operated by only Ministry of Women and Child Development.
2. The National Nutrition Mission is operated by Ministry of Women and Child Development with the help of World Bank.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

17 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत में अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद कुपोषण की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे भौगोलिक विविधता और बढ़ाती है। आपके अनुसार वह कौन-से उपाय है, जिसके माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है?

(250 शब्द)

The problem of malnutrition in India continue to exist even after the Surplus production of foodgrain which is made more servere by geographical diversity. According to you, what are the measures through which it can be solved? (250 Words)

संप्रभुता और संवेदनशीलता: भारत-भूटान संबंधों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देश) से संबंधित है।

20 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक-
सुहासिनी हैदर (संपादक)

''भारतीय प्रभावों पर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, नई दिल्ली को भूटान के चुनावों में भाग लेने में सावधानी बरतनी चाहिए।''

बड़ी योजना में, राजमार्ग मार्कर - भूटान की खड़े पहाड़ी सड़कों पर यातायात का मार्गदर्शन करने वाले रेलिंग पर प्रतिबिंबित स्टिकर - एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सीमा सड़क संगठन, जो परियोजना दंतक के तहत भूटानी सड़कों का निर्माण करने में मदद कर रहा है, तो जुलाई में उसने भारतीय तिरंगे के रंगों में उन मार्करों को बनाने के लिए निर्णय लिया, जिसे सोशल मीडिया पर भूटान के द्वारा विवादित बना दिया गया।

वहां के नागरिक इस बात से चिंतित थे कि भारत ग्रामीण इलाकों पर अपना ध्वज लगाने का प्रयास कर रहा है। वैसे इस तरह का विवाद पहला नहीं था। पिछले साल अप्रैल में, सड़क विभाग को पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगे एक बोर्ड को हटाना पड़ा था जिसमें लिखा था कि 'दंतक वेलकम यू टू भूटान' था।

इसके अलावा, थिम्फू-फुंट्सहोलिंग राजमार्ग पर, एक अन्य बोर्ड जिसमें 'भारत सरकार' को श्रेय दिया गया था उसे हटाया गया। आखिरकार, हाल के मामले में, जिसे राष्ट्रीय साप्ताहिक भूटानी द्वारा कवर किया गया था, लोक निर्माण मंत्री ने कदम बढ़ाया और स्टिकर को नीले और सफेद रंग में बदल दिया गया।

यह घटना भारत-भूटान संबंधों में दरार पैदा करने वाला था, लेकिन यह हिमालयी साम्राज्य में बढ़ती संवेदनाओं का एक स्पष्ट संकेतक भी है, क्योंकि यहाँ तीसरा आम चुनाव होने वाले है। भूटान की नेशनल असेंबली भंग कर दी गई थी और इस महीने चुनाव से पहले एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई थी, जो अक्टूबर के अंत तक पूरी हो जाएगी और यह भूटान में 10 साल पुराने लोकतंत्र को चिह्नित करेगा।

संप्रभुता और आत्म-पर्याप्तता-

प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के नेतृत्व में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक बढ़त के साथ चुनाव में प्रवेश किया है, भले ही वह 2013 में 47 सीटों में से 32 सीटों पर जीत को बेहतर बनाने में सक्षम न रहे थे। 4 अगस्त को अपनी पार्टी की पहली रैली में, श्री तोबगे ने अपनी पार्टी के पक्ष में 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मुद्दे को हथियार के रूप में बताया था, जिसे भूटान में एक निर्माण और पर्यटक आकर्षण से हासिल किया गया था।

इन्होने रुपए-नगल्ट्रम संकट को स्थिर करने का भी श्रेय अपने को दिया, जो इन्हें विरासत में मिला था। हालांकि, श्री तोबगे राष्ट्रीय ऋण को रोकने में असमर्थ रहे हैं, जो ज्यादातर जल विद्युत ऋण के लिए भारत से लिया गया हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी अभियान में इसे पूरा करने का वादा किया था।

हांलाकि, देखा जाये तो श्री तोबगे पर विपक्ष द्वारा 'भारत समर्थक' दृष्टिकोण के लिए दोषी कहा जाता है। अपनी पहली रैली में, 9 जुलाई को, ड्रुक फुएनसम त्सोगोगा (डीपीटी) के पार्टी अध्यक्ष पेमा ग्यामत्शो ने कहा कि 'संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता' डीपीटी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक थे।

महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह चुनाव 2017 में भारत और चीन में डोकलाम क्षेत्र पर हुए विवाद के बाद आया है। श्रीमान ग्यामत्सो का बयान भूटानी विदेश नीति की वकालत करता है जो भारत पर कम निर्भर है।

यह देखते हुए, आने वाले चुनावों के दौरान भारत को हल्के और विचारपूर्वक कदम उठाना चाहिए। मनमोहन सिंह की अगुआई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने भूटान में 2013 के चुनाव से ठीक पहले खाना पकाने वाले गैस की सब्सिडी में कटौती का फैसला अक्सर भारतीय हस्तक्षेप का प्रमाण दर्शाता है, खासकर डीपीटी पार्टी द्वारा जो चुनाव हार गया था।

तब से, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल तक, एक पार्टी (उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में शेख हसीना के आवामी लीग) या किसी अन्य के लिए प्रतिशोध (जैसे महिंद्रा राजपक्षे की श्रीलंका स्वतंत्रता पार्टी) के लिए प्राथमिकता का संकेत देते हुए, भूटान पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया है। एक बार नई सरकार होने के बाद श्री मोदी थिम्फू जाने की उम्मीद कर रहे हैं, और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भी इस साल एक राजकीय यात्रा की उम्मीद है।

नीतियों और मुद्दों की समीक्षा-

आने वाले महीनों में भारत की भूटान नीति को संशोधित करने और पिछले कुछ सालों में कई मुद्दों को हल करने के लिए एक उपयोगी पहल की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत की बिजली-अधिशेष स्थिति और पवन तथा सौर ऊर्जा जैसी अन्य अक्षय ऊर्जा के आगमन से भूटान को यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका जल विद्युत क्षेत्र लाभदायक हो। और जब तक भारत को मदद करने के तरीके नहीं मिलते, तब तक भूटान पर 'कर्ज में फंसे देश' का आरोप लगाया जाता रहेगा, जैसा चीन द्वारा लगाया जाता रहा है।

भारत को सीमा पार व्यापार को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वस्तु और सेवा कर अभी भी भूटानी निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रहा है और विमुद्रीकरण ने बैंकिंग प्रणाली पर स्थायी और गंभीर परिणाम छोड़े हैं।

चीन पर सवाल-

हमेशा से भारत और भूटान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा चीन के साथ सौदा करने से संबंधित रहा है। डोकलाम संकट, भूटानी प्रतिष्ठान के लिए कई वास्तविकताओं को सामने लाया है। जिसमें पहला डोकलाम है जिस पर भारत-चीन सीमा विवाद के संभावित 'समाधान' के हिस्से के रूप में लंबे समय से चर्चा जाती रही है, लेकिन या भारत-चीन के नए गतिरोध का फिर से कारण बन सकता है, जहाँ फिर से भूटान एक मूक दर्शक बन कर रह जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि ये मुद्दे सितंबर, 1958 की स्थिति की याद दिलाते हैं, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूटान के दूसरे राजा जिग्मे वांगचुक से मिलने के लिए चुम्बी घाटी में याक द्वारा कठिन तीन सप्ताह की यात्रा की थी।

यह यात्रा चीन के साथ बढ़ते तनावों के साथ शुरू हुई थी, जहाँ प्रतिनिधिमंडल को डोकलाम में प्रवेश के लिए विशेष मंजूरी दे दी थी। वर्तमान का सच तो यह है कि भारत और भूटान के बीच प्रगाढ़ मैत्री संबंध केवल भूटान के ही नहीं, भारत के हित में भी हैं।

* * *

GS World टीम...

भारत-भूटान संबंध

परिचय-

- भारत और भूटान के बीच संबंध पारस्परिक विश्वास और समझबूझ पर आधारित हैं।
- दोनों देशों के बीच सामरिक हितों के संबंध में साझी समझ है और सुरक्षा मुद्दों तथा सीमा प्रबंधन पर घनिष्ठ सहयोग है।
- चीन के साथ हुए डोकलाम विवाद के दौरान यह सहयोग देखने को भी मिला, जब चीन के इरादों पर दोनों देशों ने संयुक्त रूप से आपत्ति जताई थी।
- भूटान यह सुनिश्चित करता है कि उसके क्षेत्रों का उपयोग भारतीय हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाली ताकतों को नहीं करने दिया जाएगा।

आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों?

- भूटान के आयात और निर्यात का सबसे बड़ा भागीदार भारत है। भारत, भूटान से जल विद्युत, अल्कोहलिक पेय, इलायची, फल-उत्पाद इत्यादि का आयात तथा भूटान को पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल आदि का निर्यात करता है।
- भूटान एक भू-आबद्ध देश है, इसलिये वह अपने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये भारत के बंदरगाहों तथा अन्य मार्गों पर निर्भर है ।
- भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में भूटान का प्रतिनिधित्व करता है।

सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों?

1. भारत, भूटान की 'रॉयल भूटान आर्मी" को प्रशिक्षण के साथ-साथ उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिये आवश्यक सैन्य-सामग्री भी प्रदान करता है।
2. चुम्बी घाटी तथा डोकलाम संकट जैसे मुद्दों पर भूटान को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिसमें भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ में भूटान के हितों का समर्थन करता है।

चीन का बढ़ता प्रभाव

मुख्य कारण

- भारत केवल वादे करता है, लेकिन चीन वादा करके उन्हें निभाता भी है।
- पिछले दो दशकों से चीन खामोशी से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
- चीन के काम करने का तरीका अलग है, वह केवल धन उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि इन देशों में बुनियादी ढाँचा बनाने का काम भी करता है।
- चीन ने इन देशों में सड़कें, पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डों की कई परियोजनाएँ पूर्ण की हैं।
- आज चीन दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

दतक परियोजना

- इसकी स्थापना मई, 1961 में पूर्वी भूटान के समद्रुप जोंकार में हुई थी।
- इसकी साधारण सी शुरूआत बांस की झोपड़ियों एवं घास-फूस की छतों से की गई थी।
- इसने न केवल सड़कों और दूरसंचार की व्यवस्था का विस्तार कर भूटान के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि पूरे भूटान में अन्य प्रतिष्ठित कार्यों को भी पूरा किया है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. दंतक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारत सरकार के बार्डर रोड संगठन द्वारा इस परियोजना को भूटान में पूरा किया गया है।
   2. दंतक परियोजना के कारण हाल ही में भारत-भूटान संबंध काफी चर्चा में आ गए है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत, भूटान के लिए निम्नलिखित में से किस कारण से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है?
   (a) भारत, भूटान के आयात-निर्यात का सबसे बड़ा भागीदार देश है।
   (b) भूटान भूआबद्ध होने के कारण अपने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत के बंदरगाहों पर निर्भर है।
   (c) भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में भूटान का प्रतिनिधित्व करता है।
   (d) उपर्युक्त सभी

3. भूटान, चीन के बढ़ते प्रभाव का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है?
   (a) चीन वादा करके उन्हें पूरा भी करता है।
   (b) चीन धन उपलब्ध कराने के साथ ही इन देशों में बुनियादी ढाँचा बनाने पर भी कार्य करता है।
   (c) चीन ने कई देशों में समय पर सड़के, पुल, बंदरगाह तथा हवाई अड्डों की कई परियोजनाएँ पूर्ण की है।
   (d) उपर्युक्त सभी

1. **Consider the following statements regarding the project Dantak-**
   1. This project is being completed in Bhutan by the Border Road organisation of Indian Government.
   2. Recently India-Bhutan relations has been in discussion due to the project.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

2. **India is important for Bhutan for economic viewpoint due to which of the following reason?**
   (a) India is the Largest parter of export-import of Bhutan.
   (b) Bhutan depends on Indian ports for the regional and international trade as it is Landlocked country.
   (c) India represents Bhutan in institutions like Internetional Monetary Fund and World Bank.
   (d) All of the above

3. **What of the following can be the reason for the increasing influence of China on Bhutan?**
   (a) China fulfills what he promishes.
   (b) China works on the making of basic infrasttructure in these countries with providing them money.
   (c) China has completed many projects of roads, bridges, ports and airports in many countries on time.
   (d) All of the above

नोट :
18 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(a), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. यद्यपि कि भारत, भूटान का हितैषी राष्ट्र रहा है, फिर भी कुछ दिनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर भूटान-भारत पर आरोप लगा रहा है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या भारत को भूटान की सहायता करना छोड़ देना चाहिए?
(250 शब्द)

Although India has been well wisher nation of Bhutan, but in last few days Bhutan is putting allegation on India over several issues. In the context of this statement, explain whether India should stop aiding Bhutan.
(250 Words)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

21 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''भारत को व्यापार समझौते पर सबसे आसान तरीका नहीं अपनाना चाहिए, इसका हल केवल बातचीत से निकाला जा सकता है।''

16वें एशियाई और प्रशांत महासागर देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता, एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। समूह के सबसे संभावित सदस्य-देशों में, जिसमें 10 एशियन सदस्य और उनके मुक्त व्यापार समझौते के सहयोगी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य शामिल हैं, इस वर्ष के अंत तक व्यापार सौदे पर 'वास्तविक समझौते' की चाहत रखते हैं।

भारत उन देशों में से एक है, जिन्हें इस बिंदु पर पहल करना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने के लिए चार मंत्रियों के एक समूह की स्थापना करने का सरकार का फैसला स्थिति की गंभीरता का संकेत देता है।

आरसीईपी वार्ता के साथ भारत की चिंताएं अब कई गुना बढ़ गयी हैं, लेकिन कुछ को संबोधित किया जाना आवश्यक है।

सबसे पहला यह होगा कि भारतीय बाजारों में चीनी सामानों की पहुंच अधिक होगी, जो भारत के भारी व्यापार घाटे को देखते हुए एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए, यह देखते हुए कि भारत एक ऐसा देश है जहां चीन के साथ एफटीए नहीं है, सरकार ने चीन के लिए 'अंतर बाजार पहुंच' रणनीति का प्रस्ताव दिया है, जिसे अन्य भी स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

इस पर सहमति मिलने के बाद न सिर्फ हमारे व्यापार को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कुशल श्रमिक व पेशेवरों को भी रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे।

हमारी कोशिश मुक्त व्यापार की संकल्पना को एशिया में साकार करने की भी होनी चाहिए। इससे 'ट्रेड वार' के गति पकड़ने पर हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि हमें यह काम चीन के साथ कोई गुट बनाए बिना करना होगा, वरना लंबी अवधि में यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।

वुहान शिखर सम्मेलन के बाद, भारत और चीन ने व्यापार घाटे को संबोधित करने पर काफी प्रगति हासिल की है, चीन के साथ फार्मा और कृषि उत्पादों जैसे भारतीय सामानों तक पहुंच बढ़ रही है।

दूसरी चिंता अन्य आरसीईपी देशों द्वारा कई उत्पादों पर कम सीमा शुल्क के लिए मांगों और भारत की तुलना में बाजार तक पहुंच के लिए मांगों से संबंधित है।

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे अधिक विकसित आरसीईपी देश अपनी सेवाओं को उदार बनाने और भारतीय श्रमिकों की स्वतंत्र गतिशीलता की अनुमति देने के लिए भारत की मांगों को समायोजित करने के इच्छुक नहीं हैं।

स्वाभाविक रूप से, इनमें से कोई भी इस तथ्य से सहमत नहीं हुआ है कि भारत सहित कुछ आरसीईपी देशों के अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, एक बिंदु जहां सरकार परंपरागत रूप से संरक्षणवादी बनती है।

इन चिंताओं के बावजूद, सरकार को इस चरण में भारत की आरसीईपी संबंध को धीमा करने या वार्ता से बाहर निकलने के गहन रणनीतिक नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करने से आरसीईपी के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में भारत को अनदेखा कर दिया जाएगा और चीन को क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा वास्तुकला में और स्थान मिल जाएगा।

एक समय जब अमेरिका बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर वैश्विक समझौते से अलग हो गया है, तो एक भारतीय वाकआउट संयुक्त संदेश को खतरे में डाल देगा जो आरसीईपी देशों, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह भारत के 'एक्ट ईस्ट' नारे और आसियान के लिए विस्तारित पहुंच से भी तेज प्रस्थान करेगा।

* * *

GS World टीम...

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

चर्चा में क्यों?

- इस महीने भारत और चीन समेत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) सदस्य देशों की एक बैठक होने जा रही है।
- 30-31 अगस्त को सिंगापुर में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के व्यापार मंत्री शामिल होंगे।

उद्देश्य-

- 16 सदस्य देशों के इस समझौते को लेकर आगे की बातचीत के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन की जरूरत है।
- वस्तु, सेवा, निवेश, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल करना।

क्या है?

- यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- आर.ई.सी.पी. वार्ता की औपचारिक शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी।
- आर.ई.सी.पी. को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा हैं।
- आर.ई.सी.पी. के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर और इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 39 प्रतिशत है।
- इससे पहले बैंकाक में 23वें दौर की बातचीत हाल में संपन्न हुई लेकिन उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई।

सदस्य देश

- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी देश हैं।

क्या है आसियान देश?

- आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर बनाया गया है।
- इस संगठन का उद्देश्य सभी 10 देशों के बीच आर्थिक साझेदारी, व्यापार में बढ़ावा देना है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना है।
- इस संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस समझौते में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल है।
2. इसमें शामिल होने के मुद्दे पर निर्णय के लिए भारत ने चार सदस्यों की समिति का गठन किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का सदस्य बनने के बाद निम्नलिखित में से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

(a) भारतीय बाजारों में चीनी वस्तुओं की पहुँच बढ़ जायेगी।
(b) चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे की स्थिति और बिगड़ सकती है।
(c) यदि इस साझेदारी में सेवाओं को उदार बनाया जाता है, तो भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
(d) उपर्युक्त सभी

3. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वार्ता में निम्नलिखित में से कौन-सा/से देश/संगठन शामिल है/हैं?

1. आसियान 2. चीन
3. ऑस्ट्रेलिया 4. जापान

कूट-

(a) 1 और 2
(b) 1, 3 और 4
(c) केवल 1
(d) 1, 2, 3 और 4

नोट : 20 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं? भारत का इस साझेदारी में सदस्यता ग्रहण करने या सदस्यता नहीं ग्रहण करने के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What do you understand by Regional Comprehensive Economic Partnership? Criticise the impacts of getting membership or not getting the membership in this cooperation.(250 Words)

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

स्रोत– 'द हिन्दू' || '21 अगस्त, 2018'

IAS PCS

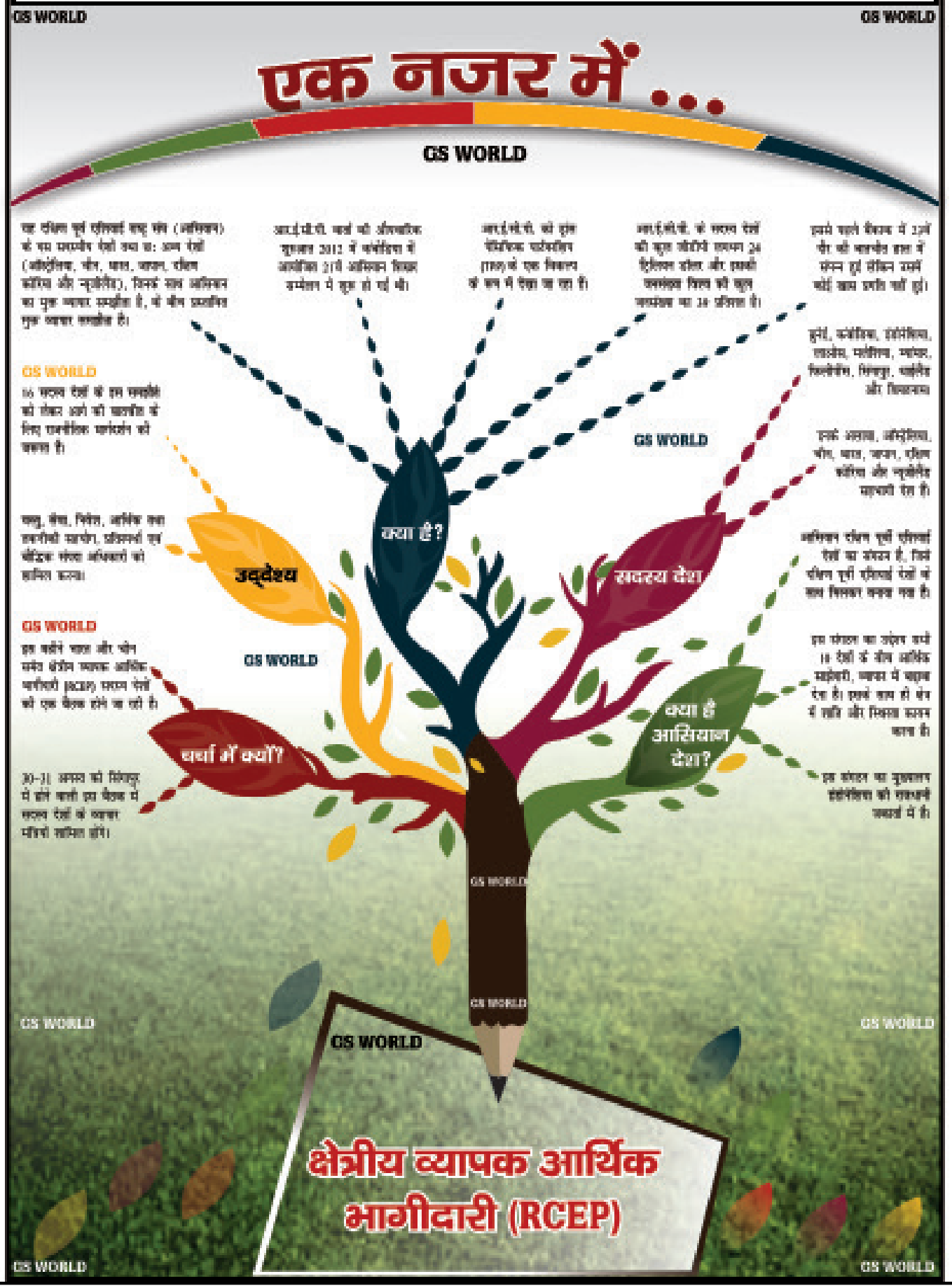

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

नए मार्ग का निर्माण : हाथी गलियारे की सुरक्षा पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, संरक्षण) से संबंधित है।

22 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''देश भर में हाथी गलियारे की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।''

नीलगिरि में हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों में परिचालन करने वाले 27 रिजार्ट को बंद करने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन रिक्त स्थानों की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि वो नीलगिरि क्षेत्र में नए रिजार्ट के लिए एक्शन प्लान बनाकर कोर्ट के सामने पेश करें। उन्होंने इस क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने कहा कि देश के 22 राज्यों में 27 हाथी कॉरिडोर हैं, लेकिन सिर्फ छह राज्यों ने इस बारे में केंद्र को रिपोर्ट दी है।

पारिस्थितिकी का कमजोर विनियमन इनके आवासों पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल रहा है और हाथियों की तरह बड़े आवास वाले जानवरों को प्रभावित कर रहा है। जंगलों का विखंडन प्रवासी गलियारों को संरक्षित करने के लिए इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।

हाथियों का आवागमन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनकी आबादी आनुवांशिक रूप से व्यवहार्य हो और जंगलों को पुनर्जीवित करने में मदद करें, जिसमें बाघों सहित अन्य प्रजातियां भी निर्भर हैं।

हाथियों के आवास के निकट मानव हस्तक्षेप को समाप्त करना संरक्षण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जानवरों को अपने वैकल्पिक आवासों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उनका और मानवों के साथ संघर्ष का जन्म होता हैं।

वृहद् मैदान जो बेबुनियाद पर्यटन स्थल में बदल गए हैं, उनके मार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाथी-मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

आंकड़ों के मुताबिक इन मुठभेड़ों से औसतन प्रति वर्ष लगभग 450 लोगों की जान और प्रतिशोधात्मक कार्यों में लगभग 100 हाथियों की जान चली जाती हैं।

वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट हाथी के साथ प्रकाशित हाथी गलियारों की एक समीक्षा में 101 ऐसे गलियारों की पहचान की गयी हैं, जिनमें से लगभग 70% नियमित रूप से उपयोग किए जाते हैं।

गलियारे के लगभग तीन-चौथाई दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर जंगलों में समान रूप से विभाजित हैं, जबकि शेष उत्तर-पश्चिम बंगाल और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मार्ग केवल सौ मीटर चौड़े और अनिश्चित रूप से संकीर्ण हैं।

इन परिदृश्यों में और ऐसे सबूत के साथ जो यह बताते हैं कि केवल ब्रह्मगिरी-नीलगिरि-पूर्वी घाट के पर्वतों में अनुमानित 6,500 हाथी हैं, उन्हें उनके द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले मार्गों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

हैरानी की बात है कि, नीलगिरि में 39 रिजार्ट पर जिला कलेक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि वे आवश्यक अनुमतियों के बिना ही वन विभाग के क्षेत्र में आते हैं। जिसकी जांच बड़े स्तर पर की जानी चाहिए कि वाकई ऐसी कोई गलती हुई है या नहीं।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देश के सफल मॉडल का उपयोग करके हाथी गलियारों का विस्तार करना है, जिसे निजी धन का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण और सरकार को उनके हस्तांतरण सहित प्रयासों द्वारा सफल बनाया जा सकता है।

संरक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से दो को त्वरित उपचार की आवश्यकता है: लगभग 40% हाथी भंडार दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि वे संरक्षित पार्कों और अभ्यारण्यों में शामिल नहीं हैं; और इन गलियारों को कोई विशिष्ट कानूनी सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराया गया है। इन मार्गों में अवैध संरचनाओं को बिना देरी किये जल्द से जल्द हटा दिया जाना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

हाथी गलियारे

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में नीलगिरि हाथी गलियारे के 27 रिजार्ट बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से यह सुर्खियों में बना हुआ है।
- पीठ ने नीलगिरि के हाथी गलियारे पर इस तरह से निर्माण होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि हाथी हमारी ''राष्ट्रीय धरोहर'' है।
- देश के 22 राज्यों में हाथियों के लिये गलियारे हैं, परंतु शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद 13 राज्यों ने इस मामले में सरकार को जवाब नहीं दिया है।

क्या है?

- भूमि का एक ऐसा संकीर्ण भाग जो दो बड़े आवासों को आपस में जोड़ता हो।
- ऐसे गलियारे पहले ही किसी न किसी सरकारी एजेंसी जैसे वन या राजस्व विभाग के नियंत्रण में हैं।
- गलियारों में बड़ी वाणिज्यिक सम्पदाओं तथा अनाज या कृषि भूमि में अप्रयुक्त स्थानों को शामिल किया जा सकता है।
- वर्ष 2005 में 88 हाथी गलियारे चिन्हित किये गए थे, जो आगे बढ़कर 101 हो गये। हालाँकि कई कारणों से ये कॉरिडोर खतरे में हैं।

चिंताएं-

- विकास कार्यों के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कोयला खनन तथा लौह अयस्क का खनन हाथी गलियारे को नुकसान पहुँचाने वाले दो प्रमुख कारक हैं।
- ओडिशा, झारखंड, और छतीसगढ़ जहाँ हाथी गलियारे की संख्या अधिक हैं, वहीं यहाँ खनन गतिविधियाँ भी व्यापक रूप में होती हैं।
- तेजी से खंडित होते प्राकृतिक परिदृश्यों ने इस वृहद् आकर वाले स्तनधारी जानवर को मानव-प्राच्य क्षेत्रों में प्रवेश करने को मजबूर कर दिया है।
- कुछ समय पूर्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (एनजीटी) ने ओडिशा में 'हाथी कॉरिडोर' को अधिसूचित करने की सुस्त गति के प्रति अत्यधिक निराशा व्यक्त की थी।

आवश्यकता क्यों?

- हाथियों के लिए एक वृहद् मैदान की कमी की वजह से वे अपने आवास से बाहर निकल आते हैं, जिससे मनुष्य के साथ हाथियों का संघर्ष बढ़ जाता है।
- कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से जोड़ा जा सकता है।
- इससे न केवल उनके व्यवधान-रहित आवाजाही सुनिश्चित होगी, बल्कि आनुवंशिक विविधता विनिमय के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में प्रोजेक्ट हाथी के साथ प्रकाशित हाथी गलियारों की एक समीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है?

(a) वन्य जीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से
(b) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(c) पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
(d) वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से

2. हाथी गलियारे की रक्षा एवं विकास से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा?

(a) हाथी एक क्षेत्र/जंगल से दूसरे क्षेत्र/जंगल में सुगमता से विचरण कर सकते हैं।
(b) इससे हाथी मानव बस्तियों में प्रवेश नहीं करेंगे या प्रवेश करने से बचेंगे।
(c) गलियारे की सुचारु व्यवस्था होने से मानव-हाथी संघर्ष में कमी आयेगी।
(d) उपर्युक्त सभी

3. हाल ही में हाथी गलियारे में स्थित रिर्जाट को बंद करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। यह रिर्जाट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है?

(a) नीलगिरि क्षेत्र (b) दण्डकारण्य क्षेत्र
(c) विंध्य क्षेत्र (d) मालवा क्षेत्र

नोट : 21 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाथी गलियारे में स्थित रिजॉर्ट को बंद करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में हाथी गलियारों के बारे में बताते हुए इसकी आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। साथ ही यह भी बताइये कि गलियारे में स्थित रिजार्ट किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं? (250 शब्द)

Recently, the Supreme Court has ordered to close the resorts situated in elephant corridors. In this reference, elucidating elephant corridors, discuss its importance. Along with it, elucidate how resorts situated in corridor were creating obstruction? (250 Words)

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

THE HINDU

22
Aug., 2018

IMPORTANT NEWS & ARTICLES

1. SC scraps NOTA option for RS polls – page no – 1
2. Centres rules out total ban on firecrackers – page no – 1
3. Commitee reviews kerala situation – page no – 1
4. State seeks cess on SGST, increased borrowing limit – page no – 7
5. Centre grants tax exemption on relife items from abroad – page no – 7
6. IITs to cast net for foreign faculty – page no – 11
7. NCRB to track plaints on sexual violence – page no – 11
8. Opening up trade with india a priority for the U.S – page no – 12
9. Centre moots overseas UDAN – page no – 13
10. Creditors have recovered over Rs 50,000 cr. under IBC – page no – 13
11. Trade deficit is greater concern than declining rupee – page no - 13
12. SEBI's MF reclassification hits smalll cap universe – page no- 13
13. Swiss cable solutions firm eyes data centre growth – page no – 14
14. Teenager chaudhary strikes gold – page no – 15
15. Divya grapples her way to Bronze – page no – 15

Editorial

Clearing the path – page no – 8
high sciencewith low development – page no – 8
Strengthening teh federal link – page no – 8
Difining the Holocene – page no – 8

संघीय श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

23 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक -
एमए ओमेन (एक प्रतिष्ठित सदस्य, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम)

''क्षेत्रीय न्यायपरस्ता के निर्माण में राज्य वित्त आयोग के क्षमता की पहचान करनी होगी।''

भारत में राज्य वित्त आयोग राज्य/उप-राज्य स्तरीय राजकोषीय संबंधों को तर्कसंगत बनाने और व्यवस्थित करने के लिए 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन (CAs) द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय संस्था है। इसमें अन्य संघीय प्रणालियों की तरह कुछ समानताएं हैं। इसका प्राथमिक कार्य नागरिकों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में बढ़ती असंतुलन को सुधारना है। लेकिन संघ, राज्यों के साथ-साथ पेशेवर समुदाय द्वारा इस संस्थान के महत्व की अपर्याप्त प्रशंसा भी काफी बार की जाती रही है।

संविधान के अनुच्छेद 243 I ने राज्यपाल को संवैधानिक संशोधन के एक वर्ष के अंदर (24 अप्रैल, 1994 से पहले) और उसके बाद हर पांच वर्षों के भीतर वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनिवार्य किया है। इसका मतलब है कि पांचवीं पीढ़ी के राज्य वित्त आयोग को अब तक 140 सार्वजनिक रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए थी।

आज तक केवल असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल ने अपनी पांचवीं राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट जमा की है। कई राज्यों ने अभी तक तीसरे राज्य वित्त आयोग सीमा को ही पार नहीं कर पाए हैं। बड़े बहुमत के साथ इन राज्यों ने दंड रहित होकर संविधान के जनादेश का उल्लंघन किया है।

यहाँ मूल सवाल यह है कि क्या संविधान का सम्मान सुविधा के अनुसार करना चाहिए? राज्य वित्त आयोग की बात आने पर गंभीरता, नियमितता, अनुशंसाओं की स्वीकृति और उसका कार्यान्वयन जो केंद्रीय वित्त आयोग की विशेषता रखते हैं, स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

राज्य वित्त आयोग की तुलना में केंद्रीय वित्त आयोग को पेशेवर और अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

राज्य वित्त आयोग की रचना का एक सारांश सर्वेक्षण अकादमिकों की बजाय सेवारत और/या सेवानिवृत्त नौकरशाहों की भारी उपस्थिति को प्रकट करता है। इसके लिए राज्यों को दोष का अपना हिस्सा सहन करना होगा।

केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की उचित तुलना करने के लिए, कुछ तथ्यों को इसके परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए। एक, ऐतिहासिक कारणों से, केंद्रीय वित्त आयोग, विशेष रूप से तीसरे से, ने योजना और निवेश आवंटन से दूर रहने की एक प्रतिबंधित भूमिका निभाई है।

राज्य वित्त आयोग सामान्य रूप से ऐसा कर नहीं सका, हालांकि कुछ राज्यों ने यूएफसी का पथ चुना है। अब जब योजना आयोग को ध्वस्त कर दिया गया है, तो 15 वीं केंद्रीय वित्त आयोग को अपने निर्णय लेने वाले डोमेन को बेहतर और आगे लाना होगा।

दूसरा, कई राजनेताओं, नीति निर्माताओं और यहां तक कि विशेषज्ञों के बीच धारणा को अव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय वित्त आयोग की तुलना में राज्य वित्त आयोग और स्थानीय सरकार जिनके साथ वे सौदा करते हैं, उनमें से एक कम संवैधानिक स्थिति में रह रहा है। वैसे देखा जाये तो ये गलत है।

राज्य वित्त आयोग निस्संदेह अनुच्छेद 280 के तहत बनाए गए केंद्रीय वित्त आयोग पर आधारित है जिसे अनुच्छेद 243 I और 243 Y में उदाहरण के साथ बताया गया है। जहाँ एक तरफ केंद्रीय वित्त आयोग के पास संघ-राज्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को सुधारने का काम है, वहीं दूसरी तरफ राज्य वित्त आयोग को राज्य/उप-राज्य स्तरीय संस्थानों के संदर्भ में ऐसा करना होता है। संविधान स्थानीय सरकार के साथ एक राज्य सरकार के बराबर व्यवहार करता है, खासकर जब वित्तीय संसाधनों को साझा करने की बात आती है।

एक श्रृंखलाओं की भूमिका-

तीसरा, देखा जाये तो पर्याप्त रूप से अगर सराहना नहीं की जाती है तो वह है कि केंद्रीय वित्त आयोग की तुलना में राज्य वित्त आयोग का क्षैतिज असंतुलन को सही करने का कार्य बेहद कठिन है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2.5 लाख स्थानीय सरकारों पर विचार करना पड़ता है।

निहितार्थ से, एक राज्य वित्त आयोग सहकारी संघवाद के नियम को लागू करने वाली एक संस्थागत एजेंसी है जो प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के बावजूद न्यूनतम सार्वजनिक समान आश्वासन प्रदान करती है।

चौथा, अनुच्छेद 280 (3) को राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के संवर्धन के उपायों को अपनाने के लिए खंड (बी) और (सी) जोड़ने के लिए संशोधन किया गया है।

ये उप-खंड स्थानीय सरकारों और राज्य वित्त आयोग के बीच लिंक को राजकोषीय संघवाद के रूप में पुष्टि करते हैं। यह तब होता है जब केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अंतर-राज्य असमानताओं को उनके अंतर-वितरण मानदंडों के माध्यम से कम किया जाता है और क्षैतिज वितरण मानदंडों के माध्यम से राज्य वित्त आयोग द्वारा अंतर-राज्य असमानता कम हो जाती है और भारतीय संघ एक स्थायी और समावेशी राष्ट्र-राज्य बन जाता है।

पांचवां, केंद्रीय वित्त आयोग के पास संघ और राज्यों के वित्त की समीक्षा में कोई डेटा समस्या नहीं थी। संघ और राज्यों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली अच्छी तरह से निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ, स्थानीय सरकारें बिना उचित बजटीय प्रणाली के गंभीर अव्यवस्था का सामना कर रही हैं और इसके कारण, राज्य वित्त आयोग को विश्वसनीय डेटा की एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है।

संक्षेप में, राज्य वित्त आयोग के मामले में कई पर्याप्त स्थितियां अनुपलब्ध हैं। छठा, भारत का संघीय विकास स्थिति केवल विकासवादी नीति बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ सकता है जो परिष्कृत लक्ष्यों की ओर काम करता है।

सीए ने स्थानीय सरकारों को राज्यों को संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने का कार्य छोड़ दिया। केंद्रीय वित्त आयोग के विपरीत, कोई भी राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 G और 243 W (जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना की बात करता है) और अनुच्छेद 243D (जो प्रत्येक राज्य के लिए उप-राज्य स्तर पर स्थानिक योजना और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जिला योजना समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है), वे आसानी से इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

कटु सत्य यह है कि केंद्रीय वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट पढ़ने और विश्लेषण करने में अपना होमवर्क नहीं किया है। उप-राज्य स्तर पर वास्तविकता का एक समेकित खाता पेश किए बिना या यह रिपोर्ट हाइलाइट करते हुए कि कौन सी रिपोर्ट कहां और कैसे गलत हो गई है, केंद्रीय वित्त आयोग ना वैध रूप से राज्यों का मार्गदर्शन कर सकता है और ना ही संवैधानिक संशोधन के लक्ष्यों में सुधार करने में योगदान दे सकता है।

केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ की सभी शर्तें (11 वीं के बाद से) मुख्य कार्य के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने की आवश्यकता को दोहराती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या 13 वें स्थान पर उन्होंने स्थिति को बेहतर करने और एक अच्छी स्थानीय प्रशासन प्रणाली की दिशा में काम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी अच्छी तरह से डिजाइन की गई अनुदान योजना को कभी उचित मार्ग प्रदान नहीं किया गया था।

संक्षेप में, राज्य वित्त आयोग को भारतीय वित्तीय संघ में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान नहीं किया गया है। और इसलिए भारत ने क्षेत्रीय समानता बनाने का एक बड़ा मौका खो दिया है।

* * *

GS World टीम...

राज्य वित्त आयोग

क्या है?

- अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी।
- इसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है।
- संविधान के अनुच्छेद 243-I का संबंध वित्त आयोग से है जो पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

कार्य

- राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना।
- राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना।
- राज्य की संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना।
- वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जानी वाली धनराशि का सदुपयोग करना।
- राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों, शुल्कों, टोल, और अधिशुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की बीच आवंटन करना।
- कर, टोल, शुल्क, और फीस जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता है, का निर्धारण करना।

महत्त्वपूर्ण क्यों?

- भारत में पंचायती राज संस्था की अवधारणा और आकांक्षा को उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देना।
- सरकार और शासन के वृहद विकासवादी पहलू को बढ़ावा देना।
- स्थानीय लोगों और स्थानीय नेताओं का सशक्तिकरण करना।
- दूरस्थ क्षेत्रों के लिए धनराशि का सही मात्रा और समय पर पहुंचना।

चिंताएं-

- राज्य अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने में अनिच्छुक रहे हैं।
- राज्य वित्त आयोग स्वायत्तता में बहुत अधिक हस्तक्षेप और अतिक्रमण का कार्य कर रहा है।
- राज्यों के पास स्वयं के खर्चे के लिए पर्याप्त धन नहीं है जिस वजह से धन राशि को साझा करने के कारण मामूली धनराशि का राज्य सरकार द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है।
- अभी तक राज्य वित्त आयोग के विचार को सच्ची भावना में लागू नहीं किया जा सका है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है?
   (a) 21वाँ संविधान संशोधन
   (b) 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन
   (c) 91वाँ और 92वाँ संविधान संशोधन
   (d) 76वाँ एवं 77वाँ संविधान संशोधन

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. केंद्रीय वित्त आयोग को पेशेवर एवं अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्वीकार किया गया है।
   2. राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद-280 के अंतर्गत बनाये गए केंद्रीय वित्त आयोग पर आधारित है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

3. राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
   (a) अनुच्छेद-280
   (b) अनुच्छेद-243(I)
   (c) अनुच्छेद-248(J)
   (d) अनुच्छेद-281

1. **State Finance Commission has been formed through which of the following Constitutional Amendment?**
   (a) 21st Constitutional Amendment
   (b) 73rd and 74th Constitutional Amendment
   (c) 91st and 92nd Constitutional Amendment
   (d) 76th and 77th Constitutional Amendment

2. **Consider the following statements-**
   1. Central Finance Commission has been accepted as the professional and quasi-judicial body.
   2. State Finance Commission is based on the Central Finance Commission formed under Article 280.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

3. **State Finance Commission has been formed under which of the following article to review the economic state of Panchayati Raj Institutions and Municipalities of the State?**
   (a) Article 280
   (b) Article 243 (I)
   (c) Article 243(J)
   (d) Article 281

नोट :

22 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग से किस प्रकार भिन्न है? इसे स्पष्ट करते हुए बताइए यदि राज्य वित्त आयोग को सही भूमिका निभाने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान किया जाए, तो देश में क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। विश्लेषण कीजिए।

How State Finance Commission is different from Central Finance Commission? Explaining it elucidate if State Finance Commission is given required environment to play its correct role then regional disparity in the country can be reduced. Analyze. (250 शब्द)

क्या अनुच्छेद 35 ए को खत्म कर देना चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

24 अगस्त, 2018

द हिन्दू

पक्ष

लेखक-
भूपेंदर यादव (राज्य सभा के बीजेपी सदस्य)

''यह जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में मानता है।''

26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार जम्मू-कश्मीर भारत के अधिराज्य का एक अभिन्न अंग था और बाद में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया।

अभी हाल ही में ऐसे कई प्रसंग सामने आये हैं, जहाँ संविधान के अनुच्छेद 35ए को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है। संविधान के नियमित अनुक्रमिक पाठ में उल्लेख न करने के बावजूद, यह व्यापक कानूनी और राजनीतिक विवाद पैदा करने में कामयाब रहा है। जैसा कि अनुच्छेद 35ए केवल संविधान के परिशिष्ट में दिखाई देता है, इसे अक्सर कई कानूनी विशेषज्ञों द्वारा भुला दिया जाता है।

अनुच्छेद 35ए समझाओ-

अनुच्छेद 35 ए का निर्माण राष्ट्रपति चुनाव, संविधान (जम्मू-कश्मीर के लिए आवेदन) 1954 के आदेश के माध्यम से हुआ था। इसलिए, इसे अनुच्छेद 368 में निर्धारित संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बिना संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया गया था। हांलाकि, संविधान में एक नए अनुच्छेद को शामिल करने वाली ऐसी शक्ति भी विवादास्पद है।

अनुच्छेद 35 ए का शीर्षक कहता है कि 'स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों का संरक्षण'। अनुच्छेद 35 ए घोषित करता है कि स्थायी निवास, या विशेष विशेषाधिकारों और अधिकारों या प्रतिबंध लगाने या रोजगार, अचल संपत्ति के अधिग्रहण और राज्य में निपटारे या राज्य सरकार से सहायता के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं होना चाहिए कि यह भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत है। संक्षेप में, स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले ऐसे कानूनों को अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

नागरिकों का वर्गीकरण-

अनुच्छेद 35 ए द्वारा बनाए गए 'वर्गीकरण' को समानता के सिद्धांत पर परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों को 'द्वितीय श्रेणी' नागरिकों के रूप में मानता है। ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार के तहत रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं और ये चुनाव लड़ने से भी वंचित हैं।

मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाता है और वे किसी अदालत में भी इसके निवारण की मांग नहीं कर सकते हैं। देखा जाये तो ऐसी महिलाएं जो जम्मू-कश्मीर के बाहर शादी करती हैं वे इससे अधिक पीड़ित हैं। इसके अलावा, अगर वे स्थायी निवासी प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी उनके बच्चे स्थायी निवासी नहीं हो सकते हैं। यह विरासत के अपने मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर में प्रवास करने वाले शरणार्थियों के मुद्दों को अभी भी जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत 'राज्य विषयों' के रूप में नहीं माना जाता है।

इस मामले के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विश्वास दिलाना जरूरी है कि स्थिति में कोई भी बदलाव उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर की समृद्धि को बढ़ावा देगा क्योंकि इससे अधिक निवेश के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप नए अवसरों का निर्माण होने लगेगा। अनुच्छेद 35ए, जिसे लगभग छह दशक पहले शामिल किया गया था, उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर अब एक अच्छी तरह से स्थापित लोकतांत्रिक राज्य है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दृढ़ता से मानते थे कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों को इंसानियत (मानवता), जमुरीयत (लोकतंत्र) और कश्मीरीयत (कश्मीरी मूल्य) के सिद्धांतों से ही हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस मुद्दे को इसी सिद्धांत का उपयोग करके हल किया जाएगा।

* * *

विपक्ष

लेखक-
मनीष तिवारी (अधिवक्ता और एक पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री)

''संविधान के मुख्य निकाय में अनुच्छेद 35 ए को शामिल नहीं करने के कई कारण है।''

अनुच्छेद 35ए के लिए चुनौती दो संरचनाओं पर निर्भर है। पहला यह है कि इसे अनुच्छेद-368 को छोड़कर, असंवैधानिक रूप से शामिल किया गया था जो संविधान में संशोधन करने के लिए केवल संसद को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा यह है कि अनुच्छेद 35 ए के अनुपालन के लिए बनाए गए कानून संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से परे हैं, विशेष रूप से, अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और 21 (जीवन की सुरक्षा का अधिकार) का।

विलय दस्तावेज-

अन्य रियासतों के विपरीत, जिन्होंने 3 जून, 1947 को विभाजन योजना की घोषणा के बाद अपने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया था, जम्मू-कश्मीर उस समय अकेले रह गया था। 12 अगस्त, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंडस्टिल समझौते या यथास्थिति करार पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं किया। इसने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जम्मू-कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तान में अपने राज्य के अवशोषण के साथ सामना करते हुए महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। विलय दस्तावेज समझौते से जुड़े कार्यक्रम में यह निर्दिष्ट किया गया कि भारत का यह अधिराज्य केवल रक्षा, विदेश मामलों, संचार और सहायक मामलों से संबंधित कानून बना सकता है।

यूएन तत्त्वावधान के तहत जनमत संग्रह का मुद्दा अभी अधर में लटक रहा है। भारत 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद-370 लागू करके राज्य के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित हुआ। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अनुसार- इस संविधान के अन्य प्रावधान इस तरह के अपवादों और संशोधनों के अधीन उस राज्य के संबंध में लागू होंगे जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश राज्य के उत्थान के उपकरण में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित नहीं हो। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अनिवार्य अपवादों और संशोधनों के साथ विस्तार करने के लिए भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में आवश्यक हो सकता है।

1952 के दिल्ली समझौते ने अनुच्छेद 370 का पालन किया। इस समझौते के खंड 2 में कहा गया कि दोनों संविधानों के बीच यह सहमति हुई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, जिन लोगों के पास जम्मू-कश्मीर में निवास स्थान है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1927 और 1932 की राज्य विषय अधिसूचनाओं के संदर्भ में राज्य विधानमंडल को 'राज्य विषयों' पर विशेष अधिकारों को प्रदान करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी: राज्य विधानमंडल को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार था।

खंड 6 के अनुसार: मौलिक अधिकारों के संबंध में, पार्टियों के बीच सहमत कुछ बुनियादी सिद्धांतों को लागू किया गया था; यह स्वीकार किया गया था कि राज्य के लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए था। लेकिन उस विशिष्ट स्थिति को देखते हुए जिसमें राज्य को शामिल किया गया था, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित पूरा अध्याय राज्य पर लागू नहीं किया जा सका। कृपया ध्यान दें कि यह राज्य विषयों के लिए विशेष अधिकार नहीं है और नहीं मौलिक अधिकार है।

निहितार्थ-

यह इस समझौते के अनुसार था कि संविधान (जम्मू-कश्मीर के लिए आवेदन) 1954 का आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। इसमें अनुच्छेद 35 ए है, जो राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 35 ए संविधान के मुख्य निकाय में नहीं शामिल हो सका; यह राष्ट्रपति आदेश में निहित है जिसमें जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष आवेदन है। इसलिए, इसे खत्म करने से 1954 के राष्ट्रपति आदेश में निहित अन्य संवैधानिक संशोधनों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

* * *

लेखक-
प्रशांत भुषण (भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील)

''अनुच्छेद 35 ए भारत में जम्मू-कश्मीर के सशर्त प्रवेश की मान्यता है।''

अनुच्छेद-35 ए का कहना है कि राज्य सरकार के तहत रोजगार पर लगाए गए प्रतिबंधों या अचल संपत्ति का अधिग्रहण या राज्य में निपटान या राज्य सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति और सहायता इस आधार पर रद्द हो जाएगी कि इसके बारे में जम्मू-कश्मीर में कोई कानून नहीं है यह काफी असंगत है जो संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार का हनन है।

अनुच्छेद 370 का प्रारंभ-

यद्यपि यह अनुच्छेद, 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से आया था, लेकिन यह विलय के दस्तावेज के भी साथ आया था जिस पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए थे। विलय के दस्तावेज ने जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र को केवल सीमित अधिकार दिए। इसी कारण जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को पहचानने के लिए अनुच्छेद-370 पेश किया गया था। यह कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची में उन मामलों तक ही सीमित होगी, जो राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए मामलों में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित किए जाते हैं।

भूमि, भूमि पर अधिकार और राज्य में निपटान मुख्य मुद्दे हैं। भूमि एक राज्य विषय है। जम्मू-कश्मीर राज्य के सीमित प्रवेश और राज्य को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता के कारण, अनुच्छेद 35 ए केवल भारत में जम्मू-कश्मीर के सशर्त प्रवेश की मान्यता है और संसद और संविधान दोनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कानून बनाने के लिए संसद की सामान्य शक्तियां जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होंगी। यह अनुच्छेद-370 है जिसने संविधान के कुछ प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित कर दिया है। अनुच्छेद 370 के अनुसार है, अनुच्छेद-35 ए को 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से शामिल किया गया था।

संयोग से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कानून हैं जो कहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ भूमि खरीद नहीं सकता है। कठोरता से, ये कानून असंवैधानिक हैं और दोनों जगह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं - भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और किसी भी पेशे, व्यापार और व्यापार का अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। यह कानून असंगत हैं। लेकिन, चूंकि जम्मू-कश्मीर का प्रवेश उनके अधिकारों को देने के लिए सशर्त था, इसलिए भूमि और निपटारे से संबंधित मामलों के संबंध में उनकी संप्रभुता संरक्षित है। इसलिए, इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है क्योंकि यह संविधान के मूल भाग के अनुसार है और जम्मू-कश्मीर के साथ सीमित प्रवेश के अनुसार है।

कश्मीर ने भारत को पूरी तरह से कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए, यह एक अर्ध-संप्रभु राज्य है। यह किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है। अनुच्छेद-35A विलय के दस्तावेज और जम्मू-कश्मीर राज्य को दी गई गारंटी का पालन करता है कि राज्य की स्वायत्तता को संविधान द्वारा भी भंग या परेशान नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव-

अब, जम्मू-कश्मीर को अपने कानूनों के मुताबिक संपत्ति अधिकारों के संबंध में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे पर फैसला करना है कि वें क्या चाहते हैं। ऐसा कानून भारतीय संविधान के अनुसार भेदभावपूर्ण है और लैंगिक समानता के मुद्दे पर प्रतिकूल है। लेकिन समझौते के साधन और जम्मू-कश्मीर राज्य को दी गई स्वायत्तता के तहत, इसे कानूनों और राज्य के संविधान के अनुसार भी तय करना होगा।

* * *

GS World Committed To Excellence

GS World टीम...

अनुच्छेद 35A

चर्चा में क्यों?

- जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 35ए की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गयी है।
- राज्य सरकार ने स्थानीय और पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए सोमवार को होने वाली सुनवाई टालने का आग्रह किया है।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं में अनुच्छेद 35ए के कारण वहां विभिन्न वर्गो के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है।
- 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है।
- इसे संविधान के मूल भाग में नहीं, बल्कि परिशिष्ट (Appendix) में शामिल किया गया है।

परिभाषा

- अनुच्छेद-35A से जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है।
- इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे।

क्या है?

- संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सके।
- संविधान के अनुच्छेद-35A को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी।
- संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद-35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।
- सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए किया था।
- यह धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

हटाने की मांग क्यों?

- इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है।
- दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।
- **नोट** - अनुच्छेद-35A (कैपिटल ए) संविधान की किसी किताब में नहीं मिलता। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 35 (स्मॉल ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं।

विपक्ष में तर्क

- यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है, साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभाषी चरित्रों वाला है।
- इसे लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।
- विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।
- विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन (अनुच्छेद 14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 35 (A) भारत में ही दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।

पक्ष में तर्क

- यह राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।
- यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- इसके तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।
- घाटी में हालात अत्यंत ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमजोर करने का काम करेगा।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अनुच्छेद का निर्माण राष्ट्रपति चुनाव संविधान (जम्मू-कश्मीर के लिए आवेदन), 1954 के आदेश के माध्यम से हुआ है।
2. इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद-368 में निर्धारित संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बिना ही जोड़ा गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों के संरक्षण का प्रावधान करता है?

(a) अनुच्छेद-35A

(b) अनुच्छेद-371A

(c) अनुच्छेद-32

(d) अनुच्छेद-370

3. निम्नलिखित में से संविधान में वर्णित अनुच्छेद-370 किससे संबंधित है?

(a) मणिपुर में अफस्पा को हटाने से

(b) जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य घोषित करने से

(c) पर्वतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने से

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. Consider the following statements regarding article-35A-

1. Article-35A was born through a presidential order, the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order of 1954.
2. This article was added to the constitution without undergoing the procedure for constitutional amendments as laid down in Article-368.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following article provisions for the protection of laws related to the permanent residents of Jammu & Kashmir and their rights?

(a) Article 35A

(b) Article 371A

(c) Article 32

(d) Article 39D

3. Article-370 mentioned in the Constitution is related to which of the following?

(a) Removal of AFSPA is Manipur.

(b) Declaring Jammu & Kashmir the status of special state.

(c) Providing status of a special state to mountainous states.

(d) None of the above

नोट :

23 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c), 3(b) होगा।

World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद-35A को लेकर विवाद उठता रहता है। क्या अनुच्छेद-35A को समाप्त कर देना चाहिए? विवेचना कीजिए।

(250 शब्द)

Controversy keep rising over the Article-35A. Should Article-35A be scrapped? Examine.

(250 Words)

अनुच्छेद–35A

स्रोत– 'द हिन्दू' || '24 अगस्त, 2018'

एक नजर में...

अनुच्छेद 35A

- चर्चा में क्यों?
- हटाने की मांग क्यों?
- विपक्ष में तर्क
- पक्ष में तर्क
- क्या है?
- परिभाषा

GS WORLD

जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद-35A की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गयी है।

राज्य सरकार ने स्थानीय और पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए सोमवार को होने वाली सुनवाई टालने का आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं में अनुच्छेद 35A के कारण यहां विभिन्न वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है।

1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है।

इसे संविधान के मूल भाग में नहीं, बल्कि परिशिष्ट (Appendix) में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद-35A से जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है।

इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे।

संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सके।

संविधान के अनुच्छेद-35A को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी।

संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।

सरकार ने धारा-370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद-35A को लागू करने के लिए किया था।

यह धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

घाटी में हालात पहले ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमजोर करने का काम करेगा।

GS WORLD

इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है।

दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।

नोट- अनुच्छेद 35A संविधान की किसी किताब में नहीं मिलता। हालांकि संविधान में अनुच्छेद-35 (क्लॉज ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं।

यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त तो करता ही है, साथ ही यह वैश्विक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभासी साबित होता है।

इसे लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।

विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।

विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान निश्चित आश्वासन (अनुच्छेद 14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद-35 (A) भारत में ही दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।

यह राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।

यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

इसके तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।

पहाड़ियों में परेशानी : पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

25 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी पर विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर सार्वजनिक परामर्श को शामिल किया जाना चाहिए।''

केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आपदाजनक मानसून ने बाढ़ का रूप ले लिया, जिसने इस बहस को फिर से जीवंत कर दिया है कि राजनीतिक उदारता विज्ञान को अकेला छोड़ दिया है या नहीं।

सात साल पहले, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्लूजीईईपी) ने नाजुक पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए सिफारिशें जारी कीं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के डब्लूजीईईपी की अध्यक्षता में माधव गाडगिल ने कहा है कि केरल में हालिया विनाश अल्प दृष्टिकोण वाले नीति निर्माण का परिणाम है और साथ में इन्होने यह चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार इससे सीख नहीं लेती है तो अगला नंबर गोवा का होगा और स्थिति केरल से भी दयनीय होगी।

राज्य सरकारें जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के लिए जिम्मेदार हैं - उन्हें दोनों गाडगिल समिति और कस्तुरिरंगन समिति की रिपोर्ट पर फिर से विचार करना होगा, जिन्हें डब्लूजीईईपी रिपोर्ट की जांच के लिए लाया गया था।

उनके सामने कार्य पर्यावरण नीति निर्णयों के लिए सुधार शुरू करना है। हांलाकि, पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विज्ञान की मजबूत सुरक्षा के साथ मानव विकास दबाव को संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए यह आसान नहीं होगा।

यूनेस्कों ने वेस्टर्न घाट के जैव-विवधता के संरक्षण में उसके वर्तमान प्रयासों की सराहना की, लेकिन स्पष्ट रूप से काफी कुछ किए जाने पर भी जोर दिया। विश्व धरोहर समिति ने भारत सरकार को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों पर विचार करने का सुझाव दिया है।

इन स्थलों के अधिक संरक्षण के लिए समिति ने सरकार से बफर जोन को मजबूत करने को भी कहा है। समान रूप से लाभ सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह संगठन सामुदायिक भागीदारी के जरिए सहभागिता प्रशासन दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहता है। पैनल ने कहा है कि स्थानीय लोगों की सहमति के बगैर क्षेत्र में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए।

देखा जाये तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जाने-माने पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में फरवरी 2010 में वेस्टर्न घाटों के पर्यावरण विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। पैनल ने क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अनेक भागों की पहचान की और सिफारिश की कि इन हिस्सों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए।

अपनी सिफारिशों में पैनल ने कर्नाटक के गुंडिया, केरल की अथीरापल्ली जल परियोजनाओं को रद्द करने और गोवा के पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील इलाकों में खनन कार्यों को 2016 तक धीरे-धीरे खत्म करने का आह्वान किया।

लेकिन, उत्खनन और खनन जैसे उद्योगों को संचालित करने का मुद्दा तर्कसंगत रूप से सबसे विवादास्पद है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत, शीर्ष पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण और राज्य स्तरीय इकाइयों के रूप में, गाडगिल पैनल द्वारा प्रस्तावित विनियामक ढांचे को बनाने और क्षेत्रीयकरण प्रणाली को अपनाने का तरीका सही साबित हो सकता है।

पश्चिमी घाटों में मुद्दे, जो डब्लूजीईईपी अनुमान के अनुसार, 1,29,037 वर्ग किमी से अधिक विस्तृत है और कस्तुरिरंगन पैनल के अनुसार, 1,64,280 वर्ग किमी से अधिक विस्तृत है- संवेदनशीलता और वहां कौन से उपाय किये जाने चाहिए, यह दर्शाता है।

पूरी प्रणाली को विश्व स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन ईएसजेड की व्याख्याओं के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान काफी भिन्न होता है।

केरल में, उदाहरण के लिए, एक विशेषज्ञ मूल्यांकन का कहना है कि डब्लूजीईईपी द्वारा उल्लिखित ईएसजेड में 39 लाख घर हैं, लेकिन कस्तुरिरंगन पैनल द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों के छोटे क्षेत्र के लिए यह आंकड़ा तेजी से चार लाख घरो तक कम हो जाता है।

बिजली की मांग और घाटे के एक युग के दौरान बनाए गए बड़े जलविद्युत बांधों की भूमिका पर अब नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए और नए लोगों के प्रस्तावों को छोड़ दिया जाना चाहिए। केरल और अन्य राज्यों में पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों में उत्खनन और खनन पर रोक लगाने के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

केरल के वित्त मंत्री, थॉमस इसहाक ने बाढ़ के चलते पर्यावरण को प्रभावित करने वाले निर्णयों की समीक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। विशेषज्ञ रिपोर्टों पर सार्वजनिक परामर्श जिसमें लोगों के प्रतिनिधियों को अब अधिक अनुनाद मिलेगा और यह आगे

गाडगिल समिति और पश्चिमी घाट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल में 100 साल बाद आई ऐसी विनाशकारी बाढ़ ने सब का ध्यान वर्ष 2011 में आई उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया है जिसे गाडगिल समिति के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 2011 में गाडगिल पैनल ने पारिस्थितिक रूप से कमजोर पश्चिमी घाट क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर सुझाव दिया था।
- रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया था कि केरल समेत छह राज्यों में फैले पूरे पश्चिमी घाट को संवेदनशील घोषित कर देना चाहिए।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिमी घाट राज्यों में विशेष रूप से खड़ी घाटियों में कई जलाशयों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। जंगलों की कटाई भी हो रही है। इसलिए कई क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की स्थिति बन रही हैं।

गाडगिल समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ-

- आनुवंशिक रूप से संशोधित खेती पर प्रतिबंध लगया जाना चाहिये।
- प्लास्टिक बैग का चरणबद्ध निपटान होना चाहिये।
- नए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की अनुमति नहीं होनी चाहिये।
- सार्वजनिक भूमि के निजी भूमि में रूपांतरण पर प्रतिबंध और ESZ I या II में गैर-वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि को नुकसान पहुँचाये जाने पर प्रतिबंध।
- ESZ I के तहत किसी नए बांध को बनाये जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- ESZ I में किसी नए थर्मल पावर प्लांट या बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- ESZ I या II क्षेत्रों में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना तथा रेलवे लाइन या प्रमुख सड़कों को बनाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- इन क्षेत्रों में पर्यटन को लेकर सख्त विनियमन होना चाहिए।
- बांधों, खानों, पर्यटन, आवास जैसी सभी नई परियोजनाओं के लिये संचयी प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए।

अन्य मुख्य तथ्य-

- 2010 में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोटागिरी में एक सार्वजनिक बैठक हुई जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट समूह से जुड़े लोगों द्वारा आयोजित की गई थी।
- बैठक के बाद जयराम रमेश ने गाडगिल के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की।
- इस समिति ने 2011 के मध्य तक रिपोर्ट तैयार कर उसे सरकार को सौंप दिया
- पर्यावरण मंत्रालय ने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक चर्चा के लिये जारी किया।
- बाद में सरकार ने आगे की दिशा तय करने के लिये कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया, जिसने अप्रैल, 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।

पश्चिमी घाट

- यह हिमालय से भी पुराना तथा जैव-विविधता का खजाना है। इसे वनस्पतियों और जीव-जंतुओ को संरक्षित करने वाले 8 वैश्विक स्थानों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- पश्चिमी घाट गुजरात के डेंग से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी मैदानों से गुजरते हुए कन्याकुमारी के नजदीक समाप्त होता है।
- घाट में फिलहाल 5000 से ज्यादा पौधे तथा 140 स्तनपायी हैं जिसमें से 16 स्थानिक यानी केवल उसी क्षेत्रों में पए जाने वाले हैं।
- पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 179 उभयचर प्रजातियों में से 138 केवल इसी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसमें 508 पक्षियों की प्रजातियां हैं जिसमें से केवल 16 इस क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है जिसमें करीब 56 प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं।
- पर्यावास बदलने, अधिक दोहन होने, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन ऐसे प्रमुख कारण जिससे जैव-विविधता को नुकसान पहुंच रहा है।
- यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने भारत के पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल की फेहरिस्त में शामिल कर लिया है।
- इसमें 20 स्थलों के साथ केरल सबसे ऊपर है उसके बाद कर्नाटक (10 स्थल), तमिलनाडु (5 स्थल) और महाराष्ट्र (4 स्थल) है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह हिमालय से भी पुराना तथा जैव विविधता सम्पन्न क्षेत्र है।
2. इस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य पश्चिमी घाट में शामिल नहीं है।

(a) गुजरात
(b) राजस्थान
(c) केरल
(d) गोवा

1. Consider the following statements regarding Western Ghats-

1. It is older than Himalayas and rich in bio-diversity.
2. This region has been included in the world heritage sites on UNESCO.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following state is not included in Western Ghat?

(a) Gujarat
(b) Rajasthan
(c) Kerala
(d) Goa

नोट :

24 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a), 3(b) होगा।

GS World
mitted To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में केरल में आयी भयावह बाढ़ से सीख नहीं ली गई तो भविष्य में इससे भी विकराल स्थिति आ सकती है। इस संदर्भ में गाडगिल समिति की अनुसंशाओं की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

It lesson is not learned from the devastating flood recently occurred in Kerala than there might occur a more dangerous situation. In this reference discuss the recommendations of Gadgil Committee.

250 Words)

परिषद् पहेली : राज्यों में विधान परिषद पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

27 अगस्त, 2018

द हिन्दू

''ओडिशा की योजना राज्यों में दूसरे सदन की उपयोगिता पर राष्ट्रीय नीति की मांग करती है।''

यदि विधान परिषद में कोई वास्तविक लाभ होता है, तो देश के सभी राज्यों के पास तर्कसंगत रूप से और यकीनन एक दूसरा सदन होना चाहिए। तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सर्वसम्मति की अनुपस्थिति के अलावा, केवल सात ऐसी परिषदें किसी वास्तविक लाभ की कमी का सुझाव देती हैं।

अब ओडिशा उन राज्यों के समूह में शामिल होना चाहता है जिनके पास ऊपरी सदन है। राज्य मंत्रिमंडल ने अन्य राज्यों में दूसरे कक्ष के कामकाज का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए 2015 में स्थापित समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 49 सदस्यीय विधान परिषद को मंजूरी दे दी है।

ऊपरी सदन बनाने की प्रक्रिया लंबी है। राज्य विधानसभा को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से परिषद के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा।

उसके बाद, संसद को इसे बनाने के लिए एक कानून बनाना है। असम और राजस्थान में विधान परिषदों की स्थापना के लिए 2013 में राज्यसभा में पेश किए गए दो बिल अभी भी लंबित हैं, इस तरह के कदम के लिए समर्थन की कमी का संकेत है।

एक संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन, साथ ही में एक चेतावनी भी दी है। ये चाहते हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार राज्य विधायिकाओं में ऊपरी सदन रखने की राष्ट्रीय नीति का निर्माण करे, ताकि बाद में आने वाली कोई भी सरकार इसे खत्म न कर सके।

यह परिषदों के लिए स्नातकों और शिक्षकों के लिए सीटों के लिए कानून में प्रावधान की समीक्षा का भी पक्ष लेता है। देखा जाये तो समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में विधान परिषद गठन की प्रक्रिया एवं कार्य की समीक्षा करने के साथ तथ्यों का संग्रह किया था।

उन्होंने कहा कि समिति ने कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलगाना राज्य का भी दौरा कर तमाम जानकारी हासिल की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में विधान परिषद का गठन होने से उत्तम शासन व्यवस्था देने के साथ वैधानिक चर्चा में भी यह सहायक होगी। कैबिनेट की बैठक में समिति की रिपोर्ट पेश किया गया।

एक द्विसदनीय विधानमंडल होने के फायदे सभी जानते हैं। एक ऊपरी सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो चुनावी राजनीति के असभ्य और ढुलमुल रवैये के कारण यकीनन तर्कसंगत नहीं हैं।

कम से कम कागज पर, यह एक अधिक शांत और कानून के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जिसे एक राज्य पारित कर सकता है। दूसरे सदन को लेकर आपत्तियां भी भिन्न-भिन्न हैं। विधायिका में बुद्धिजीवियों को शामिल करने के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय, फोरम का उपयोग निर्वाचित होने में असफल पार्टी कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए किया जाता हैं।

उधर विधान परिषद के प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष का कहना है कि एक और सदन की क्या जरूरत है, जब मौजूदा विधानसभा में ही सहभागिता की कमी दिख रही है। ना तो सदन की कार्यवाही का स्तर बेहतर है और ना ही पर्याप्त कर्मचारी हैं।

आज, विधायिका जमीनी स्तर और सीखने के उच्च क्षेत्रों से अपनी प्रतिभा खींचती है। आज ज्यादातर राजनीतिक दलों में डॉक्टरों, शिक्षकों और अन्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या है। राज्य सभा का मामला अलग है क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्रों की बजाय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

यह विधायी मामलों में निर्वाचित बहुमत के प्रभुत्व के खिलाफ एक संयम बल भी है। विधान परिषद अपनी सृजन, पुनरुद्धार और उन्मूलन के आस-पास विविध और असंगत चर्चाओं के अधीन हैं। यह सब देखते हुए, ओडिशा के प्रस्ताव से देश को बड़े पैमाने पर विधान परिषदों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का अवसर मिल सकता है।

* * *

विधान परिषद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने विधान परिषद के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हुए मंत्रिमण्डल की बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- विधान परिषद में 49 सदस्य होंगे, जो 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा का एक तिहाई हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 169, 171 (2) में विधानपरिषद के गठन का प्रावधान है।
- राज्य की विधानसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव लोकसभा भेजा जाता है।
- विधान परिषद के सदस्य को विधानसभा सदस्य की तरह ही तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च होगा।

क्या है?

- विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है।
- विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता, किंतु राज्य इसे बना या समाप्त कर सकता है।
- विधान परिषद विधान मंडल का अंग है।
- अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो दूसरा सदन रखे या ना रखे।
- इस उपबंध का लाभ उठाते हुए आंध्र प्रदेश ने 1957 में विधानपरिषद का गठन किया था।
- 1985 में इसे समाप्त कर दिया और पुनः 2007 में आंध्रप्रदेश विधान परिषद् अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद विधानपरिषद का पुनः गठन किया।

संरचना-

- विधान परिषद् , राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
- अनुच्छेद - 171 के अंतर्गत विधान परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की (1/3) एक तिहाई व न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए।
- किंतु जम्मू-कश्मीर की सदस्य संख्या 36 है।

सदस्य-

- इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।
- इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं।
- कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं।
- विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पर विधान परिषद् के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते।
- राज्यसभा के चुनाव में भी केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं।

कार्य व शक्ति-

- केंद्र में जो शक्ति राज्यसभा की है, उसी के समकक्ष स्थिति विधानपरिषद की होती है , कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने बाद राज्य में कानून का रूप लेता है।
- सामान्य विधेयक को विधानसभा व विधानपरिषद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु सामान्य विधेयक पर अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रथम बार में विधान परिषद् केवल 3 माह तक रोक सकती है।
- 3 माह बाद विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किये जाने पर विधानपरिषद विधेयक को अधिकतम 1 माह तक और रोक सकती है।
- इस प्रकार विधानसभा किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है।
- यह धन विधेयक को विधानपरिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।

कितने राज्यों में है विधान परिषद्?

- आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राज्य के ऊपरी सदन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्य विधानसभा को अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा।
2. राज्य के ऊपरी सदन के निर्माण के विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद संसद को भी कानून बनाना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊपरी सदन (विधान परिषद) नहीं है?

(a) उत्तर प्रदेश
(b) जम्मू-कश्मीर
(c) उड़ीसा
(d) बिहार

3. किसी राज्य में स्थापित ऊपरी सदन के उत्सादन (हटाने) के संदर्भ में क्या सत्य हैं?

(a) संसद की अनुमति के बिना समाप्त किया जा सकता है।
(b) इसे समाप्त करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है।
(c) राज्य विधानसभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. Consider the following statements regarding the formation of upper house in the state-

1. State Legislative Assembly has to pass a proposal with the majority of its total membership.
2. The Parliament also has to pass the law after the passed proposal of Legislative Assembly in the formation of upper house of the state.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following state does not have Legislative Council?

(a) Uttar Pradesh
(b) Jammu & Kashmir
(c) Odisha
(d) Bihar

3. Which of the following statement is correct regarding the abolition of the formed upper house in a state?

(a) It cannot be abolished without the assent of the Parliament.
(b) Its abolishment needs the assent of the Parliament.
(c) It can be abolished by the state Legislative Assembly.
(d) None of the above

नोट :

25 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में राज्यों में ऊपरी सदन स्थापित करने का विषय चर्चा में बना हुआ है। इस संदर्भ में विधान परिषद (राज्यों में ऊपरी सदन) की उपयोगिकता का मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द)

Recently the discussion is continuing on the formation of upper house in the states. In this reference, evaluate the utility of the Legislative Council (Upper house in state).

250 Words)

बाँध कैसे बाढ़ को नियंत्रित कर सकता हैं?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

28 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक -

मैथ्यू अब्राहम (सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

''मॉनसून की शुरुआत से पहले जलाशयों में पानी के अधिक भंडारण के लिए जगह होनी चाहिए।''

किसी भी त्रासदी के बाद ही लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ और इसका सामना कैसे करना है। केरल की त्रासदी भी इससे अछूती नहीं रही है। अंततः बाढ़ के पानी में आई गिरावट के बाद ही कई विशेषज्ञों और राजनेताओं ने आई त्रासदी के कई संभावित कारण बता रहे हैं।

कुछ ने बिना सोचे समझे विकास योजनाओं को दोषी ठहराया, जिसके कारण पश्चिमी घाटों की स्थिरता को काफी नुकसान हुआ है, जो बस विचारशील संरक्षण के बिना एक त्रासदी के अंजाम तक पहुँचने का इंतजार कर रहा था। कुछ ने कहा है कि अधिक वर्षा के कारण यह हुआ।

कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि कोच्चि हवाई अड्डे बाढ़ से इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि इसे पेरियार नदी के नजदीक और आर्द्रभूमि पर बनाया गया था जो बाढ़ के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। और कुछ ने बांधों को दोषी ठहराया है, जिसके खोलने के कारण भारी बाढ़ आई और वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया।

जबकि इस परिमाण की त्रासदी के बाद आलोचना और सुझाव प्राकृतिक हैं, हमें अनुभव से सबक सीखना चाहिए। सवाल यह है कि, इस तरह के आयोजन के बाद हम विनाश से कैसे बच सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं?

बांधों का उद्देश्य

दुनिया भर में, बांध मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन, और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए बनाए जाते हैं। जबकि भारत में पहली दो भूमिकाओं को ही स्वीकार किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण में बांधों की भूमिका को हमेशा कम करके आंका जाता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में, बाढ़ नियंत्रण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। मानसून के दौरान प्राधिकरण हमेशा जलाशयों में अधिकतम मात्रा में पानी को स्टोर करना चाहते हैं, ताकि इसका उपयोग गर्मियों के महीनों के दौरान सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सके।

यह उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्य है क्योंकि मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले एक जलाशय के जल स्तर को एक निश्चित स्तर से नीचे रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब मानसून में बारिश होती है, तो अतिरिक्त वर्षा जल को स्टोर करने के लिए ही इनका निर्माण किया जाता है और यह भी कि पानी को विनियमित ढंग से जारी किया जा सकता है, इस प्रकार बांधों में भारी प्रवाह होने पर बाढ़ को डाउनस्ट्रीम को रोकना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मई में थाईलैंड ने बरसात के मौसम से पहले ही भंडारण क्षमता को 60% से नीचे ले आया, जिससे इन्हें काफी लाभ हुआ।

हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में केवल बिजली उत्पादन और सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए मानसून के करीब होने से पहले जलाशयों में अधिकतम मात्रा में पानी जमा किया जाता है। केरल में आई बाढ़ से पहले बांधों में जलाशयों का पानी कैसे प्रबंधित किया गया था, इसके लिए कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

जबकि पहले भी पानी के अधिक भंडारण के लिए जगह बनाने की कोई कोशिश नहीं किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर उपाय नहीं किये गये तो केरल में आने वाले पूर्वोत्तर मानसून के दौरान क्या होगा? इस तरह के विनाश के कारण हुए पीड़ा का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। राज्य का अनुमानित नुकसान हजारों करोड़ में चला जाता है। केरल के पुनर्निर्माण में वर्षों का वक्त लग जाएगा।

जलाशयों में अंतरिक्ष

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बांधों का बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य पूरा हो गया है, यह महत्वपूर्ण है कि मानसून से पहले बांधों की भंडारण क्षमता का कम से कम 30% मुक्त रखा जाए। साथ ही पानी के निर्वहन की इजाजत देते हुए, मॉनसून की प्रगति के चलते धीरे-धीरे भंडारण में वृद्धि करना संभव है।

केरल में मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) और पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर-नवंबर) के दौरान वर्षा होती है। इन बारिश को हवाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बादल को लाते हैं।

वायुमंडलीय अवसाद जो वायु के संचरण को नियंत्रित करता है, इसकी भविष्यवाणी जल्दी नहीं की जा सकती है। मौसम विभाग भी कुछ दिनों पहले ही बारिश या चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए, मानसून शुरू होने से पहले जलाशयों में जगह रखना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी राज्य केरल जैसी आपदा नहीं चाहेगा।

कुछ लोग बांधों के अस्तित्व के खिलाफ बहस करते हैं, लेकिन यह एक अचूक तथ्य है कि बांध उपयोगी होते हैं। हमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उनकी जरूरत है। हालांकि, यह भी सच है कि यदि मानसून विफल हो जाता है और बांध में पानी कम हो जाता हैं और बिजली उत्पादन में कमी आ जाती है, तो भी यह परिमाण बाढ़ के कारण उत्पन्न हुए स्थिति की तुलना में ज्यादा बेहतर है।

विचारशील नीतियों को सुनिश्चित करना

अब समय आ गया है कि सरकार और जनता जलाशयों के लिए जल प्रबंधन नीतियों को इस तरह से तैयार करे ताकि बांधों को बाढ़ को नियंत्रित करने के रूप में जाना जाये, न कि उनके कारण उत्पन्न होने वाले बाढ़ की समस्या के लिए।

वर्ष 2015 में, जल विद्युत उत्पादन दुनिया के कुल बिजली उत्पादन का केवल 16.6% था। ऐसा करने में शामिल उच्च जोखिम को अनदेखा करते समय हमारे जलाशयों में अधिकतम मात्रा में पानी रखने की प्रवृत्ति को बिजली उत्पादन के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इसलिए, सौर ऊर्जा, हवा और ज्वारीय शक्ति जैसे बिजली उत्पादन के लिए गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सोचने का समय है। कोच्चि हवाई अड्डे में सौर ऊर्जा उत्पादन का अभ्यास अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समान पैमाने पर परियोजनाओं में कॉपी किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा उत्पादन के अभ्यास को अपनाने के लिए भी जनता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे बिजली उत्पादन के लिए बांधों पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी।

बेहतर जलाशय जल प्रबंधन नीतियों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, बांध और जल प्रबंधन का कार्य लोक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड और सिंचाई विभाग के पास निहित है। यहां तक कि सामान्य परिस्थितियों में, विभिन्न विभागों से विरोधाभासी राय दी गई है, निर्णय को लागू करना मुश्किल है। इसलिए, राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण, यदि सक्षम है, तो जलाशयों में जल प्रबंधन के कार्य और आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने के साथ सौंपा जाना चाहिए।

राज्य सरकार, राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल आयोग को सभी को जल प्रबंधन पर कठोर फैसला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई विनाशकारी बाढ़ न हो।

GS World टीम...

बांध सुरक्षा विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य में बाढ़ त्रासदी के लिए तमिलनाडु जिम्मेदार है।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा मुल्लापेरियार बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से केरल को बाढ़ का सामना करना पड़ा।
- केरल के इस आरोप के बाद एक बार फिर से बांध प्रबंधन प्रोटोकॉल के अमल पर सवाल उठ गए हैं।
- बांधों का प्रबंधन कैसे और किस तरह से किया जाए, ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ बाढ़ जैसी त्रासदी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्य बिंदु-

- विधेयक में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिये दंड का प्रावधान भी है।
- यह बांध सुरक्षा संबंधी डाटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- यह राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- यह देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बेस तथा प्रमुख बांध विफलताओं का रिकॉर्ड रखेगा।
- यह किसी प्रमुख बांध की विफलताओं के कारणों की जांच भी करेगा।

चार संस्थागत ढाँचे का प्रावधान-

- बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण
- बांध सुरक्षा पर राज्य समिति
- राज्य बांध सुरक्षा संगठन
- वर्तमान में भारत में बांधों की स्थिति
- भारत ने पिछले 50 वर्षों में बांधों तथा संबंधित अवसंरचनाओं में भारी निवेश किया है।
- बड़े बांधों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है।
- देश में 5254 बड़े बांध हैं और 450 बांध निर्माणाधीन हैं।
- इसके अतिरिक्त बहुत-से मझौले और हजारों छोटे बांध हैं।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. विश्व में बाँधों का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है?

(a) भूमि की सिंचाई के लिए

(b) बिजली उत्पादन के लिए

(c) बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों हेतु

(d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में बाँध और जल प्रबंधन का कार्य लोक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड और सिंचाई विभाग के पास निहित है।
2. केरल में आयी बाढ़ की तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन तथा ज्वारीय शक्ति आदि से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

3. बाँध के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मानसून से पहले बाँधों की भंडारण क्षमता को कम से कम 30% मुक्त रखा जाए।
2. बेहतर जलाशय जल प्रबंधन नीतियों के निर्माण तथा उनका पालन करके भी बाँधों को कारण बनने से रोका जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

1. Dams in the world are mainly used for which of the following?

(a) For the irrigation of land

(b) For electricity generation

(c) For controlling the flood

(d) All of the above

2. Consider the following statements-

1. Presently the work of dam and water management is under Public Works Department, Electricity Board and Irrigation Department.
2. We should promote electricity generation from solar energy, wind and tidal power etc. to restrict the future incidents like the flooding in Kerala.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements regarding restricting the flooding due to dams-

1. Atleast 30% storage capacity of dams should be kept free before monsoon.
2. Forming better dam water management policy and its practice can also restrict the dams from become its reason.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

नोट :

27 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. यद्यपि कि बाँध राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है, किन्तु हाल ही में आयी केरल में भयावह बाढ़ के लिए बाँधों को भी दोषी ठहराया जा रहा है। इस संदर्भ में बाँधों को किस प्रकार बाढ़ का कारण बनने से रोका जा सकता है? टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

Although Dam is very useful for nation, Dams are also blamed for the severe flooding in Kerala. In this reference, how dams can be restricted from becoming a reason for flooding? Comment.

250 Words)

एशियाई सपने के टुकड़े

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

29 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक -
सैयद मुनीर खसरु (थिंक टैंक के अध्यक्ष, पॉलिसी संस्थान)

''भारत को दक्षिण, पूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया में अपनी सॉफ्ट पॉवर को सशक्त करना चाहिए, भले ही इसे चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़े।''

अब तक यह वर्ष भारत-चीन के लिए एक-दूसरे के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए उठाये गये कदमों का रहा है। चाहे वो चीन के बंदरगाह पर 9 जून को हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन हो, वुहान में नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन हो या 1 जून को सिंगापुर में शांगरी-ला वार्ता में प्रधान मंत्री मोदी का मुख्य भाषण हो, सभी ने बहुत सारे विश्लेषण किए हैं कि भारत किस तरह की रणनीति अपना रहा है, वो भी उस समय जब अमेरिका और चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भूगर्भीय प्रतिद्वंद्वी हैं।

सिंगापुर में, श्री मोदी के भाषण ने दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों (एशियान) के साथ जुड़ाव बढ़ाकर, चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने, ऑस्ट्रेलिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा अपने हितों को पूरा करने और रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के साथ-साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं की भी घोषणा की है। अमेरिका के साथ और सवाल यह है कि भारत का नेतृत्व किस आकार में होगा?, ऑस्ट्रेलिया के साथ हितों का पीछा करना और यू.एस. के साथ अधिक जुड़ाव करना।

शक्ति का प्रदर्शन-

हकीकत यह है कि भारत और चीन के बीच राजनीति समुद्र के लेन और चेकपॉइंट्स पर असर डालता है, जहाँ ये दोनों एशियाई दिग्गज भारत-प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए राज्यों में अपने हितों का पीछा करते रहते हैं।

जहाँ एक तरफ भारत अपनी राजनयिक, द्विपक्षीय और सैन्य जुड़ाव के माध्यम से प्रभाव डालता है तो दूसरी तरफ चीन बड़े पैमाने पर आधारभूत घाटे से पीड़ित देशों में बड़े निवेश के माध्यम से प्रभाव डालना शुरू करता है। ऑसियान देशों में चीन के भारी निवेश ने इन देशों को इस बिंदु पर ला दिया है कि दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में चीन की गतिविधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों के बावजूद, आसियान एक ब्लॉक के रूप में चीन के साथ सहयोग करने पर सहमत है।

कंबोडिया जैसे कुछ आसियान देशों पर चीन का प्रभाव ऐसा रहा है कि वर्ष 2016 के ऑसियान मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान उसने संयुक्त संवाद का समर्थन करने से इंकार कर दिया, यदि उसे बीजिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का समर्थन करने को कहा गया तो। चीन आज कंबोडिया का विदेशी सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है और उसने बांध, तेल क्षेत्र, राजमार्ग, कपड़ा संचालन और खानों में निवेश किया है।

फिलीपींस में, राष्ट्रपति रॉड्रिगो डयूटेटे चीन के साथ विशेष रूप से 2016 के बाद पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, जब अमेरिकी विधायकों ने लगभग 26,000 एम 4 राइफलों की बिक्री को अवरुद्ध कर दिया था। बीजिंग ने फिलीपींस पुलिस और मारवी शहर में चरमपंथियों के खिलाफ लड़ने के लिए $ 7.35 मिलियन की बंदूकों के लिए $ 3.3 मिलियन की राइफलें प्रदान कीं।

यद्यपि भारत का सभी आसियान देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वह अकेले चीन की नकदी शक्ति और बढ़ती सैन्य उपस्थिति के खिलाफ अपनी भारत-प्रशांत रणनीति के लिए समर्थन हासिल कर पायेगा। चीन के साथ आसियान का व्यापार भारत से कहीं अधिक है और आसियान में चीनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत की तुलना में नौ गुना अधिक है।

भारत अब भी दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों देशों के लिए एक बेहतर योजना प्रदान करने में असफल रहा है, जिसके कारण नेपाल और श्रीलंका चीन के साथ साझेदारी करने में अपनी रूचि दिखा रहे हैं। 2015 में नेपाल के साथ ईंधन नाकाबंदी और श्रीलंका में असफल सामरिक हस्तक्षेपों के कारण संबंध दोनों देशों के नाजुक और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर हो गया है।

दूसरी तरफ, श्रीलंकाई बंदरगाहों और शहरों में चीन के बहु अरब डॉलर के निवेश ने इन देशों को चीन के बहुत करीब ला दिया है और पिछले साल श्रीलंका ने 99 साल पुराने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन सौंप दिया था। अपने बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) के तहत, चीन ने पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों की एक श्रृंखला बनाने का वादा किया है।

आज इंडोनेशिया और सिंगापुर भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की तलाश में हैं। एशियान के साथ सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में अपनी साझा धार्मिक विविधता, प्राचीन संबंधों और एक बड़े भारतीय डायस्पोरा के साथ भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध है।

यू.एस. के बाद, भारत अपनी कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनेमा के माध्यम से विश्व को रिझाने की कोशिश की है। भारत को पूर्वी एशिया में कई मित्रवत लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। जापान ने भारत के साथ अपनी भागीदारी में काफी वृद्धि की है और दोनों देश मजबूत सैन्य संबंधों को भी बेहतर बना रहे हैं। लेकिन भारत को अभी भी अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने और चीन के नकदी नीति से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को अनुकूलित करने की रणनीति विकसित करना होगा।

क्विंगदाओ घोषणा-पत्र

18वें शंघाई सहयोग संगठन बैठक की समाप्ति पर 10 जून, 2018 को क्विंगदाओ घोषणा-पत्र जारी किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-

- दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी, मित्रता एवं सहयोग पर प्रतिबद्धता
- अगले तीन वर्षों में आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद नामक तीन बुराइयों का संयुक्त बुराइयों का संयुक्त रूप से सामना करने की प्रतिबद्धता
- संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एकीकृत वैश्विक आतंकवाद मंच का आह्वान
- आतंकवाद या उग्रवाद उन्मूलन के नाम पर किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के प्रति प्रतिबद्धता

शंघाई सहयोग संगठन

इस वर्ष

- भारत ने 9-10 जून, 2018 को चीन के क्विंगदाओ में आयोजित हुए 18वें शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
- एससीओ में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्यता मिलने के बाद यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में SECURE का नया कॉन्सेप्ट दिया। अर्थात S यानी सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C यानी कनेक्टिविटी इन द रीजन, U यानी यूनिटी, R यानी रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटिग्रिटी और E यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभावों का अफगानिस्तान एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया।
- भारत आठ देशों से शंघाई सहयोग संगठन का एकमात्र देश है जिसने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई पहल का विरोध किया।

पृष्ठभूमि

- शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का अर्थ है यूरोप और एशिया का संयुक्त महाद्वीपीय भूभाग।
- इस संगठन की शुरुआत शंघाई-5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
- शंघाई-5 चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देशों का संगठन था।
- 15 जून, 2001 को जब उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया।
- हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसका शीर्षस्थ नीति-निर्धारक निकाय है।
- चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 2005 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे।
- अफगानिस्तान, मंगोलिया, इरान और बेलारूस पर्यवेक्षक हैं।

भारत के लिए महत्व

- एस.सी.ओ. की पूर्ण सदस्यता मिलने से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।
- भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं।
- कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।
- इस मंच पर भारत रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है।
- रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी; आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दक्षिण एशिया में भारत-चीन के साथ छोटे राज्यों की तुलना में बेहतर रणनीतिक सौदा कर सकता है।
2. भारत को पूर्वी एशिया में कई मित्रवत लोकतंत्र के रूप में माना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. '2+2' संवाद भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रारम्भ किया है?

(a) कनाडा
(b) कम्बोडिया
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) चीन

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बिम्सटेक का सदस्य मालदीव नहीं हैं।
2. '2+2' संवाद समुद्री सुरक्षा साझेदारी से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements-

1. India can negotiate better in comparison to China, with the smaller countries in South Asia.
2. India is considered amicable democracy the east Asia.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. India initated '2+2' dialogue with which of the following country?

(a) Canada
(b) Combodia
(c) Austrtilia
(d) China

3. Consider the following statements-

1. Maldives is not a member of BIMSTEC.
2. '2+2' dialogue is related to meritime security partnership.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

28 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'हाल के वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसी देशों विशेषकर चीन तथा दक्षिण पूर्व के देशों के संबंध में अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है।' क्या आपको लगाता है कि इससे भारत को लाभ होगा?

(250 शब्द)

'In recent years, India has changed its strategy in relation to its neighbouring countries specially with China and countries of South East.' Do you think it many benifit India.

(250 Words)

बिम्सटेक में चुनौतियां

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

30 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक-
हर्ष वी.पंत (प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन),
के.यहोम (वरिष्ठ सदस्य, ओआरएफ, नई दिल्ली)

''राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए सार्क बंधन बनाने वाले कई तत्व काठमांडू में फिर से उभर सकते हैं।''

इस हफ्ते काठमांडू में हो रहे बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होने जा रहे है, 2016 में ब्रिक्स-बिम्सटेक आउटरीच शिखर सम्मेलन के बाद भारत के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा, जो एक तरह से भारत के क्षेत्रीय, सामरिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में उभरा है।

सार्क का ठहराव-

दो प्रमुख कारकों ने बिम्सटेक मंच पर भारत के हितों को प्रेरित किया है। भारत के बिम्सटेक पड़ोसियों तक पहुंचने का एक प्रमुख कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का ठहराव रहा है। यह भारत की बढ़ती आर्थिक आकांक्षाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय शासन में सुधार करने के लिए बेहतर भूमिका निभा सकता है।

2014 में काठमांडू में 18 वें सार्क शिखर सम्मेलन में, भारत ने सार्क मोटर वाहन समझौते का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, पाकिस्तान से प्रतिरोध के कारण यह सफल हो नहीं सका। इसने 2015 में बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) को मजबूर किया। पाकिस्तान ने भारत द्वारा प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी सार्क उपग्रह परियोजना से भी बाहर निकलने के विकल्प का चयन किया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर कर दक्षिण एशिया सैटेलाइट रखा गया।

बिम्सटेक को आगे बढाने के लिए भारत के लिए मुख्य प्रेरणा का स्त्रोत पाकिस्तान नहीं है, दक्षिण एशिया को आर्थिक रूप से गतिशील दक्षिणपूर्व एशिया से जोड़ने की भारत की इच्छा भी इस रणनीति का हिस्सा है।

बिम्सटेक तंत्र के काम को बनाने के पीछे तर्क दक्षिण एशिया को आश्वस्त करना है, ताकि यह क्षेत्र भारत के साथ अपनी सामान्य भूमिका निभाने के साथ आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सके।

पिछली बैठक में बिम्सटेक नेताओं ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और नेटवर्क के खात्मे और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन, वित्तीय सहयोग और सुरक्षित पनाह देने वाले देशों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

कुछ चुनौतियां-

भारत के भीतर और बाहर दोनों के लिए चुनौतियां होंगी। ये पॉलिसी दुविधाएं पैदा करेंगी। भारत वर्तमान में बिम्सटेक सचिवालय के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। भारत का 2017-18 के लिए वार्षिक योगदान 2 करोड़ रूपए (या कुल सचिवालय बजट का 32%) था। भारत की उदारता उप-समूहीय समूह के प्रति अपनी वचनबद्धता का एक प्रमुख परीक्षण होगा।

आज, अधिकांश छोटे पड़ोसी भारत के आर्थिक विकास से लाभ उठाने के लिए अधिक इच्छुक हैं। फिर भी, आंतरिक राजनीतिक कारणों से, बिम्सटेक की प्रगति में एक ही समस्या फिर से उभर सकती है और बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे संदेहों को कम करने के लिए, भारत को छोटे पड़ोसियों की चिंताओं को संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता होगी।

चीन का सवाल-

भारत के लिए एक और रणनीतिक चुनौती यह है कि चीन लंबे समय से सार्क समूह का हिस्सा बनना चाहता था। कुछ सार्क सदस्यों के पास चीन को इस समीकरण में लाने में भी अपनी रूचि है: वे चाहते हैं कि यह भारत के प्रभुत्व को संतुलित करे। सार्क में चीन की पर्यवेक्षक की स्थिति है। इसलिए भारत को उभरते क्षेत्रीय भू-राजनीति पर ध्यान देना होगा।

* * *

बिम्सटेक के चौथे संस्करण का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- 30 अगस्त, 2018 को नेपाल स्थित काठमांडू में चौथा दो दिवसीय बिम्सटेक सम्मेलन आरंभ हो गया है।
- यह सम्मेलन 30-31 अगस्त, 2018 तक आयोजित होगा, जिसमें आतंकवाद की समस्या का हल निकालने, स्थानीय संपर्क एवं व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी।
- इस वर्ष का विषय 'शांतिपूर्ण, समृद्ध एवं सतत बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हेतु'।
- जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा आकांक्षाओं और चुनौतियों से जुड़ीं सामूहिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेगा।
- बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रों की विदेश सचिव स्तर की 19वीं बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने सीमा शुल्क सहयोग, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी, काउंटर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, कृषि, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न तंत्रों की कई रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया।
- इस बैठक में सदस्यों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में और सहयोग के लिए बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए सिफारिश की गई।
- कनेक्टिविटी और गरीबी उन्मूलन इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु होंगे।
- नेपाल बिम्सटेक का वर्तमान अध्यक्ष है।

बिम्सटेक-

- बिम्सटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों का समूह है, जो बंगाल के खाड़ी के निकट स्थित हैं।
- इसकी स्थापना 6 जून, 1997 को बैंकाक घोषणा के द्वारा की गयी थी।
- बिम्सटेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है।
- बिम्सटेक के सदस्य देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं।
- इन सभी देशों की जनसँख्या लगभग 1.5 अरब है जो कि विश्व की कुल जनसँख्या का 22% है।

उद्देश्य-

- सदस्य देशों के बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- बिम्सटेक देशों के बीच प्रमुख सहयोग क्षेत्र व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य उद्योग हैं।
- वर्ष 2008 में इसमें 8 और सेक्टर जोड़े गए थे, यह सेक्टर कृषि, जन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद का सामना करना, पर्यावरण, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन तथा लोगों के बीच में संपर्क हैं।

अन्य तथ्य-

- यह अध्यक्षता के लिए वर्णमाला क्रम का उपयोग करता है, तदनुसार, नेपाल ने औपचारिक रूप से 2014 तक अध्यक्षता संभाली।
- 2018 शिखर सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है।
- पिछला शिखर सम्मेलन 2014 में म्यांमार में आयोजित किया गया था।
- सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौता को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. बिम्सटेक संगठन में निम्नलिखित में कौन-से देश शामिल है?

(a) प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर के तटवर्ती देश
(b) बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश
(c) अटलांटिक महासागर के तटवर्ती देश
(d) भूमध्य सागर के तटवर्ती तथा मध्य यूरोपीय देश

2. बी.बी.आई.एन. (BBIN) मोटर यान समझौता निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है?

(a) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)
(b) बिम्सटेक
(c) दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान)
(d) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संगठन (आरसीईपी)

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बिम्सटेक संगठन में चीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है।
2. दक्षिण एशिया सैटेलाइट का संबंध बिम्सटेक संगठन से है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

नोट :
29 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'हाल के वर्षों में देखने को मिला है कि सार्क संगठन के बजाय भारत का झुकाव बिम्सटेक संगठन की ओर अधिक हो गया है। क्या आप सहमत है कि यह भारत के लिए सार्क से अच्छा विकल्प हो सकता है? तर्कसहित उत्तर दीजिए। (250 शब्द)

It has been seen in recent years that India has inclined more towards BIMSTEC instead of SAARC. Do you agree that it can be a good option than SAARC for India? Logically give your answer. (250 Words)

शेल गैस चुनौती

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

31 अगस्त, 2018

द हिन्दू

लेखक -
एमपी. राम मोहन (एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद),
शशिकांत यादव (कानूनी शोधकर्ता, नई दिल्ली)

''हमें अन्वेषण और उत्पादन पर एक क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मैन्युअल की आवश्यकता है।''

1 अगस्त, 2018 को, केंद्र सरकार ने एक दूरगामी नीति को मंजूरी दी जो निजी और सरकारी प्ल्येर्स को पारंपरिक हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए मुख्य रूप से आवंटित अनुबंध क्षेत्रों में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (शेल गैस सहित) का पता लगाने और उनका उपयोग करने से संबधित है। जहाँ एक तरफ परंपरागत हाइड्रोकार्बन के विपरीत जो आसानी से पारगम्य चट्टानों से निकाला जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ शेल गैस निचले स्तर पर पारगम्य चट्टानों के नीचे फंस जाती है।

इसलिए, शेल गैस भंडार को निकालने के लिए कम दबाव वाले चट्टानों को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए प्रेशराइज्ड पानी, रसायन, और रेत (शेल तरल पदार्थ) का मिश्रण आवश्यक है। इस प्रक्रिया में प्रति निष्कर्षण 5 से 9 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो भारत के ताजे जल संसाधनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनौती पेश करता है।

इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने शेल गैस निष्कर्षण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 'फ्रैक्चर तरल पदार्थ की कुल मात्रा परंपरागत हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के 5 से 10 गुना है और (फ्रैक्चरिंग) गतिविधियों में पानी के स्रोतों को कम करने और फ्लोबैक (उत्पादित) पानी के निपटारे के कारण प्रदूषण का कारण बन सकता है।

हालांकि, ईआईए प्रक्रिया परंपरागत और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर नहीं करती है और डीजीएच इस मुद्दे को स्वीकार करता है कि इस क्षेत्र में पारंपरिक और अपरंपरागत तेल और गैस अन्वेषण के बीच ईआईए अधिसूचना में कोई अंतर नहीं आया है।

जल-विशिष्ट मुद्दों-

इस नियामक अंतर को देखते हुए, डीजीएच अपने दिशानिर्देश में पर्यावरणीय निकासी के लिए आवेदन करते समय एक परियोजना समर्थक को समझ जाना चाहिए कि फ्रैकिंग प्रक्रिया (भूमिगत चट्टानों में उच्च दबाव पर द्रव पदार्थ को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया) में पानी के मुद्दों से संबंधित पांच नए संदर्भ बिंदु (संदर्भों की अवधि) का प्रस्ताव है। हालांकि, इन पांच संदर्भ बिंदु फ्रैकिंग गतिविधियों द्वारा उत्पन्न जल-विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), जो आम तौर पर पर्यावरण मंजूरी के लिए क्षेत्र-विशिष्ट मैनुअल जारी करता है, अभी तक और फ्रैकिंग गतिविधियों के लिए विशिष्ट मैनुअल के साथ बाकी है।

फ्रैकिंग गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता की विशालता को स्वीकार करने के बावजूद, डीजीएच दिशानिर्देश एक शेल कुएं के जीवनकाल में शेल गैस की प्रति इकाई पानी की आवश्यकता का सामान्य अनुमान देने में विफल रहता है।

ड्यूक विश्वविद्यालय से हाल के एक अध्ययन में कहा गया है कि 2011 से 2016 तक, यू.एस. में इस प्रक्रिया में पानी का उपयोग 770% तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ शेल कुएं 42 मिलियन लीटर पानी का उपभोग कर रहे थे।

अध्ययन में आगे बताया गया है कि समय के साथ-साथ, पानी का उपयोग अच्छी तरह से शेल गैस की मात्रा निकालने के लिए नाटकीय रूप से बढ़ता रहता है। पानी के उपयोग में स्पष्टता का महत्व और भारत में शेल गैस निष्कर्षण की जगह सीधे कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं से जुड़ी है।

शैल चट्टान आमतौर पर चट्टानों के निकट होते हैं जिनमें प्रयोग योग्य / पीने के पानी होते हैं जिन्हें 'एक्वाइफर्स' या जलवाही स्तर कहा जाता है। जैसा कि 2017 में यू.एस. एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उल्लेख किया था, कि फ्रैकिंग, शेल तरल पदार्थ संभवत: जलवाही स्तर में प्रवेश कर सकता है जिससे पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए भूजल में मीथेन विषाक्तता शामिल हो सकता है।

कई शोध निष्कर्ष से पता लगा है कि एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एक्वाइफर्स और शैल गैस फ्रैक्चर जोनों के बीच 600 मीटर की दूरी बनाए रखने से इस तरह के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में इस जटिलता और जलीय संरचनाओं की असंख्य संरचनाओं को स्वीकार करते हुए, डीजीएच दिशानिर्देश बताते हैं कि एक परियोजना समर्थक को भूजल को अलग करने और संरक्षित करने के लिए कुओं को डिजाइन और निर्माण करना चाहिए।

एक फ्रैकिंग प्रक्रिया में जल चक्र अन्य पारंपरिक हाइड्रोकार्बन उत्पादन गतिविधियों से अलग होता है। जब चट्टान को तोड़ने के लिए उच्च दबाव पर शेल तरल पदार्थ को इंजेक्ट किया जाता है, तब तरल पदार्थ के 5-50% (स्थानीय भूविज्ञान के आधार पर) सतह पर वापस लौटता है, जिसे फ्लोबैक वाटर कहा जाता है।

फ्लोबैक पानी आमतौर पर मीथेन-दूषित होता है और इसलिए यह सामान्य अपशिष्ट जल की तुलना में विभिन्न रीसाइक्लिंग और रिसाव मुद्दों का उत्पादन करता है। ड्यूक विश्वविद्यालय के अध्ययन में कहा गया है कि, अमेरिका में, शेल उत्पादन के पहले वर्ष के भीतर उत्पन्न प्रवाह और उत्पादित जल खंड 2011 से 2016 तक 1,440% तक बढ़ गए है।

कार्यान्वयन अंतराल-

भूजल पर भारतीय लोग और सिंचाई निर्भर है। विशेष रूप से 'जल उपयोग नीति' पर प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श विचारों के बिना फ्रैकिंग प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, जिसके परिणामस्वरूप भूजल प्रदूषण और संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों सहित बड़े मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।

लेकिन जैसी समस्या आज खड़ी है, हम भारत में टिकाऊ शेल गैस अन्वेषण के लिए फ्रैकिंग प्रक्रिया को व्यापक रूप से नियंत्रित करने का अवसर खो रहे हैं। पहले चरण के रूप में, अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन पर एक क्षेत्र-विशिष्ट ईआईए मैनुअल एक अच्छा विचार हो सकता है।

GS World टीम...

शेल गैस

क्या है?

- शेल गैस चट्टानी संरचनाओं से उत्पादित प्राकृतिक गैस है जो बालू, लाइमस्टोन, संरचनाओं से पैदा होने वाली प्राकृतिक गैस से भिन्न है।
- शेल चट्टानों पर उच्च ताप और दबाव पड़ने से ही एक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है, जो एलपीजी की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ मानी गई है।
- अमेरिका के ऊर्जा, सूचना और प्रशासन विभाग के अनुसार, 2035 तक कुल अमेरिकी ऊर्जा खपत का 46% हिस्सा शेल गैस से आएगा।
- प्राकृतिक गैस और शेल गैस के निर्माण में अंतर
- पृथ्वी के अंदर जमा सामान्य प्राकृतिक गैस धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ती है, पृथ्वी की सतह के निकट आ जाने पर इसका भण्डारण किया जाता है।
- यह गैस धरती की छिद्रमय चट्टानों से होते हुए ऊपर आती हैं और ऊपर बढ़ने पर बिना छिद्र वाली चट्टानें उनका रास्ता रोक देती है। इस प्रकार यह गैस एक विशेष स्थान पर फस कर रह जाती है।
- ठसके विपरीत, शेल गैस जैविक तत्वों से भरपूर चट्टानों के अंदर बनती है।

उत्पादन की विधि

- शेल गैस निकालने के लिए शेल चट्टानों तक क्षैतिज खनन से पहुँचा जाता है अथवा हाइड्रोलिक विघटन से उनको तोड़ा जात है।
- हाइड्रोलिक विघटन के लिए संबंधित चट्टानों के भीतर छेद करके लाखों टन पानी, चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े और रसायन अंदर डाला जाता है।
- कुछ शेल चट्टानों में छेद कम होते हैं और उनमें डाले हुए द्रव सरलता से बाहर नहीं आ पाते है। ऐसी स्थिति में उनके भण्डार कुएँ जैसे ने होकर चारों ओर फैले हुए होते हैं।
- ऐसी चट्टानों से गैस निकालने के लिए क्षैतिज खनन का सहारा लिया जाता है।

उपयोग

- शेल तेल को ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही इसको इसमें हाइड्रोजन मिला कर और सल्फर और नाइट्रोजन हटाकर शोधित किया जाता है।
- शेल तेल और पारंपरिक क्रूड तेल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ अलग-अलग प्रकार की होती है।
- शेल गैस को साफ करने के लिए उत्प्रेरक प्रणाली अपनाई जाती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. शेल गैस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शेल गैस भूमि के अंदर चट्टानों के नीचे उपस्थित होती है।
2. शेल गैस को निकालने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय हानि भी होने की संभावना होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. शेल गैस को भूमि से निकालने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ आवश्यक पड़ता है?

(a) जल
(b) रसायन
(c) बालू
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शेल गैस पेट्रोलियम ईंधनों की भांति हाइड्रोकार्बन समूह में आती है।
2. शेल गैस को भूमि से निकालने के लिये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग विधि का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements regarding the shale gas.

1. Shale gas is present below the rocks in the earth.
2. There is a probabilityof environment loss due to the extraction process of shale gas.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following substances is required in the proces of shale gas extraction?

(a) Water
(b) Chemical
(c) Sand
(d) All of the above

3. Consider the following statements-

1. Shale gas like petroleum oil comes under hydrocarbon group.
2. Hydraulic fracturing method is used for the extraction of Shale gas.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट :

30 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(a), 3 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. शेल गैस भविष्य में ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प हो सकती है, लेकिन इसका भूमि से निष्कर्ष कठिन, महंगा और पर्यावरणीय क्षतिकारक है। टिप्पणी कीजिए।

(250 शब्द)

"Shale gas can be a good option of energy in future but its extraction from the earth is tough, expensive and environmentally harmful. Comment.

(250 Words)